ALIMCO

ISO 9001 : 2008

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का 'मिनीरत्न-II' उपक्रम

जी.टी. रोड, कानपुर-२०९२१७
आई.एस.ओ. ९००१:२००८

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

A Govt. of India, "Miniratna-II" CPSU under Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice & Empowerment

G.T. Road, Kanpur-209217
An ISO 9001:2008 Company

43rd Annual Report 2015-16

४३वीं वार्षिक रिपोर्ट २०१५-१६

Board of Directors

Shri D.R. Sarin
Chairman & Managing Director
(w. e. f. 01.10.2014)

Shri Awanish Kumar Awasthi
Joint Secretary (DEPwD)
Ministry of Social Justice and Empowerment
(w. e. f. 23.05.2013)

Ms.T.C.A.Kalyani
Joint Secretary & Financial Adviser (DEPwD)
Ministry of Social Justice and Empowerment
(w. e. f. 18.11.2015)

४३वाँ वार्षिक प्रतिवेदन २०१५-१६
43rd Annual Report 2015-16

विषय सूची	CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE No. से–तक FROM-To
वरिष्ठ अधिकारीगण	SENIOR EXECUTIVES	2
बैकर्स	BANKERS	3
लेखा अंकेक्षक	AUDITORS	3
एलिम्को के कार्यालय	OFFICES OF ALIMCO	3-5
सूचना	NOTICE	6-7
अध्यक्ष का भाषण	CHAIRMAN SPEECH	8-9
निदेशकों का प्रतिवेदन	DIRECTORS' REPORT	10-59
भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणी	COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	60-62
सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट	SECRETARIAL AUDIT REPORT	63-66
प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT	67-69
कारपोरेट गर्वनेन्स पर रिपोर्ट	REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	70-74
10 वर्ष एक दृष्टि में	10 YEARS AT A GLANCE	75-76
लेखा समपरीक्षक का प्रतिवेदन	AUDITOR'S REPORT	77-86
तुलन पत्र	BALANCE SHEET	87-88
आय एवं व्यय खाता	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	89-90
नगदी प्रवाह विवरण	CASH FLOW STATEMENT	91-94
लेखों पर टिप्पणी	NOTES ON ACCOUNTS	95-146

वरिष्ठ अधिकारीगण

ले. कर्नल (आ.प्रा.) पी.के. दुबे
महा प्रबन्धक (विपणन)

श्री मधुसूदन रे
महा प्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

श्री अशोका एस. एन.
महा प्रबन्धक (उत्पादन)

श्री प्रवीन कुमार
महा प्रबन्धक (परियोजना एवं वाणिज्यिक)

श्री एच. एन. शर्मा
उप महाप्रबन्धक (सामाग्री प्रबन्धन)
(सेवानिवृत दिनांक 30.06.2016)

श्री ए. के. श्रीवास्तव
उप महाप्रबन्धक (उत्पादन)

श्री अतुल रूस्तगी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

श्री पी. के. श्रीवास्तव
उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्धन)

श्री आर. के. माथुर
उप महाप्रबन्धक (आर. एम. सी. नई दिल्ली)

श्री अजय चौधरी
उप महाप्रबन्धक (सी. एस. आर.)

श्री विवेक द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रक)

श्री संजय सिंह
उप महाप्रबन्धक (विपणन)

श्री ए.के. सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक (उत्पादन)

सुश्री नीलू द्विवेदी
वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)

श्री बी. के. गुप्ता
वरिष्ठ प्रबन्धक, एएपीसी जबलपुर

श्री रितेश श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबन्धक (एसपी एण्ड सी)

SENIOR EXECUTIVES

Lt. Col. (Retd.) P.K. Dube
General Manager (Marketing)

Shri Madhusudan Ray
General Manager (Finance & Administration)

Shri Ashoka S.N
General Manager (Production)

Shri Praveen Kumar
General Manager (Project & Commercial)

Shri H.N. Sharma
Deputy General Manager (Material Management)
(Retired on 30.06.2016)

Shri A.K. Srivastava
Deputy General Manager (Production)

Shri Atul Rustagi
Deputy General Manager (Finance)

Shri P.K. Srivastava
Deputy General Manager (Material Management)

Shri R.K. Mathur
Deputy General Manager (RMC New Delhi)

Shri Ajay Chaudhari
Deputy General Manager (CSR)

Shri Vivek Dwivedi
Deputy General Manager (Quality Control)

Shri Sanjay Singh
Deputy General Manager (Marketing)

Shri A.K. Singh
Senior Manager (Production)

Ms. Neelu Dwivedi
Senior Manager (Personnel & Administration)

Shri B.K.Gupta
Senior Manager, AAPC, Jabalpur

Shri Ritesh Srivastava
Senior Manager (SP&C)

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

लेखा सम्परीक्षक
मे. पी. के. जयपुरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
प्रथम तल, आचार्य कुटी,
26/53, बिरहाना रोड, कानपुर

एलिम्को के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री
जी. टी. रोड,
कानपुर – 209217
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाषः 91–512–2770614, 2770687, 2770818
फैक्सः 91–512–2770617, 2770670, 2770137
ई–मेलः alimco@alimco.in
वेबसाइटः www.alimco.in

एलिम्को के सहायक उत्पादन केन्द्र

1. **बेंगलूरू**
   सर्वे सं. एम.वाई.एस. 357
   प्लॉट सं. 8, पीन्या प्लान्ट स्टेशन,
   नियर जलासौधा, जालाहल्ली, पो ऑ.
   बेंगलूरू – 560013
   दूरभाष – 91–80–23377482, 23377533
   फैक्सः 91–080–23577070
   ई–मेलः aapc_bangalore@alimco.in

2. **भुवनेश्वर**
   प्लॉट सं. एस.–3/66,
   मानचेश्वर इण्डस्ट्रियल एरिया,
   भुवनेश्वर – 751010
   दूरभाषः– 0674–2586881/2587670
   फैक्सः 0674–2587018
   ई–मेलः aapc_bhubaneshwar@alimco.in

BANKERS :
State Bank of India

AUDITORS :
M/S. PEE KAY JAIPURIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS,
1st Floor, Acharya Kuti,
26/53, Birahana Road, KANPUR

OFFICES OF ALIMCO

REGISTERED OFFICE & FACTORY:
G.T. ROAD,
KANPUR-209217
(UTTAR PRADESH)
Phones: 91-512-2770614, 2770687, 2770818
FAX: 91-512-2770617, 2770870, 2770137
E-Mail : alimco@alimco.in
Website : www.alimco.in

ALIMCO AUXILIARY PRODUCTION CENTRES

1. **BENGALURU**
   Survey No. MYS 357,
   Plot No.8, Peenya Plant Station,
   Near Jalasaudha, Jalahalli P.O.,
   BENGALURU-560013
   Phone No. : 91-80-23377482, 23377533
   Fax : 91-080-23577070
   e-mail : aapc_bangalore@alimco.in

2. **BHUBANESWAR**
   Plot No. S-3/66,
   Mancheshwar Industrial Area,
   BHUBANESHWAR-751010
   Phone No. : 0674-2586881/2587670
   Fax : 0674-2587018
   e-mail : aapc_bhubaneshwar@ alimco.in

3. **जबलपुर**
प्लॉट सं. 40, 106 एवं 107
रिच्छाई इण्डस्ट्रियल एरिया,
जबलपुर– 482010
दूरभाष :– 91–761–2334717
फैक्सः 91–761–2334724
ई–मेल : aapc_jabalpur@alimco.in

4. **पंजाब–चनालोन**
प्लॉट सं. ए–1, ए–2, ए–3,
फोकल प्वाइंट, इण्डस्ट्रियल एरिया,
चनालोन जनपदः मोहाली – 140103 (पंजाब)
दूरभाष :– 0160–2642220
ई–मेल : aapc_chanalon@alimco.in

क्षेत्रीय विपणन केन्द्र एवं विकलांगता पुनर्वास केन्द्र

1. **नई दिल्ली**
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर एवं
विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
मार्फत सोशल जस्टिस सर्विस सेन्टर
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने
महिला इमदाद कमेटी, पहाड़गंज
नई दिल्ली – 110055
दूरभाष :– : 91–11–23580877,
फैक्स : 91–11–23580877
ई–मेल : rmc_newdelhi@alimco.in

2. **मुम्बई**
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
मार्फत अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान
श्रवण बाधित।
रूम नं. बी–103, बी–विंग, फर्स्ट फ्लोर
के० सी० मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (वेस्ट)
मुम्बई – 400 050
दूरभाष :– : 91–022–27570615
फैक्स : 91–022–27571278
ई–मेल : rmc_mumbai@alimco.in

3. **JABALPUR**
Plot No. 40, 106 & 107,
Richhai Industrial Area,Maharajpur
JABALPUR-482 010
Phone : 91-761-2334717,
Fax : 91-761-2334724
e-mail : aapc_jabalpur@ alimco.in

4. **PUNJAB-CHANALON**
Plot No. A-1, A-2, A-3, Focal Point
Industrial Area, Chanalon
Distt. Mohali-140103 (Punjab)
Phone : 0160-2642220
e-mail : aapc_chanalon@ alimco.in

REGIONAL MARKETING CENTRES & DISABILITY REHABILITATION CENTRES

1. **NEW DELHI**
Regional Marketing & Disability
Rehabilitation Centre ALIMCO
C/o Social Justice Service Centre,
Mahila Imdad Committee, Paharganj
Opposite New Delhi Rly. Station,
NEW DELHI-110 055
Phone : 91-11-23580877,
Fax : 91-11-23580877
e-mail : rmc_newdelhi@ alimco.in

2. **MUMBAI**
Regional Marketing Center ALIMCO
C/o Ali Yavar Jung National Institute for the
Hearing Handicapped
Room No. - B-103, B-wing, 1st Floor,
K.C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W)
MUMBAI - 400 050
Phone : 91-022-26510292
Fax : 91-022-27571278
e-mail : rmc_mumbai@alimco.in

3. **कोलकाता**
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
मार्फत नेशनल इंस्टीट्यूट फार द
ऑर्थेपेडिकली हैण्डीकैप्ड,
बी. टी. रोड, बॉन – हुगली,
कोलकाता– 700090
दूरभाष : 91-33-25316356
फैक्स : 91–33–25317838
ई–मेल : rmc_kolkata@alimco.in

4. **हैदराबाद**
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
21–120 ए, उत्तम नगर, सफिलगुढ़ा
मलकाजगिरि पोस्ट, हैदराबाद
तेलंगाना–500047
दूरभाष : 91–40–27061463
ई–मेल : alimcohyderabad@gmail.com

एलिम्को आउटरीच सेन्टर

1. **गुवाहाटी**
मकान संख्या–2, ओसिस इमारत
सर्वोदय पथ, राजीव भवन के पीछे
ए बी सी, भांगड़गढ़, गुवाहाटी – 781005
दूरभाष :– 0361–2348789
फैक्सः 0361–2456063
ई–मेल : aoc_guwahati@alimco.in

3. **KOLKATA**
Regional Marketing Centre, ALIMCO
C/o National Institute for the
Orthopaedically Handicapped,
B.T. Road, Bon-Hoogly,
KOLKATA-700090
Phone : 91-33-25316356
Fax : 91-33-25317838
e-mail : rmc_kolkata@ alimco.in

4. **HYDERABAD**
ALIMCO Regional Marketing Center
21-120A, Uttam Nagaer, Sufilguda
Malkajgiri Post, Hyderabad
TELANGANA-500047
Phone 91-40-27061463
e-mail : alimcohyderabad@gmail.com

ALIMCO OUTREACH CENTRE

1. **GUWAHATI**
House No.2, Oasis Building
Sardoday Path,Opposite Rajiv Bhawan'
ABC, Bhangagarh Guwahati-781005
Phone : 0361-2348789,
Fax : 0361-2456063
e-mail : aoc_guwahati@ alimco.in

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की 43वाँ वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 08.09.2016 को 5:00 बजे विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग के सभागार में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, 5वां तल पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिए होगी।

साधारण व्यवसाय

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखा अंकेक्षित तुलन पत्र एवं 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा वित्तीय प्रवाह विवरण तथा निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना, और अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के सामान्य रूप से पास करना :–

'' संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2016 का लेखा अंकेक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, वित्तीय प्रवाह विवरण, निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया''

कृते निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

ह0 / –
अमिताभ दुबे
कनिष्ठ प्रबन्धक
कम्पनी सचिव

स्थान : कानपुर

दिनांक : 03.09.2016

नोट : बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

NOTICE

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA will be held on 08.09. 2016 at 5:00 P.M. in the Conference Hall of Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice and Empowerment, 5th Floor Paryavaran Bhawan CGO Complex, Lodi Road, New Delhi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

To consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31st March 2016, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2016, Cash Flow Statement, Directors Report, alongwith Statutory Auditors' Report and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and pass the following Resolution as an ordinary Resolution, with or without modification (s):

RESOLVED THAT audited Balance Sheet as on 31st March 2016, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2016, Cash Flow Statement, Directors Report alongwith Statutory Auditors' Report thereon and Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the same be and are hereby received, considered and adopted.

By Order of the Board of Directors
For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

Sd/-
Amitabh Dubey
Junior Manager
Company Secretary

Date : 03.09.2016
Place : Kanpur

Note: A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the Company.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय अंश धारकों,

ऐलिम्को के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी तरफ से, मुझे आपके निगम की 43 वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने मे प्रसन्नता हो रही है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में मुझे वास्तव में बड़ा हर्ष हो रहा है। यह निगम के समग्र विकास तथा उन्नयन के रूप में सन्तोषजनक वर्ष रहा है। इसके अलावा, मुझे दिव्यांगजनों को गुणवत्ता पूर्ण यंत्र तथा सहायक उपकरण प्रदान करके उनके बेहतरी के कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।

मैं आपकी कंपनी के दूसरे सफलतापूर्वक वर्ष हेतु सभी हितधारको को शुभकामनाऐं देता हूँ तथा मैं आपके साथ कुछ मील के पत्थरों में साझा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी क्रमशः 189.36 करोड़ रूपये तथा 46.20 करोड़ रूपये **''अत्याधिक टर्नऑवर तथा अधिशेष''** के रूप में प्राप्त कर लिये है। उसी प्रकार, आपकी कंपनी का शुद्ध सामर्थ 84.14 करोड़ से बढ़कर 182.47 करोड़ हो गया है तथा नियोजित पूंजी 161.42 करोड़ रूपये से बढ़कर 199.46 करोड़ रूपये हो गयी है।

आपको यह सूचित करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी एलिम्को को विशेष संस्थागत श्रेणी **(कायापलट) में पीएसयू प्रबंधन द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु उत्कुष्ट तथा सर्वोउत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिष्ठित स्कोप पुरस्कार''** से नवाजा गया है। पुरस्कार यह दर्शाता है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की गयी कठिन मेहनत के साथ प्रबंधन द्वारा पूरे वर्ष आश्चर्यजनक योजना का परिणाम है। भारत के महा महिम राष्ट्रपति द्वारा 11 अप्रैल 2016 को एलिम्को को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त हमने वर्ष 2015–16 हेतु भी समझौता ज्ञापन (MOU) की उपलब्धियों के लिए अनंतिम उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त कर ली है। जोकि क्रमानुसार लगातार चौथे वर्ष भी जारी है।

समापन से पूर्व, मैं सभी स्तर के अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये समुचित प्रयासों के लिए उन्हें हार्दिक रूप से अपनी शुभकामनएं प्रदान करता हूँ जिन्होनें वर्ष 2015–16 में आपकी कंपनी को **''उच्चतम टर्नऑवर तथा अधिशेष''** दर्ज कराने में समर्थ बनाया। मैं बोर्ड के अपने साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होनें अपना कीमती समय निकाला तथा बोर्ड की चर्चा में अपने गहन ज्ञान तथा विभिन्न विषयों पर अपने मार्गदर्शन के साथ–साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था जिनका उचित निर्णयों को लेने में बड़ा ही योगदान रहा। मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपकी कंपनी के निरन्तर विकास एवं विस्तार हेतु दिये गये मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि इस सहायता तथा विश्वास से भविष्य में एलिम्को अनेक मील के पत्थरों तथा नवीनतम ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

ह0 / –
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

दिनांक : 08.09.2016
स्थान : नई दिल्ली

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) and on my own behalf, I am pleased to present the 43rd Annual Report of the Corporation.

It is indeed a pleasure in presenting the Second Annual Report of my tenure as Chairman & Managing Director of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India. It has been a quite satisfying year in terms of overall development and growth of the Corporation. Moreover, I got an opportunity to work for the betterment of differently abled people (Divyangjan) by providing them quality aids and assistive devices.

I wish to **'Congratulate'** all stakeholders for yet another successful year of your Company and it has been indeed a great privilege to share some of the milestones with you. During the Financial Year 2015-16, your Company clocked **'Highest Ever Turnover and Surplus'** of Rs. 189.36 Crores and Rs. 46.20 Crores respectively. Similarly, the net worth of your Company increased to Rs. 182.47 Crores and the capital employed has increased to Rs. 199.46 Crores from Rs. 84.14 Crores and Rs. 161.42 Crores respectively in previous year.

It also gives me great pleasure to inform you that your Company has been conferred with the prestigious **'SCOPE Award for Excellence and Outstanding Contribution by PSU Management for the Year 2011-12 in Special Institutional Category (Turnaround)'.** This award is a symbol of hard work put in by each of the Executives and Workmen coupled with meticulous planning over the years by the Management of the Company. This award was presented to ALIMCO by his Excellency the President of India on 11.04.2016. Apart from this, the Company has also got provisional 'Excellent' rating for MoU achievements for the year 2015-16 consecutively for the third year.

Before concluding, I wish to place on record my deep sense of appreciation for the sincere efforts put in by our employees at all levels which enabled your Company to record **'Highest Turnover & Surplus'** during the year 2015-16. I would also like to thank my colleagues on the Board who spared considerable time and participated actively in the deliberations of the Board with their in depth knowledge and guidance on various issues which greatly contributed in taking appropriate decisions. I gratefully acknowledge the guidance and support extended by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) for continued growth and expansion of your Company. I am sure that with this support and trust, ALIMCO will achieve many more milestones and newer heights ahead in future.

Sd/-

D.R. SARIN,

Chairman & Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

Date : 08.09.2016
Place : New Delhi

वर्ष 2015–16 के लिये निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

आपके निदेशक मण्डल को, निगम के कार्यकलापों पर 43वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निगम ने टर्नऑवर रू0 189.36 करोड़ दर्ज किया जो वर्ष 2014–15 में रू 162.70 करोड़ था और रू0 46.20 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया जो वर्ष 2014–15 में रू0 31.65 करोड़ था। एलिम्को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य से नही) (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अन्तर्गत पंजीकृत है। अतः कोई लाभांश का वितरण नहीं होता इसलिए व्यय पर आय के आधिक्य को जो कि रू0 46.20 करोड़ था को संचय एवं आधिक्य में समायोजित किया गया तथा इसका इस्तेमाल भविष्य में निगम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरक्षित किया गया है। उपलब्धि के वित्तीय आँकड़े निम्नवत् हैं।

(रू0 करोड़ में)

विवरण	2015–16 उपलब्धियाँ	2014–15 उपलब्धियाँ	2014–15 से अधिक बढ़ोत्तरी प्रतिशत में
वित्तीय उपलब्धियाँ			
कुल आर्वत	189.36	162.70	16.39%
उत्पादन का मूल्य	190.98	162.69	17.39%
अधिशेष	46.20	31.65	45.97%
शुद्ध सामर्थ	182.47	84.14	116.86%

DIRECTOR'S REPORT FOR THE YEAR 2015-16

To,
The Members of,
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA,

Your Directors have pleasure in presenting herewith the 43rd Annual Report along with Audited Statement of Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March 2016.

1. FINANCIAL HIGHLIGHT

During the Financial year 2015-16, the company has achieved a turnover of Rs 189.36 crores as against Rs. 162.70 crores in 2014-15 and earned surplus of Rs 46.20 crores as against Rs. 31.65 crores earned surplus in the year 2014-15. ALIMCO, being a Company registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act, 2013 (corresponding to Section 25 of the Companies Act 1956) is not expected to pay any dividend. The excess of income over expenditure amounting to Rs 46.20 crores has been carried forward to the Reserve and Surplus Account for utilization and furtherance of its objectives of the Corporation. The performance figures under report are given as under :

(Rs. in Crores)

Particulars	2015-16 Achievements	2014-15 Achievements	% increase over 2014-15
FINANCIAL PERFORMANCE			
Turnover	189.36	162.70	16.39%
Value of Production	190.98	162.69	17.39%
Surplus	46.20	31.65	45.97%
Net Worth	182.47	84.14	116.86%

2. निगम की रूपरेखा

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अनुसूची सी में, एक मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय मे शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए) अन्तर्गत पंजीकृत है (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति जिनके पास 100 प्रतिशत अंश के साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवास यंत्र एवम् सहायक उपकरण के निर्माण से और देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुर्नवास यंत्र की उपलब्धिता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकास के द्वारा अधिकतम सीमा तक सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। लाभप्रदता निगम का उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर विकलांग व्यक्तियों को बढ़ी संख्या में बेहतर गुणवत्ता वाले यंत्र एवं उपकरण प्रदान करना है। निगम ने कृत्रिम अंगों के उत्पादन का कार्य सन् 1976 से आरम्भ किया था। निगम की कुल चार सहायक उत्पादन केन्द्र जो कि भुवनेश्वर (उड़ीसा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बैंगलूरू (कर्नाटक) और चनालोन (पंजाब) में स्थित है इसके अतिरिक्त निगम के चार क्षेत्रीय विपणन केन्द्र है। जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा हैदराबाद में स्थित है तथा निगम का एक आउटरीच सेन्टर जो कि गुवाहाटी में स्थित है।

यह एक ऐसा निगम है जो कि विकलांगो के लिए एक ही छत के नीचे विविध प्रकार के सहायक उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है।

2. CORPORATE PROFILE

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit motive) of the Companies Act 2013, (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the Administrative Control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. It is 100% owned Govt. of India Central Public Sector Enterprises with an objective of benefiting the disabled persons to the maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation Aids to the disabled persons of the country. Profitability is not the motive of the operations of the Corporation and its main thrust is in providing better quality of Aids & Appliances to larger number of disabled persons at reasonable price.The Corporation started manufacturing artificial aids in 1976. It has four Auxiliary Production Centres (AAPCs) situated at Bhubaneswar (Orissa), Jabalpur (M.P.), Bengaluru (Karnataka), and Chanalon (Punjab). The Corporation has four Marketing Centres at New Delhi, Kolkata, Mumbai, & Hyderabad and one Outreach Centre at Guwahati.

The Corporation is the only manufacturing company producing various types of assistive devices under one roof to serve all types of disabilities across the country.

3. पूंजीगत ढाँचा

आपके निगम की 31 मार्च 2016 को अधिकृत पूंजी रू0 6000 लाख तथा प्रदत्त पूंजी रू0 5409.97 लाख थी। आपके निगम की समस्त प्रदत्त पूंजी भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पास रखी हुई है।

3. CAPITAL STRUCTURE

The Authorized Capital and Paid up Capital of the Corporation as on 31st March 2016 were Rs.6000 lakhs and Rs.5409.97 lakhs respectively. The entire paid up share capital of your Corporation is held by Government of India in the name of the President of India.

4. वर्ष 2015–16 में निगम के वित्तीय और भौतिक उपलब्धि के परिमाणात्मक आँकड़े निम्न प्रकार हैं :

4. THE QUANTITATIVE FIGURES SHOWING FINANCIAL AND PHYSICAL PERFORMANCE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2015-16 ARE GIVEN BELOW

(Rs. in Crores)

Sl. No. क्र.सं.	विवरण	Particulars	2015-16 Achievements	2014-15 Achievements	% Increase over 2014-15
A	वित्तीय उपलब्धि	FINANCIAL PERFORMANCE			
1	आवर्त	Turnover	189.36	162.70	16.39%
2	उत्पादन मूल्य	Value of Production	190.98	162.69	17.39%
3	अधिशेष	Surplus	46.20	31.65	45.97%
4	शुद्ध सार्मथ	Net Worth	182.47	84.14	116.86%

B	भौतिक उपलब्धि (महत्वपूर्ण उत्पादों की भौतिक उपलब्धियाँ)	PHYSICAL PERFORMANCE (Physical Performance of Important Products)	Production (In Nos.)		% Increase over 2014-15	Sales (In Nos.)		% Increase over 2014-15
			2014-15	2015-16		2014-15	2015-16	
1	ट्राई साइकिल	Tricycle	77,012	80490	4.52%	75,392	78,598	4.25%
2	व्हील चेयर	Wheel Chairs	34,722	41309	18.97%	37,939	44,536	17.39%
3	क्रचेस	Crutches	63,341	62991	(-) 0.55%	62,409	67,272	7.79%
4	प्रोस्थेटिक अपर एवं लोअर किट्स एवं कम्पोनेन्ट	Prosthetic Upper & Lower Kit & Components	24,113	29180	21.01%	37,463	13,940	(-) 62.79%
5	आर्थोटिक लोअर (किट्स एवं कम्पोनेन्ट	Orthotic Lower Kits & Components	38,831	10379	(-) 73.27%	57,273	67,352	17.60%
6	श्रवण यंत्र	Hearing Aids	77,685	48544	(-) 37.51%	79,228	49,367	(-) 37.69%

COMPARATIVE VALUE OF PRODUCTION DURING FIVE PRECEEDING YEARS

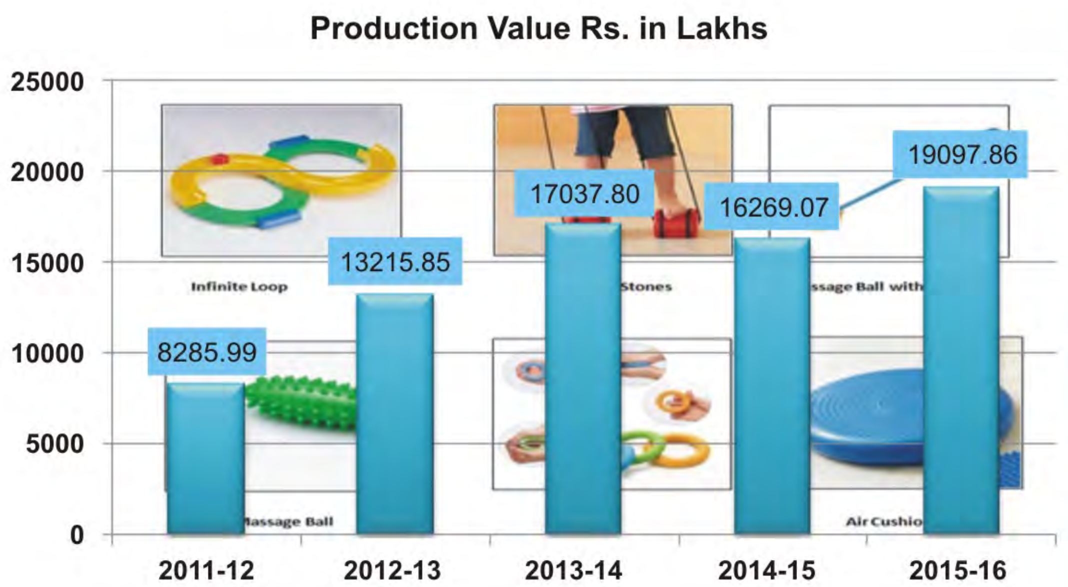

COMPARATIVE VALUE OF SALES & SERVICES DURING FIVE PRECEEDING YEARS

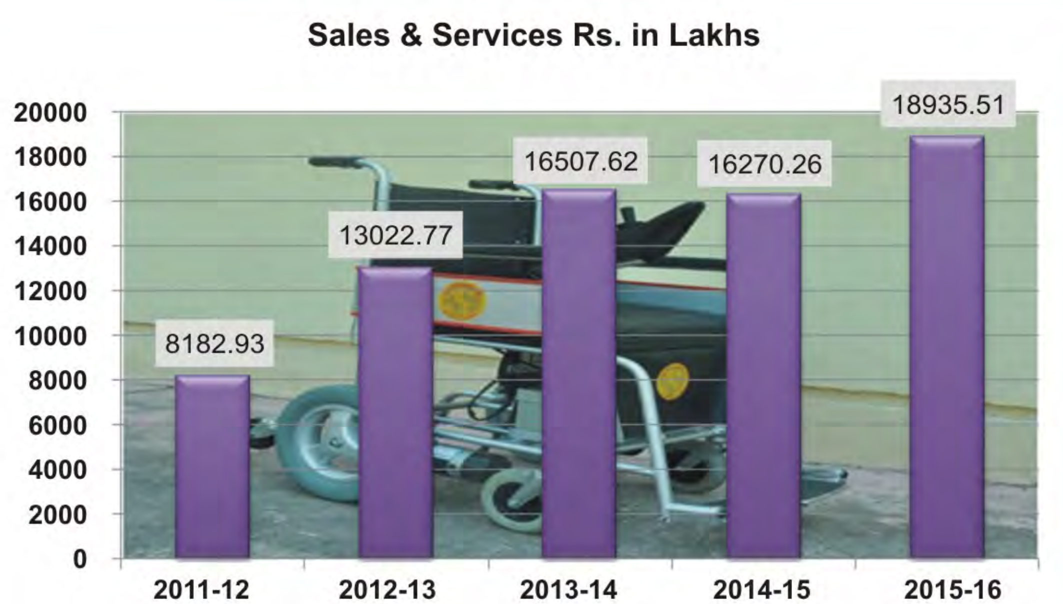

5. विक्रय ढाँचा

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विक्रय ढ़ाँचा इस प्रकार है

रू. करोड़ में

क्रेता की श्रेणी	2015–16 की बिक्री	2015–16 का प्रतिशत भाग	2014–15 की बिक्री	2014–15 का प्रतिशत भाग
राष्ट्रीय संस्थान	5.93	3.13%	11.13	6.84%
एडिप एवं कोकलियर	84.45	44.60%	65.21	40.08%
एस.एस.ए. (60%)	35.65	18.83%	31.79	19.54%
एस.एस.ए. (40%)	22.83	12.06%	21.19	13.02%
राज्य सरकार के सीधी खरीदारी	7.09	3.74%	9.47	5.82%
डीलर, फेब्रीकेशन	12.74	6.73%	7.63	4.69%
सीएसआर, निर्यात, द्विपक्षीय, अवशेष एवं अन्य	20.67	10.91%	16.28	10.01%
कुल योग	**189.36**	**100%**	**162.70**	**100.00%**

नोट :

रू (करोड़ में)

विवरण	2015–16 की बिक्री	2014–15 की बिक्री
GIA से जुटाए संसाधन	120.10	97.00
GIA के अलावा जुटाए संसाधन	69.26	65.70
कुल	**189.36**	162.70

5. SALES PATTERN

Rupees in Crores

Buyer Category	Sales of 2015-16	% age share 2015-16	Sales of 2014-15	% age share 2014-15
National Institutes	5.93	3.13%	11.13	6.84%
ADIP & Cochlear	84.45	44.60%	65.21	40.08%
S S A (60%)	35.65	18.83%	31.79	19.54%
S S A (40%)	22.83	12.06%	21.19	13.02%
State Govt. Direct Purchases	7.09	3.74%	9.47	5.82%
Dealers, Fabrication	12.74	6.73%	7.63	4.69%
CSR Export, Bilateral, Scrap & others	20.67	10.91%	16.28	10.01%
TOTAL	**189.36**	**100%**	**162.70**	**100.00%**

NOTE :

Rupees in Crores

Particular	Sales of 2015-16	Sales of 2014-15
Resource Mobilized from GIA	120.10	97.00
Resource Mobilized other than GIA	69.26	65.70
TOTAL	**189.36**	162.70

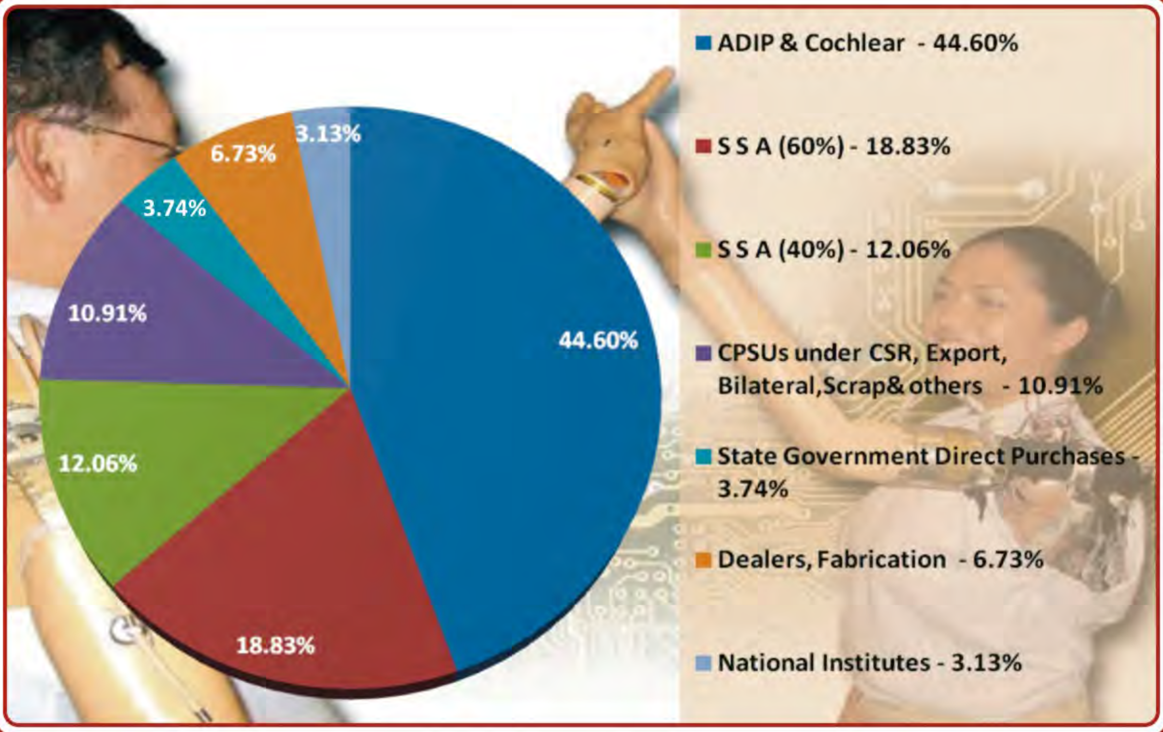

6. एम ओ यू मूल्याकंन

वर्ष 2015–16 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निहित मापदंडो पर आधारित प्रदर्शन के आधार पर निगम इस वर्ष ''उत्कृष्ट'' श्रेणी प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

6. MOU RATING

In term of parameters contained in the Memorandum of Understanding signed with the Administrative Ministry namely Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Government of India, for the 2015-16, the Company is expected to be rated as "Excellent" based on its performance.

7. निर्यात उपलब्धि

निगम ने वर्ष 2015–16 के दौरान रु. 1.88 लाख का निर्यात भूटान और श्रीलंका देशो में किया जबकि वर्ष 2014–15 में यह निर्यात 12.85 लाख था।

7. EXPORT PERFORMANCE

The Corporation has exported its products to Bhutan, Srilanka in the year 2015-16 for a total value of Rs. 1.88 lakhs in comparison to the total exports for a value of Rs. 12.85 lakhs in the year 2014-15.

8. एडिप शिविर

निगम ने एडिप योजना के अन्तर्गत 21 राज्यों/संघीय राज्यों को कवर करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 387 शिविरों के जरिये 87,469 (73.98 प्रतिशत) पुरूषों तथा 30,765 (26.02 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों को (कुल 1,18,234 लाभार्थियों) उपकरण की सेवा के मुकाबले वर्ष 2014–15 में 51,244 (72.41 प्रतिशत) पुरूषों तथा 19,521 (27.59 प्रतिशत) महिला को मिलाकर कुल 70,765 लाभार्थियों को 305 शिविरों के जरिये आच्छादित किया है और इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में 18855 लाभार्थियों को एक से अधिक सहायक उपकरण / कृत्रिम अंग /कैलिपर अंग प्रदान किया गया।

वर्ष 2015–16 में 387 संचालित शिविरों में से 25 शिविर उत्तरी–पूर्वी राज्यों में 3,576 (67.19 प्रतिशत) पुरूष तथा 1,746 (32.81 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों (कुल 5,322) लााभार्थियों की संख्या की अपेक्षा वर्ष 2014–15 में 5,236 (60.52 प्रतिशत) पुरूष तथा 3,415 (39.48 प्रतिशत) महिला (कुल 8651 लाभार्थियों) को 59 शिविरों के द्वारा आच्छादित किया गया।

8. ADIP CAMP

The Corporation has covered 87,469 (73.98%) male and 30765 (26.02%) female beneficiaries, totaling to 1,18,234 beneficiaries equipment-wise in the financial year 2015-16 under ADIP scheme through 387 camps covering 21 States/UTs as against 51,244(72.41%) male and 19,521(27.59%) female beneficiaries, totaling to 70,765 beneficiaries served through 305 camps conducted in Financial Year 2014-15. & 18855 numbers of beneficiaries were given more than one assistive device/artificial limb/caliper during 2014-15.

Out of 387 camps conducted in the year 2015-16, 25 camps were held in North Eastern States covering 3,576 (67.19%) male and 1,746 (32.81%) female beneficiaries (total 5,322 beneficiaries) as against 5,236 (60.52%) male and 3,415 (39.48%) female beneficiaries (total 8,651 beneficiaries) for 59 camps in Financial Year 2014-15.

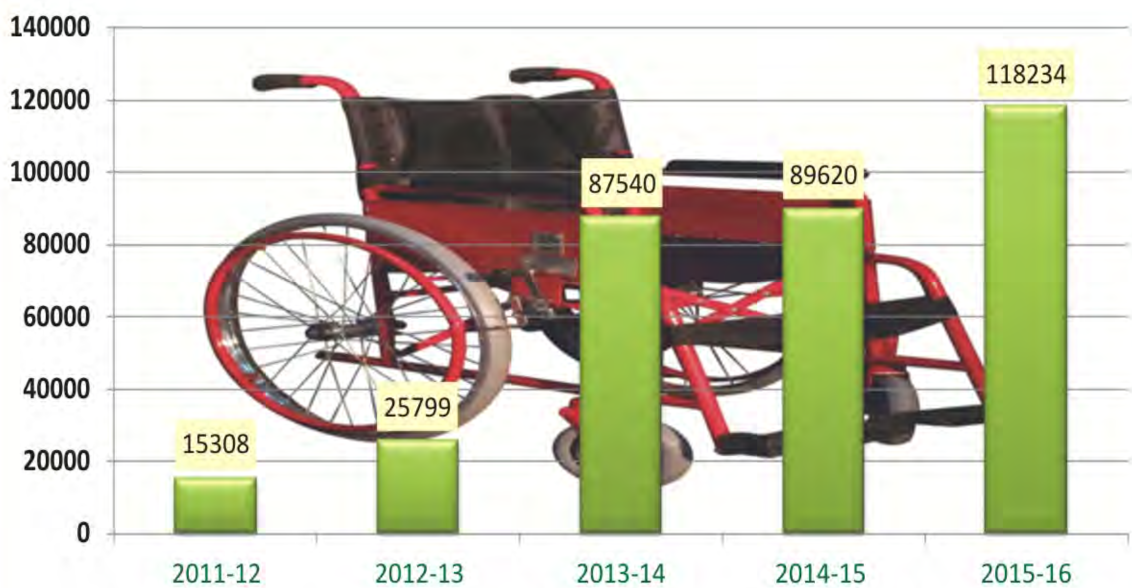

Year wise Number of Beneficiaries served under ADIP Scheme in the last Five Years

GLIMPSES OF ADIP CAMP PHOTOGRAPHS

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi attended the Mega ADIP distribution camp as a Chief Guest organised in his contituency at Varanasi on 22.01.2016. ALIMCO sucessfully organised the Historical Camp on behalf of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disibilities (Divyangjan)

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, facilitating PwDs with Motorized Tricycles in in the Mega ADIP Distribution Camp conducted at Varanasi on 22.01.2016.

Hon'ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot, Ministry of Social Justice & Empowerment & other Diginatiries Distributing Aids & Assistive devices in a ADIP Distribution Camp at ALIMCO HQ Kanpur on 05.03.2016 the event was presided over by Dr. Murli Manohar Joshi Hon'ble MP Kanpur Nagar. Shri Devendra Singh Bhole Hon'ble MP, Akbarpur, Dr. Vinod Aggarwal, Secretary DEPwD and Shri D.R.Sarin, CMD ALIMCO were also present during the occasion.

Hon'ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot, Ministry of Social Justice & Empowerment distributing Aids & Assistive devices in a ADIP Distribution Camp at Kanchausi (UP) on 08.09.2015.

Hon'ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot, Ministry of Social Justice & Empowerment distributing Aids & Assistive devices in a ADIP Distribution Camp at Tahirpur Delhi on 19.06.2015.

Hon'ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot, Ministry of Social Justice & Empowerment distributing Motorized Tricycle in a ADIP Distribution Camp at Nashik on 24.05.2015.

Hon'ble Union Minister Shri Thaawarchand Gehlot, Ministry of Social Justice & Empowerment and Hon'ble Chief Minister Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan facilitating PwDs for Motorized Tricycle Manufacture by ALIMCO in a ADIP Distribution Camp at Raisan on 02.05.2015.

9. एडिप–एस एस ए शिविर

एडिप–एस एस ए योजनान्तर्गत 1,310 शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें से 51,200 (64.06 प्रतिशत) पुरूष तथा 28,726 (55.94 प्रतिशत) कुल 79,926 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 6–14 आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 20 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुकाबले 47,237 (63.23 प्रतिशत) पुरूष तथा 27,467 (36.77 प्रतिशत) महिला कुल 74,704 सी डब्ल्यू एस एन में वित्तीय 2014–15 में 1,189 शिविरों के दौरान कवर किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में 13,695 लाभार्थियों को एक से अधिक सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग/कैलिपर अंग प्रदान किया गया जिसको शामिल करने पर कुल लाभार्थियों की संख्या 88,399 हो गयी।

वर्ष 2015–16 में 1,310 शिविरों में से 171 शिविर उत्तरी–पूर्वी राज्यों में आयोजित किये जिसमें 3,381 (60.28 प्रतिशत) पुरूष तथा 2,228 (39.72 प्रतिशत) महिलाएं कुल 5,609 लाभार्थियों के मुकाबले वर्ष 2014–15 में 125 शिविरों में 2,401 (63.80 प्रतिशत) पुरूष तथा 1,362 (36.20 प्रतिशत) महिला लाभार्थी कुल 3,763 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

9. ADIP SSA CAMP

Under ADIP-SSA Scheme, 1,310 camps were organized in which 51,200 male (64.06%) and 28,726 (55.94%) female totaling to 79,926 beneficiaries equipment-wise in the Financial Year 2015-16 for children with special needs in the age group of 06-14 years were served covering 20 States/UTs, as against 47,237 (63.23%) male and 27,467 (36.77%) female totaling to 74,704 CWSN served in 1,189 camps during the Financial Year 2014-15. Further, during the financial year 2014-15 13,695, numbers of beneficiaries were given more than one assistive device/artificial limb/caliper which was considered total beneficiaries works out to 88,399.

Out of 1,310 camps, 171 camps were conducted in the year 2015-16 were held in North Eastern States covering 3381 (60.28%) males and 2,228(39.72%) females totaling 5609 beneficiaries as against 125 No. of camps covering 2,401 (63.80%) male and 1,362 females (36.20%) beneficiaries totaling to 3,763 beneficiaries in the Financial year 2014-15.

Year wise Number of Beneficiaries served under ADIP SSA in the last Five Years

10. लिंग के अनुसार एडिप और एडिप–एस एस ए शिविर

कुल मिलाकर वर्ष 2014–15 में एलिम्को द्वारा एडिप और एडिप सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत 1494 शिविरों में 98,481 (67.69 प्रतिशत) पुरूष तथा 46,988 (32.31 प्रतिशत) महिला कुल 1,45,469 लाभार्थियों के मुकाबले इस वर्ष 2015–16 में 1697 शिविरों द्वारा 1,38,669 (69.98 प्रतिशत) पुरूष एवं 59,491 (30.02 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया।

11. द्विपक्षीय गतिविधियाँ

वर्ष 2015–16 के दौरान निगम द्वारा द्विपक्षीय समझौते के तहत इंडो–यूएस / यूके / स्वीडन / स्विस / जर्मनी से 2.424 मैट्रीक टन आयात किया गया। जबकि वर्ष 2014–2015 में रिलीफ कार्गो का आयात शून्य किया गया।

10. GENDERWISE ADIP AND ADIP SSA CAMP

ALIMCO has organized 1697 camps and covered 138669 (69.98%) males and 59491 (30.02%) females beneficiaries equipment wise (total 198160 beneficiaries) under the ADIP as well as ADIP-SSA Scheme in 2015-16 as against 98,481 (67.69%) males and 46,988 (32.31%) (total 1,45,469 beneficiaries) covered in the year 2014-15 through 1494 camps.

11. BILATERAL ACTIVITIES

Corporation has cleared and handled 2.424 MT of relief cargo imported under Indo US/UK/ Sweden/Swiss/Germany Bilateral Agreement during the year 2015-16 as against Nil cargo cleared and handled during the year 2014-15.

12. नये उत्पादों का विकास

(अ) रेट्रो फिटमेंट किट सहित होंडा एक्टिवा 3जी स्कूटी

यह रेट्रो फिटमेंट किट आसानी से स्कूटी में जुड़ सकती हैं तथा स्थानीय किसी मैकेनिक द्वारा इसकी मरम्मत की जा सकती है तथा यह दिव्यांगजनों को समतल सड़क के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतआरामदायक सवारी प्रदान करती है।

12. NEW PRODUCTS DEVELOPMENT

(A) HONDA ACTIVA 3G SCOOTY WITH RETRO FITMENT KIT

This Retro Fitment kit can be easily fitted to Scooty and can be repaired by any local Mechanic and it provide very comfortable ride to physically challenged person on plane road as well as in hilly area.

HONDA ACTIVA 3G SCOOTY WITH RETRO FITMENT KIT

Overall Dimensions of Retro Fitment Kit:-

Length	:	1085 mm
Width	:	1165 mm
Height	:	530 mm
Wheel Size	:	3.5-10

Retro Fitment kit for Two Wheeler (ACTIVA 3G)

(ब) रेट्रो फिटमेंट किट सहित टी वी एस पेप + स्कूटी

यह रेट्रो फिटमेंट किट आसानी से स्कूटी में जुड़ सकती हैं तथा स्थानीय किसी मैकेनिक द्वारा इसकी मरम्मत की जा सकती है तथा यह दिव्यांगजनों को समतल सड़क के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आरामदायक सवारी प्रदान करती है।

(B) TVS PEP+ SCOOTY WITH RETRO FITMENT KIT

This Retro Fitment kit can be easily fitted to Scooty and can be repaired by any local Mechanic and it provide very comfortable ride to physically challenged person on plane road as well as in hilly area.

TVS PEP+SCOOTY WITH RETRO FITMENT KIT

Retro Fitment Kit For
Two Wheeler (TVS PEP+)

Length	:	920 mm
Width	:	975 mm
Height	:	485 mm
Wheel Size	:	2.75-10

(स) रेट्रो फिटमेंट किट सहित टीवीएस वैगो स्कूटी

यह रेट्रो फिटमेंट किट आसानी से स्कूटी में जुड़ सकती हैं तथा स्थानीय किसी मैकेनिक द्वारा इसकी मरम्मत की जा सकती है तथा यह दिव्यांगजनों को समतल सड़क के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आरामदायक सवारी प्रदान करती है।

(C) TVS WEGO SCOOTY WITH RETRO FITMENT KIT

This Retro Fitment kit can be easily fitted to Scooty and can be repaired by any local Mechanic and it provide very comfortable ride to physically challenged person on plane road as well as in hilly area.

TVS WEGO SCOOTY WITH RETRO FITMENT KIT

Retro Fitment Kit For Two Wheeler (TVS WEGO)

Length	:	920 mm
Width	:	975 mm
Height	:	485 mm
Wheel Size	:	2.75-10

(द) फोल्डेबल वॉकर (एम एस)

यह एक फोल्डेबल वॉकर हैं तथा अस्थि बाधिता प्रयोगकर्त्ताओं हेतु बहुत आरामदायक है तथा इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

(D) WALKER FOLDABLE (MS)

It is foldable walker and very comfortable for Orthopedically impaired user and also can be easily carried out from one place to another.

Overall Dimensions:

Length	:	595 mm
Width	:	595 mm
Height	:	890 mm

(द) फोल्डेबल वॉकर (ए एल)

यह एक फोल्डेबल वॉकर हैं तथा अस्थि बाधिता प्रयोगकर्त्ताओं हेतु बहुत आरामदायक है तथा इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

(D) WALKER FOLDABLE (AL)

It is foldable walker and very comfortable for orthopedically impaired user and also can be easily carried out from one place to another.

Overall Dimensions:

Length	:	585 mm
Width	:	550 mm
Height	:	825 mm

13. आई.एस.ओ. 9001–2008 प्रमाणीकरण

निगम ने अपने गुणवत्ता प्रबंधतंत्र के दस्तावेजों को आईएवसओ 9001:2008 के संस्करण के अनुकूल सफलताओंपूर्वक आधुनिकीकरण में बदल दिया है। आने वाले प्रभावी तीन वर्षों तक 29 जुलाई 2014 से 28 जुलाई, 2017 तक के लिए आईएसओ का नवीनीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया था तथा लाइसेंस प्राप्त हो गया है।

13. ISO 9001:2008 CERTIFICATION

The Corporation updated its Quality Management System documents and successfully obtained ISO 9001:2008 license. The renewal audit was successfully completed and license renewed for a further period of three years i.e. with effect from 29th July 2014 to 28th July 2017.

14. एल्मिको के उत्पादों पर आई. एस. आई. चिन्ह

हम गुणवत्ता कार्यक्रमों महत्वपूर्ण निवेश के जरिये अपने प्रिय ग्राहको को प्रदायगी का हमारा कार्य सतत् चल रहा है। हमने अनेक बाहरी बैचमार्क तथा प्रमाणन को अपना लिया है। निगम ने एल्मिको द्वारा विकसित तथा उत्पादित सर्जीकल जूते, ट्राईसाईकिल (बच्चा आकार) तथा मोटरीकृत व्हील चेअर के मामले में भारतीय मानक को तैयार करने हेतु भी अपना लिया है। भारतीय मानक ब्यूरों लखनऊ शाखा ने आई एस 16127 : 2013 के अनुसार कान के पीछे श्रवण सहायक डिजिटल हेतु आईएसआई चिन्हित लाईसेंस प्रदान किया है। अब, निगम के पास 18 श्रेणी के उत्पादों पर आई एस आई चिन्हित हेतु बीआईएस का लाइसेंस है तथा सभी लाइसेंसों की वर्षानुवर्ष समीक्षा की जाती है।

14. ISI MARKING ON ALIMCO PRODUCTS

We continue our journey of delivery values to our esteemed clients through significant investment in quality programs. We have adopted several external benchmarks and certification. The Corporation has also applied for formulation of Indian Standard in case of Surgical Boots, Tricycle (child size) and Motorized Wheel Chair developed and produced by ALIMCO. Bureau of Indian Standards, Lucknow Branch office has granted ISI Marking License on Behind the Ear Hearing Aid-Digital as per IS: 16127:2013. Now the Corporation holds licenses by BIS for ISI marking on 18 category of products and all licenses are reviewed on year to year basis.

15. औद्योगिक सम्बन्ध

निगम में औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण अत्यन्त शान्त, स्वस्थ और सहज व सुचारू रहा है। निगम ने सहकारी भाव की संस्कृति को अपने प्रबन्धन में और जारी रखने को प्रोत्साहित किया है तथा सलाह लेने की प्रक्रिया से सम्बन्धों को सामान्जस्य पूर्ण बनाने की पुरजोर कोशिश की है। वर्ष के दौरान निगम ने औद्योगिक सम्बन्ध की समस्या की कोई कमी नही होने के कारण से इस वर्ष किसी भी एक व्यक्ति के कार्य घण्टा के समय को नष्ट नहीं किया है।

15. INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations scenario in the Corporation has been peaceful, healthy and cordial. The Corporation continues to encourage participative culture in its management through consultative approach by establishing harmonious relations. The Corporation has not lost single man hour during the year due to any sort of Industrial Relation problem.

16. प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

प्रबन्धन में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दो शॉप–स्तरीय तथा तीन प्लांट स्तरीय समितियाँ श्रमिकों एवं प्रबन्धन की बराबर–बराबर भागीदारी में गठित की गयी हैं जो निगम में क्रियाशील हैं। यह समितियाँ, विषय–वस्तु पर शासकीय दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यरत हैं।

17. कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्य

अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु समुचित देखभाल के आशय से आपके निगम ने अनेकों कल्याणकारी कार्य अपने हाथ में लिये हैं जिसमें प्रबन्धन के साथ यूनियन पदाधिकारियों की बैठकें करना, 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष एवं 35 वर्ष अनवरत् सेवाकाल के उपरान्त सेवा उपहार प्रदान करना और सुरक्षात्मक कपड़ों/वर्दी आदि का वितरण करना शामिल है।

16. WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

With a view to have active participation of workmen in management, two Shop Level Committees and three Plant Level Committees with equal representation of workers and management are functioning in the Corporation.

17. WORKERS' WELFARE

Further, to look after employees' welfare, your Corporation has taken up series of welfare measures e.g. holding meetings of management with trade union office bearers, award of service gifts on completion of 15 years, 20 years, 25 years, 30 years and 35 years of service, and distribution of Protective Clothing/Uniform.

Shri D.R.Sarin CMD ALIMCO, presenting the gifts to the employees

18. जनशक्ति

आपके निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों की भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा समयपर निर्गत निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2016 को कर्मचारियों की कुल संख्या 301 थी।

18. MANPOWER

The directives given by the Government of India from time to time with regard to the recruitment of SC, ST and OBC are being fully observed in your Corporation. There is no backlog in any of the category. Total Number of employees as on 31st March 2016 stood at 301.

19. दिव्यांग कर्मचारी

एलिम्को विशेषरूप से 20 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देकर एक आदर्श नियोक्ता के रूप में साबित हुआ है, जिनमें एक नेत्रहीन दिव्यांग, 3 बधिर दिव्यांग और 16 शारीरिक दिव्यांग हैं जो कि कुल कमचारियों की संख्या का 6.64 प्रतिशत है जो कि पी. डब्ल्यूडी. अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार 03 प्रतिशत अनिवार्य प्रावधान है।

19. DISABLED EMPLOYEES

ALIMCO as a model employer especially for the disabled, total number of Disabled employees as on 31st March 2016 stood at 20 disabled personnel out of whom 01 is visually handicapped, 03 are hearing handicapped and 16 are orthopedically handicapped which today constitutes 6.64% of its total strength as against mandatory provision for 3% as per PwD Act 1995.

20. भूतपूर्व सैनिक

निगम ने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती हेतु नीतिगत प्राविधान लागू है। आपकी कम्पनी में 31मार्च, 2016 को 1 भूतपूर्व सैनिक कार्यरत हैं।

20. EX-SERVICEMAN

As per the policy, due reservation for recruitment of Ex-servicemen exists. At present your company has 01 Ex-servicemen on its rolls as on 31.03.2016.

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के कर्मचारीगण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के आरक्षण निर्देशों के अनुपालन का निगम अधिकतम प्रयास करता है। इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थान इन्हीं वर्गों से भरे जाते हैं।

21. SC/ST/OBC EMPLOYEES

In accordance with Government of India's directives in the matter of reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, the Corporation has been making sustained efforts to ensure that the posts of SC/ST/OBC are filled up by candidates belonging to respective category only.

22. अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस

निगम के विकलांग कर्मचारियों द्वारा निगम की प्रगति में किये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए 03 दिसम्बर, 2015 को ''अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस'' मनाया गया। प्रबन्धन ने दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा किये गये योगदान एवं अतिश्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर 21 विकलांगों को उनकी उत्कृष्ट–सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किये गये।

22. INTERNATIONAL DAY FOR PERSONS WITH DISABLITIES

Your Corporation celebrated "International Day for Persons with Disabilities" on 03 December, 2015 in recognition of contribution being made by the disabled employees for their share in the growth of the Corporation. Management appreciated the disabled employees for their outstanding work. Mementos were distributed to 21 disabled employees by the management in recognition of their services to the Corporation.

Shri M.S.Ray General Manager (F&A), addressing the employees of the Corporation on the occasion of International Day for PwDs.

23. राष्ट्रभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

सरकारी भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार और आधिकारिक भाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार के क्रियान्वयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार नीति के प्रावधानों के अनुरूप एलिम्को ने निगम में राजभाषा हिन्दी का पत्र और आत्मा में कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक कार्यक्रम गम्भीरतापूर्वक लागू किये जा रहे हैं। तिमाही हिन्दी की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को ऑनलाइन द्वारा समय पर भेजी जा रही है।

निगम के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभाओं के द्वारा आधिकारिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक पूरी तौर से जीवंत और कार्यात्मक एलिम्को आधिकारिक भाषा समिति जो निगम के सभी विभागाध्यक्षों के एक सदस्य के रूप में उनके विभाग का प्रतिनिधित्व हमारे अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रत्येक तिमाही समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें निगरानी और निगम में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति का आंकलन हमारे अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता के तहत किया जा रहा है।

विभिन्न पत्रों, कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएँ, विज्ञापन आदि द्विभाशी रूप में जारी किये गये हैं। सभी पत्रो को हिन्दी में स्वीकृत किया जाता है और उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। सभी नियमावली, प्रक्रियायें, विनियम द्विभाषी हैं। विभिन्न नीतियाँ भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हैं। निगम की योजनाओं के बारे में सभी मुद्रित सामग्री भी हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी प्रारूप और स्टेशनरी द्विभाषी हैं।

23. OFFICIAL LANGUAGE (HINDI) IMPLEMENTATION

In consonance with the provisions of the policy of Official Language Act 1963, and as per directions of Official language Implementation Department of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, ALIMCO is committed to the implementation of Rajbhasha Hindi in the Company in letter and spirit. The Annual Programme for every year is being implemented sincerely. The Quarterly Hindi Progress Reports are being sent to concerned authorities in time online.

All officers and employees of the Corporation are being encouraged for the use of Official Language through various Training programmes and seminars. A fully vibrant and functional ALIMCO official Language Committee has been constituted under the Chairmanship of our CMD, in which all the HODs of the Corporation represent their Department as a member of the Committee. The regular meetings of the Committee are being held every Quarter, wherein the monitoring and assessment of position of use of Official language in the Corporation is being done under the chairmanship of our CMD.

Various letters, office-orders, Circular, Tenders, Advertisements etc. are issued bilingually. All the letters received in Hindi are strictly replied in Hindi as per rules. All the Manuals, Procedures, Regulations are in bilingual. Various policies are also in Hindi and English both. All printed materials about the Schemes of the Corporation are also published in Hindi & English. All the Format and Stationary are bilingual.

24. मानव संसाधन एवं विकास

कंपनी अपने निपटान पर बौद्धिक पूंजी की गुणवत्ता हेतु अत्यधिक प्राथमिकता से जुडी है तथा विश्वास करती है कि उसके कर्मचारियों का ज्ञान तथा कौशल इसके कारपोरेट मिषन की उपलब्धियों हेतु कुंजी है। ऐलिम्को ठोस भर्ती नीति तथा व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली की धनी है। पिछले एक वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मानव संसाधन विकास पर ओर अधिक जोर दिया है। हम कौशल कार्यबल बनाने में पर्याप्त संसाधन लगा रहे है जो सदैव परिवर्तित कारोबार वातावरण द्वारा दिखाये गये मदों का मुकाबला करने तथा सदैव ग्राहक आधार वृद्धि की सेवा हेतु प्रस्तुत अवसरों का लाभ लेने के लिए सहज क्षमता रखती हो कंपनी अनेक प्रशिक्षण तथा विकास गतिविधियाँ आयोजित कर रही हैं जो बृहदतर संगठनात्मक प्रयोजन की ओर कर्मचारियों को पुनः उन्मुखी बनाने के अलावा किसी कौशल अंतर तथा तकनीकी अवरोध को दूर करने पर भी ध्यान दे रही है। प्रशिक्षण पर प्रबंधन का दृष्टिकोण कर्मचारी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है तथा व्यापक उत्पादक संसाधन बनाने में उनको समर्थ बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं के विषय निम्नानुसार है :–

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बंधित आंतरिक प्रशिक्षण।

(ख) 4 दिवसीय आंतरिक प्रशिक्षण कम्प्यूटर (सूचना प्रौद्योगिकी) संचालित किया गया। जिसमें निगम के 105 से भी अधिक कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया।

(ग) एल्मिको के आधुनिकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में निगम के 22 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

(घ) दिव्यांगजनों हेतु रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान पर एक दिवसीय कार्यशाला

(ड़) 9वां सरकारी प्रापण सम्मेलन जिसमें निगम की ओर से दो अधिकारी ने भाग लिया।

(च) गैर वित्तीय अधिकारियों हेतु वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(छ) दो दिवसीय आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम गुणवता एवं ग्राहक प्रसन्नता कार्मचारियों के प्रेरणा तथा मनोबल के लिए किया गया।

24. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Company attaches the highest priority to the quality of intellectual capital at its disposal and believes that knowledge and skill of its employees are the key to achievements of its corporate mission. ALIMCO has sound recruitment policy and comprehensive training system. During the past one year, your Company has laid greater emphasis on Human Resources Development. We have been devoting substantial resources on building a skilled workforce that has an innate capability to counter threats posed by ever changing business environment and to take advantages of opportunities presented to serve ever increasing customer base. The Company has been conducting various training and development activities which apart from reorienting the employees towards the greater organizational purpose, are also focusing on eliminating any skill gap and technical obsolescence. The managements' view on training is one of development of employee's overall personality and enabling them in becoming a vital productive resource. Subject of the training programmes/workshops are as under :

(i) One Day In house Training related to Right to Information Act.

(ii) Four Day In-house Training Programme on Computer (Information Technology) attended by more than 105 Numbers of employees of the Corporation.

(iii) One Day Training Program on Modernization of ALIMCO Attended by more than 22 Executives of the Corporation.

(iv) One Day workshop on special Recruitment drive to fill up the vacancies for Persons with Disabilities (PWDs).

(v) 9th Public Procurement Summit attended by the two executive of the corporation .

(vi) One Day Inhouse Training Programme on Finance for Non Finance Executives.

(vii) 2 Day In house Training Programme on Quality and customers delight employee motivation & morale.

Lecture being delivered by the Expert Trainer during In house Training on Right to Information Act 2005 conducted at ALIMCO HQ Kanpur

Lecture being delivered by the Expert Trainer during In house workshop on Computer (IT) Training organized at ALIMCO HQ Kanpur

25. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन

आपके निगम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया है जो सामान्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है ताकि उत्तरदायित्व का भाव व पारदर्शिता बनी रहे। कम्पनी ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समस्त प्रावधान लागू हों। निगम के कार्यों के साथ–साथ इसके पदाधिकारियो आदि का विवरण निगम की वेबसाइट (www.alimco.in) पर रखा गया है। अधिनियम के तहत आवश्यक निर्देश तैयार किया गया है और इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अधिनियम के तहत निगम ने भी महा प्रबन्धक (मार्केटिंग) अपील प्राधिकरण और वरिष्ठ प्रबंधक(कार्मिक एवं प्रशासन) को जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

25. IMPLEMENTATION OF RTI ACT, 2005

Your Corporation has implemented Right to Information (RTI) Act, 2005, which empowers the common citizen by providing access to information with a view to maintain accountability and transparency. The Company has always endeavored to ensure that various provisions of the RTI Act, 2005 are implemented. Details of Corporation's functions alongwith its functionaries etc. have been placed on Corporation's Website (www.alimco.in). Manual as required under the Act have been prepared and put on the Website. The Corporation has also designated GM (Marketing) as Appellate Authority and Senior Manager (P&A) as Public Information Officer as required under the Act.

26. सतर्कता गतिविधियाँ

निगम के कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने हेतु कर्मचारियों में ईमानदारी की संस्कृति विकसित एवं प्रोन्नत करने हेतु निगम का अपना एक सतर्कता प्रकोष्ठ है जिसक मुखिया मुख्य सतर्कता अधिकारी है। सतर्कता की दृष्टि से निगम द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नवत् हैं:–

(क) निविदा की पारदर्शी पद्धति का समाचार पत्रों और एलिम्को की वेबसाइट पर प्रकाशन/निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा का खोला जाना।

(ख) संवेदनशील विभागों में आकस्मिक और नियमित सतर्कता की जांच

(ग) मुख्यालय और सहायक इकाईयों में सुरक्षा संगठनों की स्थापना

(घ) मुख्य द्वार, एलिम्को प्रोस्थेटिक एवं आर्थेटिक केद्र, वेयरहाउस, जलपानगृह तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित सतर्कता जांच।

(ड़) विद्युत उपकरण विक्रेताओं/कार्य कराने वाले ठेकेदारों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।

(च) विक्रेताओं तथा ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का पूर्ण एंव सही मासिक भुगतान बैंक के द्वारा किया जा रहा है।

26. VIGILANCE ACTIVITIES

The Corporation has proper vigilance machinery headed by the Chief Vigilance Officer to ensure transparency and accountability in its functioning besides promoting a culture of honesty among its employees. Some of the major activities undertaken by the Corporation in respect of vigilance are as under:

(a) Transparent Open Tender Procedure with publication in news papers as well as website of ALIMCO including opening of tender in the presence of tenderers.

(b) Surprise and routine checks in the departments identified as sensitive.

(c) The security set up at Headquarters as well as its Ancillary Units has been established appropriately.

(d) Regular security checks are carried out at strategic places like Main Gate, APOC, Warehouse, Canteen and other important installations.

(e) Electronic payment to Venders/Job Work Contractors are done regularly.

(f) Monthly payment to all the workers, working under vendors/Job Work Contractors, are being made through bank to ensure full & correct payment.

Shri D.R.Sarin Chairman & Managing Director, addressing the Participants on the occasion of Vigilance Awareness Week

एलिम्को ने 26 अक्तूबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था। 26 अक्तूबर, 2015 को, निगम के सभी कर्मचारियों ने ईमानदारी तथा पारदर्षिता से कार्य करने के श्षपथ ग्रहण की। उसी दिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने मुख्य अतिथि श्री आर.एन. नायक, ओएसडी सीवीसी के साथ–साथ सरस्वती देवी को फूलमाला पहनाकर तथा दीप प्रज्जवलित करके समारोह का उद्घाटन किया था। निगम के सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने लगन, ईमानदारी तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। इस अवसर पर, श्री आर.एन.नायक, ओएसडी सीवीसी द्वारा ''श्रेश्ठ अभिशासन को एक औजार के रूप में निवारक सतर्कता'' पर एक बहुत मूल्यांकन व्याख्यान दिया।

27 अक्तूबर, 2015 को निगम में ''श्रेष्ठ अभिशासन के औजार के रूप में निवारक सतर्कता'' पर एक सेमीनार आयोजित की गयी थी। श्री ए.के.श्रीवास्तव मुख्य सर्तकता अधिकारी तथा सभी विभागाध्यक्षओं ने विस्तार से चर्चा की तथा अपने विचार व्यक्त किये। भ्रश्टाचार से बचने हेतु बड़ी जांचों तथा नियंत्रणों पर प्रकाश डालते हुए, श्री ए.के. श्रीवास्तव, सीवीओ ने निगम के सभी कर्मचारियों को ईमानदारी तथा पारदर्शिता के साथ अपना कार्य करने की सलाह दी। 28 अक्तूबर, 2015 को ''क्या प्रौद्योगिकी

ALIMCO celebrated Vigilance Awareness Week from 26th October 2015 to 31st October 2015. On 26th October, 2015, all the employees of the Corporation took pledge to work with honesty and transparency. On the same day Chairman & Managing Director along with chief gust Shri R.N.Nayak, OSD CVC inaugurated the proramme by garlanding Goddess Saraswati and lightened the lamp. In his address to all the employees of the Corporation, he insisted to work with sincerity, honesty and transparency. On this occasion a very valuable lecture on "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" was delivered by Shri R.N.Nayak, OSD CVC.

On 27th October, 2015, a Seminar on " Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" was organized in the Corporation. Shri A.K. Srivastava, Chief Vigilance Officer and all Heads of the Departments discussed in detail and expressed their views. Highlighting the major checks & controls to avoid corruption, Shri A.K. Srivastava, CVO, advised all the employees of the Corporation to perform their duties with honesty and complete transparency. On 28th October, 2015, a debate

भ्रष्टाचार से लड़ने में समर्थकारी के रूप में कार्य करती हैं'' विशय पर एक वाद–विवाद प्रतियोगिता आयेाजित की गयी थी जिसमें 14 कर्मचारियों ने भाग लिया था।

29 अक्तूबर, 2015 को आपूर्तिकर्त्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं की समस्याआं का पता लगाने के लिए एक सेमीनार आयोजित की गयी थी। कुछ सामग्री आपूर्तिकर्त्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं ने इसमें भाग लिया था तथा एल्मिकों की प्रपण व्यवस्था में पारदर्शिता तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार की उन्होंने प्रशांसा भी की। 30 अक्तूबर, 2015 को ''ग्राहकों की समस्याओं को संभालना'' विषय पर परस्पर विचार–विमर्शी सेमीनार आयोजित की गयी थी जिसमें एलिमकों के उत्पादों के उपयोगकर्त्ताओं (दिव्यांगजन) ने भाग लिया था तथा उन्होंने उत्पादों के संबंध में प्रसन्नता तथा संतोष जाहिर किया थ। इसके साथ ही उन्होंने एलिमकों द्वारा दिव्यांगजनों के लाभ हेतु प्रदान की जा रही सेवाओं की भी सराहना की। 31 अक्टूबर, 2015 को, श्री डी.आर.सरीन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वाद–विवाद प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेताओं को उपहार प्रदान कियें। समारोह में सभी विभागाध्यक्षों तथा निगम के अन्य–कर्मचारियों ने भाग लिया।

27. पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ

वर्ष 2015–16 के दौरान निगम ने निम्नलिखित पुरस्कारों को प्राप्त किया

1. एलिम्कों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर 03.12.2015 को चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में वर्ष 2015–2016 हेतु ''दिव्यांगजनों के क्षेत्र में काम कर रहे सर्वश्रेष्ठ संस्थान'' के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था।

2. एलिम्कों ने पीपुल फर्स्ट आर्गेनाइजेशन दिल्ली से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्यरत ''सर्वश्रेष्ठ संस्था 2015'' के रूप में नई दिल्ली में 05.12.2015 को अयोजित समारोह में'' विशेष रूप से योग्य प्राप्तकर्त्ता पुरस्कार, प्राप्त किया था।

3. एलिम्को ने मीडिया प्रेस क्लब द्वारा 03.06.2016 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ''नेशनल मीडिया रतन 2015'' पुरस्कार प्राप्त किया है।

competition on the topic "Can Technology act as enabler to Combat Corruption" was organized in which 14 employees participated.

On 29th October, 2015, a Seminar was conducted to find out the problems of suppliers and service providers was organized. Quite a few material suppliers and service providers participated and appreciated the transparency and ethical practices at ALIMCO in procurement. An interactive Seminar on "handling the Customers' Problems" was organized on 30th October, 2015, in which users of ALIMCO products (Persons with Disabilities) participated and expressed happiness and satisfaction about products and services being provided by ALIMCO for the benefit of PwDs. On 31st October, 2015, Shri D.R. Sarin, Chairman & Managing Director, presented gifts to the 1st, 2nd & 3rd winners of debate competition. The programme was attended by all the Heads of the Departments, Representatives of the Unions, and other employees of the Corporation.

27. AWARDS & REWARDS

The Corporation has received following awards during the year 2015-16:-

1. The Corporation has received the first prize as "Best Institute working in the field of Disabled Persons" for the year 2015-16 from Social Justice & Empowerment, Department of Govt. of Haryana in a ceremony held at Chandigarh on International Day for Disability on 03.12.2015.

2. The Corporation has received "Specially Abled Achievers Award 2015" as "Best Institution" working in the field of disabled persons from People First Organisation Delhi in a ceremony held on 05.12.2015 in New Delhi.

3. The Corporation has received "National Media Ratan 2015" Award from Media Press Club in a ceremony held on 03.06.2016 at New Delhi.

28. निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तारीख 17.12.2015 के आदेश के तहत, श्रीमती टी.सी.ए.कल्याणी को श्रीमती किरण पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के स्थान पर तारीख 18.11.2015 से अगले आदेशों तक एल्मिको के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया था।

28. DIRECTORS

Pursuant to Ministry of Social Justice and Empowerment Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities order dated 17.12.2015, Ms. T.C.A Kalyani had been appointed , as Director on the Board of Directors of ALIMCO with effect from 18.11.2015, till further order in place of Ms. Kiran Puri, JS & FA.

29. सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम कंपनी

कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ नहीं है अतः सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

29. SUBSIDIARY COMPANY / ASSOCIATE / JOINT VENTURE

The Company has no Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies as such the requirement of furnishing information relating to performance and financial position of the Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies is not applicable.

30. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई सामग्री परिवर्तन नहीं हुआ है न ही और प्रतिबद्धताओं इस रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत से हुई। इसके अलावा, कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तथा न कोई महत्वपूर्ण आदेश वित्त वर्ष के दौरान नियामक या अदालतों या अधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

30. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURING AFTER END OF THE FINANCIAL YEAR

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred from the end of the financial year 2015-16 till the date of this Report. Further, there was no change in the nature of business of the Company. No significant or material order has been passed by the Regulator or Courts or Tribunals during the financial year.

31. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन किए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण।

कंपनी द्वारा ऐसे में कोई जानकारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (छ) के प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य निकायों कॉर्पोरेट के लिए किसी भी ऋण और गारंटी नहीं दी है और न ही किसी में भी निवेश किया है।

31. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The Company has not made any investment, given any Loans and Guarantees to other bodies corporate during the financial year as such no information is required to be furnished0 in terms of the provisions of clause (g) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013.

32. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के कर्मचारियों का पारश्रमिक निर्धारित उप नियम (2) कंपनियों के नियम 5 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और वेतन) नियम, 2014 के सीमाओ, से अधिक नहीं है अतः अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

32. PERTICULARS OF EMPLOYEES

As none of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed sub-Rule (2) of Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the requisite information being inapplicable is not required to be furnished.

33. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राह्ययता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारी कंपनी ने प्रमुख जोर दिया है। ऊर्जा लागत अनुकूलन करने के लिए कम्पनी ने निर्माण कार्य के दौरान उचित ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रयत्न किया, ऊर्जा संरक्षण तकनीकी समावेश से संबंधित विवरण तथा विदेशी आय एवं व्यय सम्बन्धी विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ, कंपनियों (लेखा) नियम 2014 से सम्बन्धित आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के संलग्नक–1 है।

33. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Energy conservation continues to be an area of major emphasis in our Company. Efforts are made to optimize the energy cost while carrying out the manufacturing operations. The details relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo as per Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 are annexed hereto and form part of this Report as Annexure - I.

34. जमा

कंपनी द्वारा न ही कोई जमा स्वीकार किया है और न ही आलोच्य वर्ष के दौरान किसी सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण किया है।

34. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any public deposits during the year under review.

35. आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किया है। वर्ष के दौरान इस तरह के नियंत्रण का परीक्षण किया गया और डिजाइन या आपरेशन में कोई कमी नहीं है।

35. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to Financial Statements. During the year, such controls were tested and no reportable material

36. निदेशक के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 134 (5) के सन्दर्भ में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में है निगम के निदेशक द्वारा प्रमाणित करते हैं :–

(क) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा सम्बन्धी मानकों का महत्वपूर्ण विचलनों के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है।

(ख) निदेशकों ने लेखा सम्बन्धी उन नीतियों को चुना है और निरन्तर लागू किया है एवं ऐसे निर्णय व अनुमान किये हैं जो वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के क्रिया–कलापों तथा उसअवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि का सत्य एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करने के लिए उचित तथा विवेकपूर्ण है।

(ग) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अव्यवस्थाओं को रोकने व पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम के नियमानुसार पर्याप्त लेखा सम्बन्धी रिकार्ड बनाने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे ''सतत् क्रियाशील'' अवधारणा के आधार पर बनाये हैं।

(ड़) निदेशक द्वारा कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाया और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए पर्याप्त और प्रभावीढ़ग से काम किया।

च) निदेशक सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रभावीढ़ग से काम किया।

36. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors of the Company state in respect of the year ended 31st March 2016, that:-

(a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

(b) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period.

(c) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(d) The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

(e) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

(f) The Directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such system were adequate and operating effectively.

37. वार्षिक रिर्टन का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार तथा आवश्यक और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम , 2014, के नियम 12 (1) के अनुरूप इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिटर्न एम.जी.टी–9 उद्धरण संलग्नक–2 में है।

37. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As required pursuant to section 92(3) of the Company Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, an extract of Annual Return in MGT-9 as a part of this Annual Report as Annexure-II.

38. निदेशक मण्डल की सभाएं

निदेशक मण्डल की 09 सभाएं इस वित्तीय वर्ष में हुईं है। जोकि कॉर्पोरेट गवर्नर की रिपोर्ट में दर्शायी गयी है। जोकि इस वार्षिक प्रतिवेदन का एक भाग है। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निदेशक मण्डल की सभाओं के अवधि के मध्य के समय को ध्यान में रखा गया है।

39. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत कंपनी का दायित्व

काम के स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम में महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 जोकि 9 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित कर दिया गया था, इस अधिनियम के तहत, हर कंपनी की आवश्यकता है किसी भी महिला कर्मचारी का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर गौर करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करे। निगम के एक यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया है ।

40. निगम में सामाजिक कर्तव्यों के अन्तर्गत उत्तरदायित्व

एलिम्को एक अलाभकारी कम्पनी है जोकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व कं अधि. 1956 की धारा 25) में पंजीकृत है एवं यह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तथा यह विकलांगजन की सेवा में लगी हुई है। एलिम्को आय एवं व्यय विवरण बनाता है तथा व्यय पर आय का आधिक्य जिसे अधिशेष कहा जाता है, उसको कम्पनी के उद्देश्यों के पूर्ति में खर्च किया जाता है।

कंपनिज अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनिज (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 के साथ पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं डीपीई दिशा–निदेशों के प्रावधानों के अनुपालन में, बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार निगम की सीएसआर नीति के अनुसरण में विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने की योजना तैयार की हैं। कंपनी को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट www.alimco.in पर डाली गयी हैं। कंपनीज (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 का नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट संलग्नक–3 पर है।

38. MEETING OF THE BOARD

The Board of Directors duly met Nine times during the financial year the details of which are given in the Corporate Governance report that forms part of this Annual Report. The intervening gap between the meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

39. OBLIGATION OF COMPANY UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

In order to prevent sexual harassment of women at work place, a new act the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been notified on 9th December, 2013. Under the said Act, every company is required to set up an Internal Complaints Committee to look into complaints relating to sexual harassment at work place of any women employee. Corporation has set up a Sexual Harassment Committee.

40. ACTIVITIES UNDER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ALIMCO is a "not for profit" company registered under Section 8 of the Companies Act 2013[erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956] and working for noble cause of serving Persons with Disabilities. ALIMCO prepares statement of Income and Expenditure Accounts and any excess of income over expenditure i.e Surplus is to be utilized for fulfillment of the Company's objectives.

Pursuant to the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and The Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 read with various clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs & DPE Guidelines the Corporation has planned to undertake various activities as per the CSR Policy of the Corporation as approved by the Board. The Corporate Social Responsibility policy of the Company is posted on the Company's website, www.alimco.in. Pursuant to the Rule 8 of The Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 a report on CSR activities for financial year 2015-16 is annexed herewith as "Annexure III".

एलिम्को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनेक सीपीएसयू हेतु उनकी सीएसआर परियोजनाओं के भाग के रूप में सीएसआर कार्यान्वयन भागीदार के तौर पर कार्य कर रही हैं। निगम ने लाभ कमाने वाली सभी सीपीएसयू के साथ एलिम्को द्वारा सीएसआर दायित्वों के लिए मूल्यांकन और सहायता एवं सहायक उपकरणों को बाँटने की पहल की शुरूआत कर दी है। इस पहल के अन्तर्गत कम्पनी विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के लिये लागू करने वाली एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है यथा हिन्दुस्तान एरोनॉटिक लि0, भारत हैवी इल्ट्रीकल लि0, एनटीपीसी लि0, एनबीसीसी (इंडिया) लि0, नेशनल प्रोजेक्ट कंन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि0, रूलर इल्क्ट्रोफीसीएन कार्पोरेशन लि0, कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, मिश्रा धातु निगम लि0, इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन, न्यू इण्डियां इंश्यो. कं. लि., पॉवर ग्रिड कॉ. लि., राइट्स लि0, एसबीआई, रा. के. एवंफर्टि. लि. मजगाँव डॉक शिप बिल्डर्स लि0, पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लि0, इन्जीनियर इंडिया लि0 आदि में सीएसआर कर रहा है। इस वर्ष सीएसआर गतिविधियों में निगम द्वारा 79 कैम्पों के माध्यम से 20219 लाभार्थियों को लाभांकित किया गया है।

ALIMCO is working as CSR Implementation Partner for many CPSUs in empowering the PwD's as part of their CSR Projects. The corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSUs to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to PwD's. Against this initiative, Corporation could act as an implementing agency for CSR of various CPSUs like Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Heavy Electrical Limited, NTPC Limited, NBCC (INDIA) Limited, National Projects Construction Corporation Limited, Rural Electrification Corporation Limited, Container Corporation of India Limited, Mishra Dhatu Nigam Limited , Indian Railway Finance Corporation IRFC, New India Assurance Co Ltd, Power Grid Corporation Ltd, RITES Limited, State Bank of India, Rashtriya Chemical & Fertilizer Ltd, Mazgaon Docks Shipbuilders Limited, Power Finance Corporation Limited, Engineers India Limited etc. During the year, under CSR Activities, Corporation conducted 79 camps and served 20,219 beneficiaries.

Distribution of ALIMCO's Aids & Appliances under the CSR Project of Rural Electrification Corporation Limited at Rudraprayag (Uttarakhand) on 15.06.2015

Shri Dharmendra Pradhan Hon'ble Minister of State (independent Charge) for Petroleum and Natural Gas Distributing ALIMCO's Aids & Appliances under the CSR Project of Engineers India Limited (EIL) at Bhubaneswar, Odisha on 20.06.2015

Distribution of ALIMCO's Aids & Appliances under the CSR Project of Container Corporation of India Limited (CONCOR) on 08.07.2015

Distribution of ALIMCO's Aids & Appliances under the CSR Project of Indian Railway Finance Corporation (IRFC) at Hardoi (UP) on 17.12.2015

Shri Kalraj Mishra Hon'ble Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Distributing ALIMCO's Aids & Appliances under the CSR Project of National Small Industries Corporation Limited (NSIC) at Deoria (UP) on 27.03.2016

41. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संवैधानिक सम्परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक के द्वारा मेसर्स पी के जयपुरिया एण्ड कं0, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानपुर को निगम के संवैधानिक लेखा परीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये नियुक्त किया गया था। आपका निदेशक मण्डल उनके परामर्श, मूल्यवान सेवाओं, सहायता और सहयोग तथा वार्षिक लेखा–जोखा के समय पर पूरा करने के लिए उनको धन्यवाद देता है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी टिप्पणी संलग्नक–4 में रखा गया है।

41. STATUTORY AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2015-16

M/s. PEE Kay Jaipuria & Co., Chartered Accountants, Kanpur were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the Financial Year 2015-16 vide Comptroller & Auditor General of India .Your Board of Directors acknowledges their guidance and valuable services, help and co-operation and for the timely completion of Annual Accounts.

The comments of the Comptroller and Auditor General of India under the section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 are placed at Annexure- IV.

42. सचिवीय अंकेक्षण

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों तथा कंपनीज (प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कंपनी) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कंपनी के सचिवालयीन लेखा–परीक्षा करने के लिए श्री शिवकुमार गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को (पीसीएस पंजीकरण संख्या–7343) नियुक्त किया है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्नक 5 पर है।

42. SECRETARIAL AUDIT

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed Mr Shiv Kumar Gupta Practicing Company Secretary (PCS Registration No. 7343) for the financial year 2015-16 to undertake the Secretarial Audit of the Company. The Secretarial Audit Report is annexed herewith as "Annexure V".

43. निगमित अभिशासन

आपके निगम के निदेशक मण्डल निगम के मामलों की अखण्डता के सम्बन्ध में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। लोक उद्यम विभाग (डीपी.ई) ने सामूहिक शासन पर संशोधित दिशा–निर्देश कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005 जी एम दिनांक 14 मई, 2010 को जारी किया था। 23 जनवरी, 2014 को निगम के बोर्ड के निदेशकों की 144वीं बैठक हुई थी। जिसमें निगमित शासन के दिशा–निर्देशों को निगम में कार्यान्यवन के लिए संकल्प लिया गया है। आपके निगम ने डी.पी.ई. द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। निगमित अभिशासन के उच्चतम स्तर को बनाये हुए है।

43. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors of your Corporation believes in transparency, accountability and integrity in respect of affairs of the Corporation. Department of Public Enterprises (DPE) has come out with revised Guidelines on Corporate Governance vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM dated 14 May, 2010. A resolution has been passed in 144th meeting of Board of Directors of the Corporation held on 23rd January, 2014 adopting Guidelines of Corporate Governance for implementation in the Corporation. Your Corporation is in process of implementing various aspects of the said Guidelines. The Company has been maintaining the highest level of standards of Corporate Governance.

प्रबंन्धन विचार विमर्श विशलेषण रिर्पोट (संलग्नक–6) निगमित शासन पर प्रतिवेदन (संलग्नक–7) एवं पेशे में संलग्न कम्पनी सचिव द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र (संलग्नक–8) इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। निगमित अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, को निर्धारित प्रपत्र में अग्रसारित की जाती है।

44. आभार

आपका निदेशक मण्डल भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलागजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मण्डल इस अवसर पर अपने सम्मानित ग्राहकों, बैंकरों, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एवं सहयोगी संस्थाओं, अभिकर्ता तथा अन्य के प्रति भी उनके द्वारा जताए गए भरोसे और विश्वास के प्रति आभार प्रकट करता है।

आपका निदेशक मण्डल एलिम्को परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय सेवाओं के लिये उनकी सराहना करता है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
डी.आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

The Management Discussion & Analysis Report (Annexure-VI), Report on Corporate Governance (Annexure-VII) along with Certificate on compliance of conditions on Corporate Governance from Practicing Company Secretary (Annexure-IIIV) as required under the said guidelines is attached to this report. Quarterly and yearly compliance reports on Corporate Governance are being forwarded to Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment in the prescribed format.

44. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Board of Directors also acknowledges the valuable co-operation and support extended by the entire staff & officers of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.

Your Board of Directors also takes this opportunity to express their gratitude to their esteemed customers, bankers, suppliers, contractors, fabricating agencies, event managers, dealers and other associates for their trust and confidence in the Corporation and its activities.

Last but not the least your Board of Directors places on record their appreciation for the services rendered by the ALIMCO family members towards the incredible performance of their Corporation.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

D.R.SARIN
Chairman & Managing Director

संलग्नक–1

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राहयता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय :–

एलिम्को द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमः–

एलिम्को ने स्ट्रीट लाइट के लिए और दूसरे चरण में अपने कार्यालय की इमारत के लिए सौर ऊर्जा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेशः–

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कोई पूंजी निवेश ऊर्जा संरक्षण पर नहीं किया।

(ख) तकनीकी ग्राहयता

(i) तकनीकी ग्राहयता पर किए गये प्रत्यन

निम्नलिखित उत्पादों का विकास एलिम्को द्वारा किया गया है।

(अ) रेट्रो फिटमेंट सहित होंडा एक्टिवा 3जी स्कूटी

(ब) रेट्रो फिटमेंट किट सहित टीवीएस पेप़स्कूटी

(स) रेट्रो फिटमेंट किट सहित टीवीएस वैगो स्कूटी

(द) फोल्डेबल वॉकर (एमएस)

(ध) फोल्डेबल वॉकर (एएल)

(ii) उत्पाद सुधार/लागत में कमी/उत्पाद विकास या आयात विकल्प पहियो को विकास के लिए बैटरी द्वारा चलित ट्राइसाइकिल में निम्नलिखित उत्पादों में सुधार हुआ।

(क) बैट्ररी संचालित मोटराइज ट्राई साइकिल में दाहिने साइड पर पार्किग बेक्र की शुरूआत।

(ख) बैट्ररी संचालित मोटराइज ट्राई साइकिल में बैसाखी और लाठियों के आयोजन के लिए स्टैण्ड की शुरूआत।

ANNEXURE-1

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

(A) CONSERVATION OF ENERGY

(i) The steps taken or impact on conservation of energy :

ALIMCO has initiated the action of installing roof top solar power plant as an additional energy proposed to be used for the plant.

(ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy :

ALIMCO is also initiating the process of installing solar energy for street light & also for its office building in second phase.

(iii) The Capital investment on energy conservation equipments :

There is no capital investment on energy conservation equipment was made during the financial year 2015-16.

(B) TECHNOLOGY ABSORPTION

(i) The efforts made towards technology absorptions :

Following product has been developed by ALIMCO

(a) Retro Fitment kit for Two Wheeler (ACTIVA 3G)

(b) Retro Fitment Kit for Two Wheeler (TVS PEP+)

(c) Retro Fitment Kit for Two Wheeler (TVS WEGO)

(d) Walker foldable (MS)

(e) Walker foldable (AL)

(ii) The benefit derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution:

Improvement done in the following products:-

(a) Introduced Parking Brakes on right side to steady the Battery Operated Motorized Tricycle.

(b) Introduced stand for holding the Crutches & Sticks in the Battery Operated Motorized Tricycle.

(ग) ज्वाए स्टिक व्हील चेयर की ताकत बढ़ाने के लिए भारी शुल्क टेस्टर पहियों से बदलाव

(iii) आयातित प्रौद्योगिक के मामले में (पिछले तीन वर्ष के दौरान किया गया आयात)

(क) प्रौद्योगिकी का आयात– घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे प्रोस्थेटिक किट ऑटो बॉक हेल्थ केयर जर्मनी द्वारा

(ख) आयात का वर्ष – 2015–16

(ग) प्रौद्योगिकी का शोधन – आंशिक अवशोषित

(स) विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय

(i) निर्यात सम्बन्धी क्रियाकिलापः इस विषय को निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

(ii) कुल विदेशी मुद्रा का अर्जन

अ) विदेशी मुद्रा का अर्जन : रू. 1.88 लाख

ब) विदेशी मुद्रा में व्यय :

(i) आयात की सीआईएफ कीमत : रू. 13.84 लाख

(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं बिक्री उन्नयन : रू0 शून्य

(c) Replaced with heavy duty Front Castor Wheels in the Joy Stick Wheel Chair to increase the strength.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three year reckoned from the financial years:-

(a) The details of technology imported - Above Knee & Below Knee Prosthesis kit From OttoBock HealthCare, Germany

(b) The year of import - 2015-2016

(c) Whether the technology been fully absorbed - Partially absorbed

(C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

(i) Activities relating to export : This aspect has been referred in Directors' Report

(ii) Total foreign exchange used and earned :

(a) Earning in Foreign Exchange : Rs. 1.88 Lacs

(b) Expenditure in Foreign Exchange

(i) CIF value of imports : Rs. 13.84 Lacs

(ii) Books, Periodicals and Sales Promotion. : Rs. NIL

संलग्नक–2

प्रपत्र संख्या एम.जी.टी.–9
वार्षिक रिटर्न का सारांश
वित्तीय वर्ष 31.03.2016 की समाप्ति पर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबन्धतंत्र और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

1.	सी. आई. एन.	U85110UP1972NPL003646
2.	पंजीकरण तिथि	30.11.1972
3.	कम्पनी का नाम	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
4.	कम्पनी का श्रेणी / उपश्रेणी	सीमित अंशपूंजी वाली कम्पनी / कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 25) में लाइसेंस एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	जी. टी. रोड, कानपुर उत्तर प्रदेश Ph.: 91-512-2770172, 2770897, 2770817 Fax: 91-512-2770137, 2770870, 2770172 Toll Free No. 1800-180-5129 Web : www.alimco.in E-mail: alimco@alimco.in
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	असूचीबद्ध
7.	रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट यदि कोई है का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं है।

2. कम्पनी की मूल व्यापारिक गतिविधियाँ (कम्पनी की सभी व्यापारिक गतिविधियाँ कुल आर्वत सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है जैसा कहा गया है)

	मुख्य उत्पाद / सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का निक कोड	कम्पनी के कुल आवर्त का प्रतिशत
1	ट्राइसाइकिल	N.A.	30.44 %
2	व्हील चेयर	N.A.	16.23 %
3	बी. टी. आई. श्रवण–यंत्र एवं अन्य	N.A.	14.79 %
4	एमएसआईईडी किट्स	N.A.	10.80 %

3. अंशधारिता का आकार (समता अंश पूँजी का विघ्टन कुल साम्य अंश के प्रतिशत के अनुसार)

अ. श्रेणीवार अंशधारिता

अंशधारियों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ (31 मार्च 2015 को) में अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त (31 मार्च 2016 को) में अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिर्वतन
	डिमेट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	
अ. उन्नायक									
1. भारतीय									
अ. व्यक्तिगत / एच यू एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब. केन्द्र सरकार	0	19650	19650	100%	0	540997	540997	100%	0
स. राज्य सरका	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द. अन्य निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
य. बैंक / वित्तीय संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
र. अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उन्नायक की कुल अंशधारिता (अ)		**19650**	**19650**	**100%**		**540997**	**540997**	**100%**	
ब. सार्वजनिक अंशधारिता									
1. संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अ. मूचुअल फण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब. बैंक / वित्तीय संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स. केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द. राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
य. वेंचर पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
र. बीमा कम्पनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ल. विदेशी वित्तीय संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
व. विदेशी वेंचर पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श. अन्य (विशिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप–योग (ब)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2– असंस्थागत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अ. बाडी निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii. विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब. व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. व्यक्तिगत अंशधारकों के पास नमित भाग की अशंपूँजी रू 1 लाख तक है	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. व्यक्तिगत अंशधारकों के पास नमित भाग की अशंपूँजी रू 1 लाख से अधिक है	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स. अन्य विशिष्टि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवासी भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी कारपोरेट बाडीस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी नागरिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ट्रस्ट (न्याय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी बाडीस डी आर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप–योग (ब) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (ब)=(ब) (1)=(ब) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स– संरक्षक द्वारा रोके गये अंश जी. डी आर आर एस और ए डी आर एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (अ)+(ब)+(स)	0	19650	19650	**100%**	0	**540997**	**540997**	**100%**	0

(ब) प्रमोटर्स की अंशधारिता

क्र सं.	अंशधारकों का नाम	शुरूआती वर्ष अंशधारिता			वर्ष की समाप्ति पर अंशधारिता			इसे वर्ष की अंशधारिता के परिर्वतन का प्रतिशत
		अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत	गिरवी रख के अंशों का प्रतिशत	अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत	गिरवी रख के अंशों का प्रतिशत	
1.	Central Government (through President of India)	19650	100%	Nill	**540997**	100%	Nill	Nill

(स) प्रमोटर्स की अंशधारिता में परिर्वतन (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई परिर्वतन न हो)

इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रमोटर्स के अंशधारिता में कोई परिर्वतन नहीं हुआ। लेकिन ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज के परिर्वतन के परिणाम स्वरूप रू. 54,09,97,000 के सन्दर्भ में अधिकृत शेयर अंश पूंजी में से 5,21,347 समता अंश पूंजी का आवंटन जो कि 1000रू प्रति अंश था भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में हुआ

(द) 10 शीर्ष अंशधारकों की अंशधारिता

(निदेशक, प्रमोटर्स ओर जीडीआर और एडीआर होल्डर्स)

क्र. सं.	प्रत्येक 10 शीर्ष अंशधारकों की अंशधारिता	शुरूआती वर्ष अंशधारिता		संचयी अंशधारिता इस वर्ष	
		अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत	अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत
1.	शुरूआती वर्ष में	NIL			
2.	इस वर्ष कोई दिनांक सहित घटना / बढ़ना प्रमोटर्स अंशधारिता कारण के साथ (उदाहरण–आवंटन / हस्तान्तरण / बोनस / स्वीट समता आदि)				
3.	अन्तिम वर्ष में				

(य) मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों एवं निदेशकों की अंशधारिता

क्र. सं.	नाम	अंशधारिता		अंशधारिता में उतार–चढ़ाव	इस वर्ष की संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या शुरूआती / अन्तिम वर्ष में	कम्पनी के कुल अंकों का प्रतिशत		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंकों का प्रतिशत
1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी (भारत सरकार के नामित रूप में)	1	0.0050%		1	0.0050%
2.	श्री टी. सी. ए. कल्यानी (भारत सरकार के नामित रूप में)	1	0.0050%		1	0.0050%
3.	श्री डी. आर. सरीन	0	0.00%		0	0.00%

(फ) ऋणग्रस्तता – कम्पनी के ऋण इसमें अदत ब्याज/अर्जित लेकिन भुगतान योग शामिल नहीं है :

Rs. in Lacs

	सुरक्षित ऋण जिसमें जमा शामिल नहीं	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
1. प्रधान राशि	0	0	0	0
2. ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	0	0	0	0
3. ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान परिर्वर्तित ऋण				
अतिरिक्त	0	0	0	0
घटौती	0	0	0	0
शुद्ध परिर्वतन				
वित्तीय वर्ष के अन्तिम के ऋण				
(i) प्रधान राशि	0	0	0	0
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	0	0	0	0
(iii) ब्याज उपार्जित लेकिन भुगतान हीं	0	0	0	0
कुल (i)+(ii)+(iii)	0	0	0	0

IV. उच्च प्रबन्धकीय कार्मिकों और निदेशकों का पारिश्रमिक

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है (सरकारी कम्पनी) और कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार करती है। अतः नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण वित्तीय विवरण के नोट्स बनाने वाले भाग में दिया हुआ जो कि वार्षिक रिर्पोट का भाग है।

V. जुर्माना/दण्ड/अपराध में सम्मिलित

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु यहाँ कोई जुर्माना/दण्ड/अपराध नहीं है।

ANNEXURE-2

FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on financial year ended on 31.03.2016

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U85110UP1972NPL003646
2.	Registration Date	30.11.1972
3.	Name of the Company	Artificial Limbs Manufacturing corporation of India
4.	Category/Sub-category of the Company	Company Limited by Shares/Company licensed under Section 8 (Corresponding Section 25 of the Companies Act 1956) -Govt. of India Undertaking
5.	Address of the Registered office & contact details	G.T. Road Kanpur Uttar Pradesh Ph.: 91-512-2770172, 2770897, 2770817 Fax: 91-512-2770137, 2770870, 2770172 Toll Free No. 1800-180-5129 Web : www.alimco.in E-mail: alimco@alimco.in
6.	Whether listed company	Unlisted
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1	Tricycle	N.A.	30.44 %
2	Wheel Chair	N.A.	16.23 %
3	Hearing Aid-BTE & Others	N.A.	14.79 %
4	MSIED Kit	N.A.	10.80 %

III SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

A. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 31-March-2015)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2016)				% change during the year
	Demate	Physical	Total	% of Total Shares	Demate	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Central Govt	0	19650	19650	100%	0	540997	540997	100%	0
c) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Any other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total shareholding of Promoter (A)		**19650**	**19650**	**100%**		**540997**	**540997**	**100%**	
B. Public Shareholding									
1. Institutions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non Resident Indians	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overseas Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Nationals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Bodies - D R	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total (A+B+C)	0	19650	**19650**	**100%**	0	**540997**	**540997**	**100%**	0

B. Shareholding of Promoters :-

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the begining of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	Central Government (through President of India)	19650	100%	Nill	540997	100%	Nill	Nill

C) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

There was no change in the Promoter's shareholding during the financial year 2015-16 but there was issuance of 5,21,347 Equity share into Rs. 1,000/- each out of the unissued authorised share capital of the Company allotted as fully paid up Equity Shares in favour of the President of India against conversion of interest including penal interest element aggregating to Rs. 54,09,97,000/-

D. Shareholding Pattern of top ten Shareholders :
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the years		Shareholding at the end of the years	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the years	NIL			
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
3.	At the end of the years				

E. Shareholding of Directors and key Managerial Personal :

S. No.	Name	Shareholding		Increase / Decrease in Shareholding	Cummulative Shareholding during the year	
		No. of Shares at the beginning /end of the year	% of total shares of the company		No. of Shares	% of total shares of the company
1	Shri Awanish Kumar Awasthi (As Nominee of Govt.)	1	0.0050%		1	0.0050%
2	Ms. T.C.A Kalyani (As Nominee of Govt.)	1	0.0050%		1	0.0050%
3	Shri D.R. Sarin	0	0.00%		0	0.00%

F. INDEBTEDNESS - Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtendness
Indebtedness at the beginning of the				
financial year				
i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
Change in Indebtedness during the				
financial year				
* Addition*	0	0	0	0
* Reduction	0	0	0	0
Net Change				
Indebtedness at the end of the				
financial year				
i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)	0	0	0	0

IV. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

ALIMCO is a Central Public Sector Undertaking (Government Company) and the appointment of Chairman & Managing Director is made by the Government of India and is being paid remuneration as per terms of their appointment. The details in this regard are given in the Notes forming part of the financial statement which forms part of Annual Report.

V. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

There were no penalties/punishment/compounding of offences for the financial year ended 31st March 2016.

संलग्नक–3

सी एस आर गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, इसमें किये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा सीएसआर नीति परियोजनाएं अथवा कार्य वेब लिंक पर संदर्भित हैं। निगम की सीएसआर नीति को निगम की वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
2. बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति का गठन।
   i) श्री डी आर सरीन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
   ii) श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा निदेशक, एल्मिको – सदस्य
   iii) टी.सी.ए. कल्यानी संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा निदेशक, एल्मिको – सदस्य
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षो हेतु कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 2887.99 लाख रुपये था।
4. निर्धारित सीएसआर व्यय (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत)। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सी एसआर की ओर 57.76 लाख रुपये खर्च किये जाने की आवश्यकता है।
5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण

	सीएसआर परियोजना अथवा पहचानी गयी गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर होती है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम थे	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप–शीर्ष (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	रिपोर्ट तैयार किये जान तक संचयी व्यय	राशि खर्च की गयी प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिये
1	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शिविर को आयोजित करने तथा कानपुर एवं निगम के एएपीसी/आस–पास के क्षेत्रों सहित आस–पास के क्षेत्रों में सोलर लाल्टेन के वितरण के लिए	स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय बनाये रखने को बढ़ावा देना।	शून्य	30.00	शून्य	शून्य	शून्य
2	दिव्यांग खिलाड़ियों जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहें है तथा कानपुर एवं निगम के एएपीसी/आरएमसी के आस–पास के क्षेत्रों सहित आस–पास के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ाने हेतु प्रावधान	खिलाड़ियों को बढ़ावा देना तथा व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना	शून्य	27.76	शून्य	शून्य	शून्य

6. यदि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत अथवा उसके किसी भाग को खर्च करने में असफल हो जाती हैं तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि को खर्च न करने के कारणों को बतायेग। आवंटित निधियों का समय की कमी के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2016 तक पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ था। खर्च न की गयी निधियों को अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जायेगा
7. सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व पूर्ण कथन कि सीएसआर नीति पर निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देशों तथा नीति के अनुपालन में है।

ANNEXURE-III

REPORT ON CSR ACTIVITIES

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

   The Corporation's CSR policy has been uploaded in the website of the Corporation.

2. The Composition of the Board level CSR Committee.

   (i) Shri D.R.Sarin, - Chairman (Chairman & Managing Director)

   (ii) Shri Awanish Kumar Awasthi, - Member (JS DEPwD, MoSJE & Director ALIMCO)

   (iii) Ms. T.C.A Kalyani, - Member (JS & FA (DEPwD, MoSJE & Director ALIMCO)

3. Average net profit of the company for last three financial year's Average net profit Rs. 2887.99 Lakhs

4. Prescribed CSR Expenditure (two percent of the average net profit of the last three financial years)

   The Company during the financial year 2015-16 is required to be spent Rs. 57.76 lacs Lakhs towards CSR.

5. Details of CSR spent during the financial year.

	CSR Project or activity dentified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2)Specify the State and district where projects or programs was	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub- heads: (1)Direct expenditure on projects or programs.	Cumulative Expenditure upto to the reporting period.	Amount spent: Direct or through Implementing agency
	Organizing Primary Health care Camps and Distribution of Solar lantern in Kanpur and nearby areas including nearby areas of AAPC/ RMCs of the Corporation.	Promoting Health and Environmental Sustainability	Nil	30.00	Nil	Nil	Nil
	Provision for promoting disabled Sports persons who are participating national/ International level and Skill Development Programme in Kanpur and nearby areas including nearby areas of AAPC/RMC of the Corporation.	promoting Sportspersons and Enhancing Vocational Skills	Nil	27.76	Nil	Nil	Nil

6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report :-

   The allocated funds was not utilized fully in the current FY upto 31st March 2016 due to constraint time The Corporation will execute and utilize unspent funds in the next Financial Year.

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

संलग्नक–4

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली

No.6-PDCA-IV/Acct/NZ/ALIMCO/M.F./2016-17/3081
दिनांक 19.08.2016

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर–209217

विषय : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय से संबन्धित इस कार्यालय का पत्र सं. No.6-PDCA-IV/Acct/NZ/ALIMCO/M.F./2016-17 दिनांक 19.08.2016 इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय
ह0 / .
(गीता नारायन)
व0 लेखा परीक्षा अधिकारी मुख्यालय

संलग्न : यथोपरि

ANNEXURE-IV

Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member,
Audit Board-IV, New Delhi

No.6-PDCA-IV/Acct/NZ/ALIMCO/M.F./2016-17 /3081
Date : 19-08-2016

To,
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited
G.T.Road, Kanpur-209217

Sub : Comments of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India for the year ended 31st March 2016.

Sir/Madam

Enclose herewith the letter No. No.6-PDCA-IV/Acct/NZ/ALIMCO/M.F./2016-17 of the this office dated 19.08.16 on the above subject for the necessary Action.

Encl. As above

Your faithfully,
Sd/-
(Gita Narayan)
Senior Account Audit Officer (Head Office)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली

No.6-PDCA-IV/Acct/NZ/ALIMCO/M.F./2016-17/3081
दिनांक 19.08.2016

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर–209217

विषय : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी

श्रीमान,

मैं कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

उपरोक्त संलग्न

भवदीय
ह0/.
(डा. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य,लेखा परीक्षा बोर्ड'- IV, नई दिल्ली

Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member,
Audit Board-IV, New Delhi

No.6-PDCA-IV/Acct/NZ/ALIMCO/M.F./2016-17 /3081
Date : 19-08-2016

To,
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited
G.T.Road, Kanpur-209217

Sub : Comments of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India for the year ended 31st March 2016.

Sir

I am enclose herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31st March 2016.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Encl. As above

Your faithfully.
Sd/-
(Dr. Ashutosh Sharma)
Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-IV,

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लेखों पर भारत के नियंन्त्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित वित्तीय सूचना के निर्धारित प्रारूप के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व निगम के प्रबन्धक का है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत तैयार किये गये इन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी करने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 में नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक की है। जोकि स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है और अधिनियम की धारा 143 (10) के अनुरूप है। यह उनकी मानकों के अनुरूप है। यह उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 और अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुशेष जोकि दिनांक 11.08.2016 के द्वारा कर लिया गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय लेखों का कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(ए) के अनुसार पूरक अंकेक्षक किया। यह पूरक अंकेक्षक संवैधानिक अंकेक्षको के कार्य प्रपत्रों के देखे बगैर किया गया है तथा संवैधनिक अंकेक्षकों की सीमित पूँछताछ एवं कम्पनी के कर्मचारियों तथा कुछ लेखा प्रपत्रों की चयनित परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखा अंकेक्षण में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जो मेरी जानकारी में आया है। मेरे विचार में कोई टिप्पणी या वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट के पूरक हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.08.2016

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
भवदीय
ह0/.
(डा. अशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF THE INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

The preparation of financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of the India for the year ended 31 March 2016 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act. 2013 (Act.) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28.06.2016 and addendum report 11.08.2016

I on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143 (6) (a) of the Act of the financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently with out assess to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India,

Place : New Delhi
Date : 19.08.2016

Sd/-
(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-IV

संलग्नक–5

सी एस शिव कुमार गुप्ता

एफ.सी.एस., एम.कॉम., एल. एल. बी.

105, लिविंग स्टाइल मॉल, जसोला, नई दिल्ली–110025
फोन : 9811032875, 011–43047616
E-mail : shiv3009@gmail.com, shiv1gupta@yahoo.com

6 जून 2016

प्रपत्र सं. एमआर–3
सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनीज
(नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली–2014 के नियम–9 के अनुसरण में,

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जीटी रोड, कानपुर–209217, उ.प्र.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा स्वैच्छिक आधार पर वित्तिय वर्ष 31 मार्च 2016 के लिए नियुक्त किया गया (यहां उसे कंपनी कहा गया) जोकि सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ कारपोरेट व्यवहारों के लिए उचित है।

हमनें 31 मार्च 2016 को को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ कारपोरेट व्यवहारों हेतु सचिवीय अंकेक्षण रिर्पोट आयोजित किया है। सचिवालय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया था जो हमें कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यकांन हेतु तथा उस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कंपनीज अधिनियम (कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुकूल) की धारा –8 के तहत लाइसेंस धारण करने वाली कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा–2 (45) के अर्थों में एक सरकारी कंपनी हैं तथा वह कंपनीज अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूटों तथा विशेष सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

सचिवीय अंकेक्षण रिर्पोट के आयोजन के दौरान कंपनी को किताबों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दायर की गयी विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों तथा कंपनी द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित हमारे सत्यापन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने इसमें सूचीबद्ध साविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया हैं तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाऐं तथा अनुपालन–तंत्र हैं जो इस प्रकार, सीमा के स्थान पर तथा आगे चलकर की गयी रिपोर्ट के अधीन आते है।

हमने लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा रखी जा रही किताबों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्न के प्रावधानों के अनुसार जांच की है:–

- कंपनीज अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनी नियमावली।
- केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
- सेवाकर नियमावली
- आयकर अधिनियम, 1961
- लोक उगम द्वारा जारी दिशा निर्देश
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- प्रशिक्षुता अधिनियम,1961
- संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम
- कारखाना अधिनियम, 1948
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण), अधिनियम, 1981
- पर्यावरणीय संरक्ष्ण अधिनियम, 1986
- जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली विनियमन दिशा–निर्देश मानकों आदि का अनुपालन किया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने तारीख 05.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्त सहित कंपनीज अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने से धारा 8 से छूट प्रदान की गयी थी जबकि एल्मिको लाभ न कमाने वाली कंपनीज अधिनियम, 2013 (कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 25) की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन कर लिये गये थे।

सभी निदेशकों को पर्याप्त समय पूर्व कम से कम 7 दिन पहले बोर्ड की बैठक से, कार्य सूची, तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप में नोटिस भेजे गये थे तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेने की वर्तमान प्रणाली है। बोर्ड बेठकों तथा समिति बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों को, निदेशक मंडल अथवा मंडल की समिति की बैठकों, के दर्ज कार्यवृत्त के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, निर्विरोध लागू किया जाता है।

मैं आगे सूचित करता हूँ कि कंपनी के आकार तथा परिचालन के अनुसार लागू विधियों, नियमावलियों, विनियमों तथा दिशा निर्देशों पर निगरानी करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली तथा प्रक्रियाएं मौजूद है।

शिव कुमार गुप्ता

ह0/–
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता सं.– एफसीएस 1633
सीपी नं–7343

ANNEXURE-V

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March, 2016
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

To
The Members,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India,
GT Road, Kanpur- 209217, U.P.

We are appointed by the Board of Director of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (hereinafter called the "company) on a voluntary basis for the financial year ended 31st March, 2016 as it provides and independent assurance of the compliance in the company for Good Corporate Governance Practices.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by by the company for the financial year ended 31st march 2016 secretarial audit was conducted in manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conduct / statutory compliance and expressing our opinion thereon.

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013 holding License under Section 8 of the Company Act (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) and is entitled to exemptions and privileges under various provisions of the Companies Act 2013.

Based on our verification of the company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2016 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company during the audit period according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder;
- Central Sales Tax Act, 1956;Service Tax Rules;
- Income Tax Act, 1961;
- DPE guidelines;
- Payment of Wages Act, 1936;
- Employees Provident Fund & Miscellaneous provision Act, 1952;

- Apprentices Act, 1961;
- Contract Labour (Regulation & Abolition) Act;
- Factories Act, 1948;
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981
- Environment Protection Act, 1986
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- The Right to information Act, 2005

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide notification dated 05.06.2015, had exempted Section 8 companies, from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 including Appointment of Independent Directors, Whereas ALIMCO is not Profit making company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (erstwhile Section 25 of Companies Act, 1956).

The changes in the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the order of Government of India.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Sd/-
Shiv Kumar Gupta
Practising Company Secretary
Membership No. FCS 1633
CP No. 7343

संलग्न–6

ANNEXURE-VI

प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. कम्पनी व उद्योग एक परिचय

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अनुसूची सी में, एक मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय मे शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए) अन्तर्गत पंजीकृत है (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति जिनके पास 100 प्रतिशत अंश के साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय विकंलाग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवास यंत्र एवम् सहायक उपकरण के निर्माण से और देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुर्नवास यंत्र की उपलब्धिता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकास के द्वारा अधिकतम सीमा तक सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। लाभप्रदता निगम का उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर विकलांग व्यक्तियों को बढ़ी संख्या में बेहतर गुणवत्ता वाले यंत्र एवं उपकरण प्रदान करना है। निगम द्वारा कृत्रिम अंगों के उत्पादन का कार्य सन् 1976 से आरम्भ किया था। निगम की कुल चार सहायक उत्पादन केन्द्र जो कि भुवनेश्वर (उड़ीसा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बैंगलूरू (कर्नाटक) और चनालोन (पंजाब) में स्थित है इसके अतिरिक्त निगम के चार क्षेत्रीय विपणन केन्द्र है। जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद स्थित है तथा निगम का एक आउटरीच सेन्टर जो कि गुवाहाटी में स्थित है।

2. एल्मिको की उन्नति–एक संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कम्पनी ने रुपये 189.36 करोड़ रुपये का टर्न–ओवर और 46.20 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के 162.70 करोड़ रुपये के टर्न ओवर तथा 31.65 करोड़ रुपये के अधिशेष था।

3. क्षमता एवं दोष

(अ) क्षमता :–

(i) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निशक्तजन सहायता योजना (एडिप) के लिए 1981 से निरन्तर कार्य करने वाला प्रमुख संस्था।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. About the Company and the Industry

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit motive) of the Companies Act 2013, (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the administrative Control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. It is 100% owned Govt. of India Central Public Sector Enterprises. with an objective of benefiting the disabled persons to the maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation Aids to the disabled persons of the country. Profitability is not the motive of the operations of the Corporation and its main thrust is in providing better quality of Aids & Appliances to larger number of disabled persons at reasonable price. The Corporation started manufacturing artificial aids in 1976. It has four Auxiliary Production Centres (AAPCs) situated at Bhubaneswar (Orissa), Jabalpur (M.P.), Bengaluru (Karnataka), and Chanalon (Punjab). The Corporation has four Marketing Centres at New Delhi, Kolkata, Mumbai, & Hyderabad and one Outreach Centre at Guwahati.

2. Growth of ALIMCO -an overview

During the Financial year 2015-16, the company has achieved a turnover of Rs 189.36 crores as against Rs. 162.70 crores in 2014-15 and earned surplus of Rs 46.20 crores as against Rs. 31.65 crores earned surplus in the year 2014-15.

3. Strengths and Weaknesses

(A) Strengths

(i) Major implementing agency of the Government of India Scheme "Assistance for Disabled Persons(ADIP)" of Ministry of Social Justice & Empowerment since 1981.

(ii) भारत सरकार की योजना सर्व शिक्षा अभियान (एडिप (एस. एस. ए.) के अन्तर्गत निशक्तजन सहायता उपलब्ध कराने वाली एकमात्र संस्था।

(iii) उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध परिदृश्य

(ब) दोष :–

(i) 44 वर्ष पुराना निगम

(ii) सम्पूर्ण उद्यम एवं संयंत्र, आधारभूत सुविधाएं, सहायक सेवाएं, भवन इत्यादि 30 से 35 वर्ष पुराने हो गये है और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी सुविधाओं के पुनर्नवीनीकरण, पुनर्निमाण, बदलाव और मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है जिसके अभाव में निगम का कार्य अवरुद्ध हो सकता है. हालांकि अब निगम द्वारा प्रतिष्ठित आधुनिकीकरण योजना की शुरूआत किया जा रहा जिसमें है आधुनिक अनुसंधान एवं विकास के द्वारा किफायती मूल्य पर उपकरणों के निर्माण और विश्व स्तर की गुणवत्ता एड्स और सहायक उपकरणों प्रदान करने के लिए जिसमें आर एण्ड डी केन्द्र का निर्माण शामिल है और जिससे आम लोगों के लिए कम लागत पर उपकरण प्रदान करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भारत सरकार की एडीप योजना द्वारा निःशुल्क उपकरणों को प्रदान करना शामिल है।

(iii) शोध एवं विकास इकाई पूर्णतया जर्जर हो चुकी है

(iv) निदेशक मण्डल में अद्यतन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई

4. अवसर

(i) तकनीकी रूप से उत्पादों के आधुनिकीकरण या उनमें सुधार होने पर उनके विपणन की अपार सम्भावनाएं हैं.

(ii) निगम का आधुनिकरण कार्यक्रम

(iii) व्यवसाय जगत से 'आर्थिक सामाजिक कर्तव्य' आधारित व्यापार की असीमित सम्भावनाएं हैं.

(iv) कुछ ToTs हस्ताक्षरित किये है जो कि लागू करने की प्रक्रिया में है।

(v) निर्यात बाज़ार की ओर उन्मुख होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी सम्भावनाएं हैं.

5. चुनौतियां

(i) सहायक उपकरणों के वितरण में निगम मुख्यतः सरकारी अनुदान पर निर्भर है जिसका निगम के आवर्त में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

(ii) Sole implementing agency of the Government of India Scheme "Assistance for Disabled Persons under Sarva Shiksha Abhiyan (ADIP-SSA)".

(iii) Good industrial relations scenario.

(B) Weaknesses

(i) 44 years old Corporation.

(ii) Total Plant & Machinery, infrastructure facilities, Auxiliary services, building etc. are 30 to 35 years old need to be renovated/ retrofitted/refurbished/replaced with latest modernized technologically advanced facilities, failing which the entire Corporation may come to stand still. However, now Corporation has embarked upon a prestigious modernization plan for creation of advanced facilities including modern R&D centre to manufacture and provide world class quality aids & assistive devices at an affordable price to common people and free of cost to economically weaker section of society under ADIP Scheme of the Government of India.

(iii) R& D set up is totally dismantled in the Corporation.

(iv) No induction of Independent Director on the Board till date by the Ministry.

4. Opportunities

(i) Lot of Scope available for marketing the products provided the products are technologically advanced/improved.

(ii) Modernization programme of the Corporation

(iii) Huge Scope of CSR business from Corporate Sectors.

(iv) A few ToTs are signed and in the process of implementation.

(v) Explore the Export market as there is good potential.

5. Threats

The Corporation is mainly depends on Govt. Grants for distribution of Aids & Assistive Devices which finally reckons on turnover of the Corporation.

6. कॉर्पोरेट जगत के आर्थिक–सामाजिक कर्तव्यों का साझीदार एल्मिको

निगम ने सभी लाभार्जक कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर इकाइयों एवं निजी कम्पनियों से सम्पर्क करने प्रारम्भ कर दिये हैं और प्रयासरत है कि एलिम्को के माध्यम व सहायता से वे कम्पनियाँ अपने आर्थिक–सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु मूल्यांकन, एवं वितरण द्वारा निशक्तजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करायें।

7. भविष्य पर दृष्टि

निगम का विश्वास है कि यह वर्ष दर वर्ष उन्नति के नये सोपानों पर चढ़ता रहेगा। भविष्य में एल्मिकों के उत्पादों के लिए सम्भावनाओं पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी किये गये अभियान ''मेक इन इंडिया'' के तहत बहुत उपयोगी होगा।

6. ALIMCO as CSR Implementation partner of Corporate Sector.

The corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSEs and Privates Companies to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to PwDs.

7. Future Outlook

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new height year by year. The Corporation reckons that the future prospects for their products arew very high under "Make in India" Campaign launched by his Excellency, Shri Narendra Modi the Hon'ble Prime Minister of India

संलग्न–7

ANNEXURE-VII

कारपोरेट गर्वनेंस पर रिपोर्ट

1.1 नियमित अभिशासन के दिशा निर्देशों कम्पनी का दर्शन

एलिम्को इस विचारधारा पर कार्य करता है कि अपने संचालन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करके निगम अपने अंशधारकों एवं सम्बन्धित हितधारकों के हितों की रक्षा कर सकेगा और इसी के साथ अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों का पालन भी कर सकेगा।

1.2 निदेशक मण्डल

दिनांक 31.03.2016 को आपके निगम का निदेशक मण्डल की श्रेणी एवं संरचना निम्नवत है–

(i) श्री डी.आर. सरीन : कार्यकारी निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(ii) श्री अवनीश कुमार अवस्थी : सरकार द्वारा नामित
संयुक्त सचिव
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

(iii) टीसीए कल्याणी : सरकार द्वारा नामित
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 COMPANY'S PHILOSOPHY ON GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

ALIMCO works on the philosophy that by following the guidelines in its functioning, the Corporation would protect the interest of shareholders and relevant stakeholders and also it would bring more transparency and accountability in its functioning.

1.2 BOARD OF DIRECTORS

The composition and category of Board of Directors of your Corporation as on 31.03.2016 is as under :

i) Shri D.R.Sarin : Functional Director
Chairman & Managing Director

ii) Shri Awanish Kumar Awasthi : Government Nominee
Joint Secretary Dept. of
Empowerment of Persons with
Disabilities (Divyangjan), Ministry
of Social Justice & Empowerment, GOI

iii) Ms. T.C.A. Kalyani : Government Nominee
Joint Secretary & Financial Adviser,
Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities
(Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI

1.3 निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सम्पन्न हुई मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	2015–16 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति 2015–16
1	श्री डी. आर. सरीन	9	9
2	श्री अवनीश कुमार अवस्थी	9	9
3	मिस किरन पुरी	5	5
4	मिस टी.सी.ए. कल्याणी	4	3

1.3 ATTENDANCE OF DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

The particular regarding attendance of Directors at Board meetings held during the financial year 2015-16 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	No. of Board Meeting held during the tenure (in 2015-16)	No. of Board Meeting held during attended (in 2015-16)
1	Shri D. R. Sarin	9	9
2	Shri Awanish Kumar Awasthi	9	9
3	Ms. Kiran Puri	5	5
4	Ms. T.C.A Kalyani	4	3

1.4. वित्तीय वर्ष में निदेशकों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2015–16 में निदेशक मण्डल में निदेशकों के परिवर्तन का विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	मिस किरन पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	04.06.2014	18.11.2015
2	मिस टी.सी.ए. कल्यानी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	18.11.2015	–

1.4 DIRECTOR- CHANGES DURING FINANCIAL YEAR

During the financial year 2015-16, following changes had taken place in the Board of Directors of the Corporation:-

Sl No.	Name of Director	Tenture	
		Date of Joining	Date of cessation
1	Ms. Kiran Puri, Joint Secretary & Financial Adviser, Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI	04.06.2014	18.11.2015
2	Ms. T.C.A. Kalyani Joint Secretary & Financial Adviser, Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI	18.11.2015	–

1.5 मण्डल की बैठकें कितनी और कब सम्पन्न हुई

वर्ष 2015–16 में निदेशक मण्डल की 09 बैठकें दिनांक 15मई 2015, 13 जुलाई 2015, 06 अगस्त 2015, 15 सितम्बर 2015, 03 नवम्बर 2015, 21 दिसम्बर 2015, 13 जनवरी 2016, 23 फरवरी 2016, तथा 30 मार्च 2016

1.5 NO. OF BOARD MEETINGS HELD, DATES ON WHICH HELD

During the year 2015-16, Nine Board meetings were held on 15th May, 2015, 13th July, 2015, 06th August, 2015, 15th September 2015, 03rd November 2015,21st December 2015, 13th January 2016, 23rd February 2016, 30th March 2016.

1.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति एवं सीएसआर समिति का गठन

एल्मिको कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा–8 (लाभ उद्देश्य से नही) (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा–25) के अन्तर्गत पंजीकृत है। कंपनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एवं कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए लेखा–परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति कर गठन किया है।

1.6 CONSTITUTION OF AUDIT COMMITTEE REMUNERATION COMMITTEE & CSR COMMITTEE

ALIMCO is a Non- Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Corporation has constituted Audit Committee, Remuneration Committee & CSR Committee.

1.7 वार्षिक साधारण सभा की बैठकें

(1) वार्षिक साधारण सभा की पिछली तीन बैठकों की तिथि, समय एवं आयोजन स्थल

(क) 42वीं वार्षिक साधारण सभा 15 सितम्बर 2015 को नई दिल्ली में अपराह्न 12:30 बजे सम्पन्न हुई थी।

(ख) 41वीं वार्षिक साधारण सभा 03 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली में अपराह्न 12:30 बजे सम्पन्न हुई थी।

(ग) 40वीं वार्षिक साधारण सभा 17 सितम्बर 2013 को नई दिल्ली में पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न हुई थी।

1.7 GENERAL BODY MEETINGS

(1) Date, Time and Venue of the last three AGMs :

(a) 42nd AGM held on 15th September 2015 at 12:30 PM at New Delhi.

(b) 41st AGM held on 03rd September 2014 at 12:30 PM at New Delhi

(c) 40th AGM held on 17th September 2013 at 1100 Hrs at New Delhi.

1.8 उद्घोषणाएं

निदेशकों के 'उत्तरदायित्व की घोषणा' में घोषित सूचनाओं के अतिरिक्त, विशेष लेखा नीतियों एवं बैलेन्स शीट के भागों में अन्य यथोचित उद्घोषणाएं की गई हैं।

1.8 DISCLOSURES

Apart from the disclosures covered in Directors' Responsibility Statement, suitable disclosures are also made in the significant accounting policies and notes to accounts forming part of the Balance Sheet.

1.9 व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी

व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी की रचना की गयी है और इसे निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

1.10 निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

डी.पी.ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों जोकि सार्वजनिक उपकर्मों में लागू निगमित शासन 2010 के अर्न्तगत है को कम्पनी ने अपने निदेशकों एवं उच्च अधिकारियों के सन्दर्भ में अपनाया है। आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों तो कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2015–16 की अवधि में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में घोषणा की है।

1.11 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए डी. पी. ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों–"Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010" के दिशा निर्देशों–DPE OM No. 18(8)/2005-GM,दिनांक 14 मई 2010 में जैसा कि वर्णित है, निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धनकारियों द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान व्यवसाय सम्बन्धी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों के अनुपालन करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है।

कृते भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लिए
ह0 –
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

1.9 WHISTLE BLOWER POLICY

Whistle Blower Policy has been formulated and posted on the website of the Company.

1.10 CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES

The Code of Conduct and Business Ethics as suggested by DPE in its Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010 has been adopted by the Company in respect of its Directors and Senior Level Executives. The Code has also been posted on the Company's Website. The Directors and the Senior Executives have given declarations affirming the compliance with the code of conduct during the year 2015-16.

1.11 DECLARATION BY CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

As provided under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs as contained in the DPE OM No. 18(8)/2005-GM, dated 14 May 2010, issued by Department of Public Enterprises (DPE), it is hereby declared that all Board Members and Senior Management Personnel affirmed compliance with "The Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India" for the year ended 31 March, 2016.

For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
Sd/-
D.R.SARIN
Chairman & Managing Director

संलग्नक–8

ANNEXURE-VIII

सी एस शिव कुमार गुप्ता

एफ.सी.एस., एम.कॉम., एल. एल. बी.

105, लिविंग स्टाइल मॉल, जसोला, नई दिल्ली–110025
फोन : 9811032875, 011–43047616
E-mail : shiv3009@gmail.com, shiv1gupta@yahoo.com

निगमित अभिशसन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर–209217

हमने भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए निगमित अभिशासन हेतु जारी मार्ग निर्देशिकायें 2010 में अनुबंध शर्तों जो अनुलग्नक में दर्शाया गया है के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। हमारा परीक्षण उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश में अनुबद्ध निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनायी गायी प्रक्रियाओं तथा उनके क्रियान्वयन तक सीमित था। यह ना तो निगम के वित्तीय विवरण पर हमारा मत है न ही लेखा परीक्षा है।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी व स्पष्टीकरण के आधार पर हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते है। निगम द्वारा उल्लिखित मार्गनिर्देशिकाओं में अनुबद्ध नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, सिवाय सम्बन्धि मंत्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किये जाने के कारण, निदेशक मण्डल, लेखा समिति तथा पारिश्रमिक समिति गठन तथा जोखिम प्रबंधन योजना तथा बोर्ड चाटर का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने तारीख 05.06.2015 की अधिसूचना के जरिये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सहित कंपनीज अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने से धारा–8 की कम्पनियों के लिए छूट प्रदान की है, जबकि एलिमकों कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा–8 (कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा–25) के तहत लाभ न कमाने वाली पंजीकृत कंपनी है।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी की भावी व्यहार्यता न ही आश्वासन है और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता है जिससे प्रबंध समिति ने समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है।

कृते **शिव कुमार गुप्ता**
प्रोपराइटर
ह0/–

(शिव कुमार गुप्ता)
एफ.सी.एस. 1633

CS SHIV KUMAR GUPTA

F.C.S., M.Com., L.L.B.

105, Living Style Mall, Jasola, New Delhi-110025
Ph. : 9811032875, 011-43047167
E-mail : shiv3009@gmail.com, shiv1gupta@yahoo.com

CORPORATE GOVERNMENT CERTIFICATE

To
The Members
ARTIFICIAL MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
G.T. Road, Kanpur-209217

We have examined the compliance of the conditions of the corporate governance by Artificial Manufacturing Corporation of for the financial year ended 31st March, 2016 as stipulated in the Guidelines on corporate Governance for Central Public Sector enterprises 2010 issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy industries and Public Enterprises, Government of India (herein after referred to as DPE Guidelines) and annexure mentioned thereunder.

The compliance of the condition of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to review the procedure and implementation corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines. It is neither an auditor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us and records and documents maintained by the corporation, we certify that corporation has complied with the conditions of corporate Governance as stipulated in DPE guidelines expect regarding the composition of Board of Directors, Constitution of Audit Committee and remuneration committee due to non appointment of requisite number of independent Directors by the Government of India, formulation of Risk Management Policy and management charter however Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide notification dated 05.06.2015, had exempted Section 8 companies, from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 including Appointment of Independent Directors, Whereas ALIMCO is not Profit making company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (erstwhile Section 25 of Companies Act, 1956).

We state that compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor the efficiency of effectiveness with which management has conducted the affairs of corporation.

For **Shiv Kumar Gupta**
Proprietor
Sd/-

(Shiv Kumar Gupta)
F.C.S.1633

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
10 वर्ष एक नजर में

रू (लाख में)

विवरण	यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्री एवं सेवायें	रू0 लाख में	5691.37	4677.22	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51
एफ जी / डब्ल्यु आई पी में परिवर्तन	रू0 लाख में	(80.87)	314.65	(58.22)	119.90	283.60	103.06	193.08	530.18	(1.19)	162.35
उत्पादन का मूल्य	रू0 लाख में	5610.50	4991.87	5516.02	6425.85	6047.11	8285.99	13215.85	17037.80	16269.07	19097.86
सामग्री का उपयोग (आरएम एवं स्टोर)	रू0 लाख में	2192.49	2156.44	2678.57	2456.48	2125.50	3355.86	6188.19	8707.82	8602.09	8916.73
जोडा गया मूल्य	रू0 लाख में	3418.01	2835.43	2837.45	3969.37	3921.61	4930.13	7027.66	8329.98	7666.98	10181.13
कर पूर्व लाभ	रू0 लाख में	451.34	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94
अधिशेष	रू0 लाख में	430.03	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94
इक्विटी	रू0 लाख में	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	5409.97
संचय एवं अधिशेष–पूंजीगत संचय	रू0 लाख में	2456.95	2565.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95
घटायें : समाप्त जीवन पर मूल्य ह्रास	रू0 लाख में									75.98	
घटायें : पूर्व वर्षो का दण्डात्मक ब्याज	रू0 लाख में									1202.60	
संचय एवं अधिशेष–सामान्य संचय	रू0 लाख में	(1946.53)	(1776.18)	(1349.87)	(888.30)	(337.28)	832.23	3183.23	6330.65	8217.45	12837.39
सकल अवरोध	रू0 लाख में	2410.15	2470.52	2483.12	2487.15	2612.91	2653.54	2933.33	3048.96	3242.94	3127.54
मूल्य ह्रास संचय	रू0 लाख में	958.10	1047.44	1128.66	1208.98	1293.81	1380.00	1472.84	1580.71	1811.57	1904.79
निवल अवरोध	रू0 लाख में	1452.05	1423.08	1354.46	1278.17	1319.10	1273.54	1460.49	1468.25	1431.37	1222.75
सूची	रू0 लाख में	1319.79	1703.77	1896.69	1754.91	2123.22	2438.25	2979.49	3683.50	3899.02	3657.25
विभिन्न देनदार	रू0 लाख में	1365.46	1308.63	1819.18	1698.73	2520.39	752.18	749.23	3243.14	2943.89	1017.81
कार्यशील पूँजी	रू0 लाख में	3089.25	3322.57	3876.92	4317.35	6988.86	6232.84	8505.29	11573.59	14710.83	18723.22
नियोजित पूँजी	रू0 लाख में	4541.30	4745.65	5231.38	5595.52	8307.96	7506.38	9965.78	13041.84	16142.20	19945.97
शुद्ध सामर्थ	रू0 लाख में	(1750.03)	(1579.68)	(1153.37)	(691.80)	(140.78)	1028.73	3379.73	6527.15	8413.95	18247.36
अनुदान सहायता–एडिप	रू0 लाख में	1300.00	483.72	869.85	762.14	799.00	1151.82	2575.59	4802.50	5022.10	8411.87
अनुदान सहायता–एडिप एसएसए	रू0 लाख में	1500.00	1478.00	1200.00	2800.00	3000.00	3000.00	2500.00	900.00	2050.00	2045.00
कुल अनुदान सहायता	रू0 लाख में	2800.00	1961.72	2069.85	3562.14	3799.00	4151.82	5075.59	5702.50	7072.10	10456.87
कर्मचारियों की संख्या		496	473	456	416	395	382	345	322	314	301
कर्मचारी लागत	रू0 लाख में	1394.28	1402.06	1551.02	2473.08	2672.95	3128.24	3429.58	3262.61	2934.66	2846.85
प्रति कर्मचारी उत्पादन का मूल्य	रू0 लाख में	11.31	10.55	12.10	15.45	15.31	21.69	38.31	52.91	51.81	63.45
प्रति कर्मचारी जोडा गया मूल्य	रू0 लाख में	6.89	5.99	6.22	9.54	9.93	12.91	20.37	25.87	24.42	33.82
प्रति शेयर आमदनी	रू0	2188.45	866.92	2169.52	2348.96	2804.22	5951.70	11964.38	16017.40	16108.80	853.97
समझौता ज्ञापन श्रेणी					Very good		Very good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
TEN YEARS AT A GLANCE

Rs. in Lacs

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Sales & Services	Rs Lacs	5691.37	4677.22	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51
Changes in FG/WIP	Rs Lacs	(80.87)	314.65	(58.22)	119.90	283.60	103.06	193.08	530.18	(1.19)	162.35
Value of Production	Rs Lacs	5610.50	4991.87	5516.02	6425.85	6047.11	8285.99	13215.85	17037.80	16269.07	19097.86
Material consumption(RM & store)	Rs Lacs	2192.49	2156.44	2678.57	2456.48	2125.50	3355.86	6188.19	8707.82	8602.09	8916.73
Value Added	Rs Lacs	3418.01	2835.43	2837.45	3969.37	3921.61	4930.13	7027.66	8329.98	7666.98	10181.13
Profit before Tax	Rs Lacs	451.34	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94
Surplus	Rs Lacs	430.03	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94
Equity	Rs Lacs	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	5409.97
Reserve & Surplus- Capital Reserve	Rs Lacs	2456.95	2565.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95
Less: Depreciation on Expired Life										75.98	
Less: Penal Interest previous years										1202.60	
Reserve & Surplus- General Reserve	Rs Lacs	(1946.53)	(1776.18)	(1349.87)	(888.30)	(337.28)	832.23	3183.23	6330.65	8217.45	12837.39
Gross Block	Rs Lacs	2410.15	2470.52	2483.12	2487.15	2612.91	2653.54	2933.33	3048.96	3242.94	3127.54
Depreciation Reserve	Rs Lacs	958.10	1047.44	1128.66	1208.98	1293.81	1380.00	1472.84	1580.71	1811.57	1904.79
Net Block	Rs Lacs	1452.05	1423.08	1354.46	1278.17	1319.10	1273.54	1460.49	1468.25	1431.37	1222.75
Inventory	Rs Lacs	1319.79	1703.77	1896.69	1754.91	2123.22	2438.25	2979.49	3683.50	3899.02	3657.25
Sundry Debtors	Rs Lacs	1365.46	1308.63	1819.18	1698.73	2520.39	752.18	749.23	3243.14	2943.89	1017.81
Working Capital	Rs Lacs	3089.25	3322.57	3876.92	4317.35	6988.86	6232.84	8505.29	11573.59	14710.83	18723.22
Capital Employed	Rs Lacs	4541.30	4745.65	5231.38	5595.52	8307.96	7506.38	9965.78	13041.84	16142.20	19945.97
Net Worth	Rs Lacs	(1750.03)	(1579.68)	(1153.37)	(691.80)	(140.78)	1028.73	3379.73	6527.15	8413.95	18247.36
Grant in aid- ADIP	Rs Lacs	1300.00	483.72	869.85	762.14	799.00	1151.82	2575.59	4802.50	5022.10	8411.87
Grant in aid- ADIP SSA	Rs Lacs	1500.00	1478.00	1200.00	2800.00	3000.00	3000.00	2500.00	900.00	2050.00	2045.00
Total Grant in aid	Rs Lacs	2800.00	1961.72	2069.85	3562.14	3799.00	4151.82	5075.59	5702.50	7072.10	10456.87
No. of Employees		496	473	456	416	395	382	345	322	314	301
Employee Costs	Rs Lacs	1394.28	1402.06	1551.02	2473.08	2672.95	3128.24	3429.58	3262.61	2934.66	2846.85
Value of Production per Employee	Rs Lacs	11.31	10.55	12.10	15.45	15.31	21.69	38.31	52.91	51.81	63.45
Value added per Employee	Rs Lacs	6.89	5.99	6.22	9.54	9.93	12.91	20.37	25.87	24.42	33.82
Earning per share	Rs	2188.45	866.92	2169.52	2348.96	2804.22	5951.70	11964.38	16017.40	16108.80	853.97
MOU Rating					Very good		Very good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

पी.के. जयपुरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आचार्य कुटी, प्रथम तल, 26 / 53,
बिरहाना रोड, कानपुर–208001
टेलीफोन : (0512) 2315178, 3013415
ई–मेल : peekeyjaipuria_co@rediffmail.com

PEE KEY JAIPURIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Acharya Kuti, 1st Floor, 26/53
Birhana Road, Kanpur-208 001
Telephone : (0512) 2315178, 3013415
E-mail :peekeyjaipuria_co@rediffmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

समेकित वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (कम्पनी) के वित्तीय समेकित विवरण का लेखा परीक्षा किया है जिसमें 31 मार्च, 2016 तक का तुलन पत्र, आय–व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अर्न्तगत निदेशक मण्डल की है। तथा निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह विवरण में निर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप विशिष्टतया अधिनियम की धारा 133 शामिल है तथा इसे कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन और आन्तरिक नियन्त्रण के रख रखाव, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रासंगिकता शामिल है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखा अभिलेख तैयार करना कम्पनी की सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं से बचाना एवं पता लगाना, उचित लेखा नितियों का चयन और उन्हें लागू करना, अनुमान लगाना और निर्णय करना जो उचित और विवेक पूर्ण हो और आन्तिरक वित्त नियंत्रण का उचित रखरखाव सम्मिलित है जो लेखिय अभिलेखो की पूर्णतया और शुद्धता को सुनिश्चित करे एवं शुद्ध व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके और जो सामग्री के गलत के विवरण चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारी एक राय व्यक्त करने के लिये हैं।

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ("the company"), which comprises the Balance Sheet as at 31 March 2016, the Statement of income and Expenditure Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation presentation of the financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

लेखा परीक्षा के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और अन्य को शामिल किया है। जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाने में जरूरी था।

हमारा लेखा परीक्षा लेखा परीक्षक के मानकों के अनुरूप विशिष्टतया अधिनियम की धारा 143(10) के अनुरूप है जिसमें उन मानकों में नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप लेखा परीक्षा किया जाना एवं इन मानकों की आवश्यकतानुसार योजना बनाना और अंकेक्षण हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तिय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हो।

अंकेक्षण में राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण हेतु लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना होता है त्रुटिय या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन सही चयनित प्रक्रियाओं के लेखा परीक्षण पर निर्भर करता है लेखा परिक्षण की प्रक्रिया मे लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तिय विवरणों की दोषमुक्त निष्पक्ष तैयारी ओर प्रसुत्तिकरण सम्मिलित है ताकि वित्तीय विवरण सही व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करे एवं डिजाइन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं जो कि परिस्थितियों में उचित है। कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक प्रयाप्त आन्तिरिक वित्तीय प्रणाली पर राय व्यक्त करने और संचालन के इस तरह के नियंत्रण की प्रभावशीलता के उद्‌देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा लेखा परीक्षा में शामिल लेखांकन नितियों के अवचित और कम्पनी के निदेशको द्वारा किये गये लेखांकन अनुमान के औचित्य का मूल्यांकन लेखा परीक्षा एवं साथ ही वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा यह मानना है कि वित्तिय विवरण के सन्दर्भ में हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुये हैं एवं उपलब्ध कराये गए। वह हमारी अंकेक्षण राय के लिए उचित एवं पर्याप्त है।

योग्य राय के लिए आधार

(अ) नोट 6 के नोट सं. 6.2 और नोट 10 के नोट सं. 10. 2 से सम्बन्धित संशोधित लेखांकन नीतियां जोकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2012 के समाप्ति से थी के साथ एडिप–एसएसए तथा एडिप योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान को यदि परेषिती (कन्साइनी) से पावती का प्रमाण मिल जाए तो उसे उपयुक्त माने जाने की मान्यता है। सामग्री वितरित करना अब तक शेष है को छोड़कर अनुदान उपयोग करने के नियम एवं शर्तें

While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. These Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from materiel misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements that give true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company 's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

(a) Note No.6.2 of Note 6 and Note No. 10.2 of Note-10 regarding revised accounting policies since financial year ended 31st March 2012 with regard to grants received under ADIP and ADIP SSA schemes where utilization has been recognized against proof of acknowledgment from consignee irrespective of the fact that materials dispatched is yet to be distributed. As

तभी पूर्ण मानी जायेगी अनुदान जिसे उद्देश्य से दिया गया पूर्ण हो रहा हो तभी उसे प्रयुक्त माना जायेगा। जैसा कि लाभार्थियों को सहायक से उपकरणों को वितरित कर दिया गया था। जबकि सामग्री के प्रेषण के मामले में विवरण नहीं किया गया है तो उस अनुदान को उपयोग के रूप में नहीं माना जायेगा इसलिए अन्य दायित्व तथा विविध देनदार रू0 11384.86 लाख (गतवर्ष रू0 5043.90) से कम दर्शाये गये हैं।

निगम द्वारा इस वर्ष सुरक्षित ऋण रू. 2163.13 लाख रूपये (पूर्व वर्ष में 2200.00 लाख रूपये) जोकि गिरवी एफडीआर रू. 2400 लाख के एवज में था। जोकि पड़े हुए अनुदान एडीप योजना के नियम 12 एवं उपनियम (ix) के संदर्भ में था के अनुरूप उपयोग किया गया था। हमारी राय में निगम द्वारा सुरक्षित ऋण को कम दर्शाया तथा चालू दायित्व/चालू सम्पत्तियों को अधिक/कम दर्शाया (नोट 6 का 6.4 का संदर्भ लें)।

(ब) एपीसी बंगलौर की भूमि पर वर्ष 2004–05 से 2015–16 तक म्यूनिसिपल कर तथा अन्य प्रभारों का प्रावधान नही किया गया है क्योंकि राशि का अभी निर्धारण, प्रभाव सुनिश्चित नही किया जा सकता है। (नोट सं. 8 के नोट सं. 8.1.2 का संदर्भ लें।)

(स) पट्टाधारित भूमि और/या पूर्णस्वामित्व को भूमि या पट्टाधारित शीर्षक भूमि, जो हो सकता है उनके सम्बन्धित मालिक/पट्टा दाता द्वारा निष्पादन और शीर्षक विलेख/पट्टा विलेख के पंजीकरण के अधीन है। भुवनेश्वर में शेट (जबलपुर और भुवनेश्वर की भूमि के सिवाय) उनके सम्बन्धित कानूनी शीर्षक के अभाव में परिणामी वित्ती य प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। (नोट सं. 8 के नोट सं. 8.1.1 से 8.1.7 तक देखें)।

द) बैंक जमा से प्राप्त अधिविकर्स पर देय ब्याज को जोकि प्राप्त अनुदान राशि 89.75 लाख रूपये (पूर्व वर्ष में 2.92 लाख रूपये) को अग्रिम माना गया। बैंक जमा पर ब्याज कि प्राप्ति को निटेड ऑफ किया गया। हमारी राय में निगम द्वारा ब्याज की आय और इसी तरह ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज का भुगतान को निम्न दर्शाया गया।

per terms & conditions of utilization of grants, the grants shell be treaded as utilized only on fulfillments of the purpose for which the grant was given i.e. distribution of aids and appliances to the beneficiaries. In case of dispatch of material, since the distribution has not taken place, the grants cannot be treated as utilized. Thus, other current liabilities and sundry debtors are under stated by Rs. 11384.86 Lacs (P.Y. Rs. 5043.90 Lacs).

During the year corporation has treated, the amount taken Secured Loan of Rs. 2163.13 Lacs (P.Y. Rs. 2200.00) Lacs by Pledging the FDR of Rs. 2400.00 Lacs to meet the pending receivable grant in terms of sub clause (ix) of the clause 12 of the ADIP Scheme, as grant received and utilized. In our opinion the corporation to that extent has under stated the Secured Loan and Current Liabilities/Current assets are overstated/under stated. (Refer Note-6.4 of Note-6).

(b) No provision has been made for municipal taxes and other charges on APC Bangalore Land for the period from 2004-05 to 2015-16 As the amount is indeterminate, impact could not be ascertained, (refer Note No. 8.1.2 of Note-8)

(c) The ownership and/or title of lease hold lands and/or free hold lands, as the case may be, are subject to execution and registration of title deeds/lease deeds by their respective Owner/Lessor including that in respect of shed at Bhubaneshwar (Except in respect of land at Jabalpur and Bhubaneshwar) and hence the consequential financial effect there of due to lack of their respective legal title cannot be commented upon, (refer Note No. 8.1.1 to 8.1.7 of Note 8).

(d) Interest due on the overdraft amount availed and treated as advance against receivable grant amounting to Rs. 89.75 Lacs (P.Y. Rs. 2.92 Lacs) has been netted off from Interest received from bank deposits. In our opinion the corporation to that extent has under stated the Interest Income as well as Interest paid on Overdraft.

इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अर्जित ब्याज तथा पर देय जमा (चालू सम्पत्ति) और सुरक्षित ऋण पर देय ब्याज (चालू दायित्व) को कम दर्शाया गया।

हम इस दिशा में भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं :

(1) नोट नं. 8.2 के अनुसार–जोकि अचल सम्पत्ति पुस्तिका के रखरखाव तथा परिसम्पत्तियों भौतिक प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में है।

(2) नोट 8 के नोट नं. 8.3 के अनुसार जोकि सम्पत्ति में अनुपयोगी के सम्बन्ध है।

(3) वर्ष के दौरान ऐसे फालतू कच्चा सामान, स्पेयर्स और फुटकर औजारों को प्रावधान किया गया है, जिन्हें गत 3 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया। 31.03.2016 की तिथि में कुल प्रावधान 141.00 लाख (गतवर्ष 119.71 लाख) रूपये है। पूर्व वर्ष में प्रबन्धन ने अपनी सकल वसूली योग्य राशि का एक आंतरिक मूल्यांकन टीम द्वारा पुनरीक्षण करवाने का निर्णय लिया था किन्तु आज तक इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं करवाया गया है। परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। परिसम्पत्तियों को फालतू स्टाक की सकल वसूली योग्य राशि को कम करके दर्शाया गया है। वांछित सूचन के अभाव में पड़ने वाले प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। (नोट 9 के नोट सं. 9.1 का संदर्भ लें।)

(4) रू 391.43 लाख के प्रावधान के लिए जोकि पूर्व के वर्ष में शून्य था और सामग्री लागत की गुणवत्ता के मानकों को बनाये रखने के लिए शिविरों के दृष्टिकोण के तहत वितरित उत्पादों की जगह में खर्च किये जाने की लागत के रूप में था। उस हद तक खर्च के लिए सामग्री का सेवन किया और लघु अवधि की प्रावधान के उक्त तक एक परिणामी प्रभाव के रूप में वर्ष और अधिशेष (संचय और अधिशेष) न्यून दर्शित हैं। (संदर्भ नोट नं. 7.3 और 16.2)

(5) नोट सं. 5.1 व्यापारिक लेनदार के सम्बन्ध में, नोट सं. 6.5 सुरक्षा जमा के सम्बन्ध में नोट सं. 10.3 व्यापारिक प्राप्तियों के सम्बन्ध में और नोट सं. 12.5 पार्टियों एवं कर्मचारियों जोकि पुष्टिकरण के अधीन है। उपरोक्त वित्तीय प्रभाव के अभाव में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

Similarly to the aforesaid extent the amount of interest accrued and due on Deposits (Current Assets) and Interest Payable on secured Loans (Current Liabilities) are under stated.

We also want to draw the attention towards:-

(1) Note No. 8.2 of Note-8 regarding maintenance of Fixed Asset Register and adjustment on account of discrepancy if any found on physical verification of Fixed Asset.

(2) Note No. 8.3 of Note-8 regarding impairment of Asset.

(3) The provision, towards redundancy of stocks of Raw Materials, Store & Spares & Loose Tools which have not moved since last 3 years, has been made for as at 31.03.2016 is Rs. 141.00 Lacs (P.Y. Rs. 119.71 Lacs). In earlier years the management had decided to get review its net realizable value by an internal assessment team. No such assessment has been done by the management till date. The assets are under stated to the extent of net realizable value of these redundant stocks and income is understated by similar amount. In absence of required information amount of impact could not be ascertained. (Refer Note No.9.1 of Note-9).

(4) The provision of Rs.391.43 lacs as against ni till earlier years for and as material cost expected to be incurred in replacing the products distributed under camp approach for maintaining the quality standards. The cost of material consumed and short term provision for expenses to that extent are oversated and as a consequential effect to the aforesaid extent of provision the income for the year and surplus (Reserves and Surplus are understated (Refer Note No. 7.3 and 16.2)

(5) Note No. 5.1 regarding Trade Creditor, No. 6.5, regarding Security Deposits, No. 10.3 regarding Trade Receivables and No. 12.5 regarding Parties and Employees which are subject to confirmation. In absence of same financial effect if any cannot be commented upon.

योग्य राय

उपरोक्त के अधीन, हमारे विचार में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार जहां उन योग्य रायों को जो उपर्युक्य प्रभाग में दिये हैं उपरोक्त वित्तीय विवरण में जो आवश्यक सूचनाएं दी गयीं हैं वह अधिनियम के अनुरूप है। और वह भारत में सामान्यः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2016 तक उसके आय और नकद प्रवाह उस वर्ष के समाप्ति तक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट

1. निगम को अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त है। (पूर्व अधिनियम 1956 की धारा 25) इस लिये कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2016 के खण्ड (2) (iii) जोकि भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुकूलन है उपर्युक्त रिपोर्ट जोकि विशिष्टतया पैरा 3 और 4 में दिया है पर यह आदेश लागू नहीं होगा
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम प्रतिवेदन करते है:

   (अ) वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हमारे पास है जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के लिये हमारे अंकेक्षण के लिये आवश्यक थे।

   (ब) हमारी राय में जैसा कि परीक्षण से ज्ञात हुआ है, निगम ने नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखा बहिये रखी हैं। **इस विषय के साथ नोट सं. 8.2 जोकि स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर तथा उसके भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित है निगम द्वारा रखा गया** जैसा कि यह स्पष्ट होता है हमारे जांच द्वारा उन लेखों और रिटर्न जोकि हमारे अंकेक्षण के लिए जोकि भुवनेश्वर, जबलपुर, चैनालोन, मुम्बई, गुहाटी, कलकत्ता और दिल्ली की शाखाओं द्वारा पर्याप्त थे। हमारे द्वारा वहां नहीं जाया गया।

   (स) इन रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा नकद प्रवाह विवरणी लेखा बहियों

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for the Qualified Opinion paragraph, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March 2016, its Income and its Cash Flows for the year ended on the date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Corporation is Licensed Operate under section 8 of the Act (erstwhile section 25 of the Companies Act 1956) hence in view of the clause 2 (iii) the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, the reporting requirements in respect of the matter specified vide para 3 and 4 of the said order are not applicable.
2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In our opinion proper books of account as required by law, **subject note no 8.2 regarding maintenance of Fixed Assets register and physical verification of fixed assets,** have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the Bhubaneswar, Jabalpur, Chanalon Mumbai, Guwahati, Kolkata and Delhi branches not visited by us.

   c) the Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and the Cash Flow

(द) हमारी राय में इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र, आय–व्यय लेखा खाता और नगद प्रवाह विवरणी कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के साथ कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के मानकों के अनुसार है और निम्न बातों के साथ –

सामान सूची लेखांकन मानक–2 का मूल्यांकन

कच्चा माल, स्टोर्स एवं अतिक्ति पुर्जे, फुटकर टूल्स, मार्गस्थ सामग्री एवं निर्माणाधीन माल का मूल्यांकन लागत अथवा अनुमानित वसूली मूल्य योग्य में से जो भी कम हो के विरूद्ध भारित औसत पर किया गया है,के अतिरिक्त पालन करते है।

और तैयार माल और निर्माणाधीन माल का मूल्यांकन मानक मूल्य (कारखाना मूल्य)/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य जो कि कम हो पर किया गया है। मानक मूल्य वर्ष 2015–16 (विगत वर्ष 2012–13) के आधार पर है।

(य) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अधिसूचना नं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05. 06.2015 के अनुसरण में निदेशकों के निरर्हता से सम्बन्धित सरकारी कम्पनी के लिये लागू नहीं है।

(र) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट **कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुकूलन है।**

(i) कम्पनी द्वारा लम्बित मुकदमें जो वित्तीय विवरण की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है का प्रकटीकरण किया– वित्तीय विवरण के नोट – 20 का सन्दर्भ लें।

ii) कम्पनी के कोई लम्बी अवधि के संविदा जिसमें देरीवेटिव्स शामिल है नहीं था।

iii) निवेशक शिक्षण संरक्षण कोष के लिए कम्पनी द्वारा कोई निधि हस्तातंरित करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते पी0के0 जयपुरिया एण्ड कं0
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01335 सी
ह0/–

(पी0के0 जयपुरिया)
भागीदार एम.सं. 070131
हस्ताक्षर स्थान
दिनांक : 28.06.2016

d) in our opinion, the aforesaid financial statement comply with the Accounting Statement specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, and subject to

Valuation of Inventories Accounting Standard-2

Raw Materials, Stores & Spares, Loose Tools and Materials in Transit has been valued at weighted average cost as against cost or net realizable value which ever is lower

and Finished Goods and Work-in-Progress at lower of Standard Cost (Factory Cost)/Procurement Cost of assembly or estimated realizable value whichever is less. The standard cost is based on that arrived for the year 2015-16 (Previous Year 2012-13)

e) In pursuance to the notification no. GSR 463 (E) dated 05.06.2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, sub section (2) of the section 164 of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors is not applicable to a Government Company.

f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we report as under with respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with **Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014:**

(i) The Company has disclosed the impact of pending litigation on its financial position in its financial statements - Refer Note 20 to the financial statements;

(ii) The Company did not have any long-term contracts including derivatives contract for which there were any material foreseeable losses.

(iii) there were no amounts which required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund.

For Pee Kay Jaipuria & Co.
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 01335C)
Sd/-

P.K. Jaipuria
Partner-Membership No. 070131
Place of Signature
Date : 28.06.2016

पी.के. जयपुरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आचार्य कुटी, प्रथम तल, 26/53,
बिरहाना रोड, कानपुर–208001
टेलीफोन : (0512) 2315178, 3013415
ई–मेल : peekeyjaipuria_co@rediffmail.com

PEE KEY JAIPURIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Acharya Kuti, 1st Floor, 26/53
Birhana Road, Kanpur-208 001
Telephone : (0512) 2315178, 3013415
E-mail :peekeyjaipuria_co@rediffmail.com

लेखा परीक्षको की रिपोर्ट हेतु संलग्नक

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वित्तीय विवरणियों पर हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट से आगे, हम ''अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैरा (एफ) के अंतर्गत रिपोर्ट करते है कि:–

(एफ) कंपनी की वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसें नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावीकर्त्ता के संबंध में अनुलग्नक ''ए'' में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।

आगे कृपया हमारी रिपोर्ट के पैरा (एफ) को पैरा (जी) के रूप में पढ़ा जाये।

कृते पी0के0 जयपुरिया एण्ड कं0
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01335 सी
ह0/–

(पी0के0 जयपुरिया)
भागीदार एम.सं. 070131
हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2016

ADDENDA TO THE AUDITORS' REPORT

Further to our Independent Auditors Report on the financial statement of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the financial year 2015-16 we report under Report on other legal and Reulatory requirements under Para(f) that:-

(f) with respect to the adequacy of Internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of the such control refer to our separate report in Annexure A

Further para(f) of our report may please be read as para (g) of our report

For Pee Kay Jaipuria & Co.
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 01335C)
Sd/-

P.K. Jaipuria
Partner-Membership No. 070131
Place of Signature : New Delhi
Date : 11.08.2016

संलग्नक–'ए'

ANNEXURE-"A"

पी.के. जयपुरिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आचार्य कुटी, प्रथम तल, 26/53,
बिरहाना रोड, कानपुर–208001
टेलीफोन : (0512) 2315178, 3013415
ई–मेल : peekeyjaipuria_co@rediffmail.com

PEE KEY JAIPURIA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

Acharya Kuti, 1st Floor, 26/53
Birhana Road, Kanpur-208 001
Telephone : (0512) 2315178, 3013415
E-mail :peekeyjaipuria_co@rediffmail.com

लेखा परीक्षको की रिपोर्ट का संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा–143 की उपधारा–3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2016 के अनुसार की वित्तीय सूचनाओं के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा वित्तीय सूचनाओं के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परीक्षा पर मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचनाओं के मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख रखाव शामिल है जिससे इसके कारोबार के आदेश तथा दक्ष संचालन को सुनिष्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रचालित किये जा रहे थे, कंपनी की नीतियों का समर्थन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा भूलों की रोकथाम एवं खोज, लेखा अभिलेखा की शुद्धता तथा पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विष्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व वित्तीय सूचना के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हैं। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के

TO ADDENDA TO THE AUDITOR'S REPORT

Report on the internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Artificial Limbs Manufacturing Corporation ("the company") as of 31 March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of Internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based or our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial

लेखा–परीक्षा पर मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –143 (10) के अधीन निर्धारित किये जानें के अनुसार हम अपना लेखा परीक्षा आयोजित करते है। यह भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निदेशों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होता है। उन मानकों तथा परामर्श नोट में अपेक्षा है कि हम नीति परक आवश्यकताओं, तथा योजना का अनुपालन करते हैं तथा उचित आष्वासन प्राप्त करने हेतु हम लेखा परीक्षा करते हैं। क्या वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप से स्थापित एवं बनाये रखा गया था और क्या सभी संबंधित सामग्रियों में प्रभावी ढंग से ऐसे नियंत्रण प्रचालित किये गये।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम जो सामग्री में कमजोरी विद्यमान है, का निर्धारण करना एवं परीक्षण करना तथा डिजाइन का मूल्यांकन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोकता का प्रचालन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाऐं लेखा–परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करता है; जिसमें सामग्री के जोखिमों का निर्धारण, वित्तीय विवरणियों का गलत विवरण, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि हेतु प्राप्य हो, शामिल है।

हमें विश्वास हैं कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय सूचना के ऊपर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय देने का पर्याप्त तथा समुचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय सूचना के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा प्रणाली के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गयी प्रक्रियाऐं शामिल होती है कि (1) अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित जो उचित विवरण, सही ढंग से तथा उचित प्रकार से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा निपदान को प्रदर्षित करता है, (2) समुचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति हेतु यथावत लेन देन का अभिलेख रखा जाता है तथा कंपनी की आय तथा व्यय का, प्रबंधन तथा

Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed u/s 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness, Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Companies' internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's Internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of the records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted

कंपनी के निदशक के अधिकरण के अनुसार, विवरण रखा जाता है तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा प्रदान करता हैं जिसका वित्तीय विवरणियों पर भौतिक प्रभाव हो सकेगा।

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, भूल अथवा धोखाधड़ी हो जाने पर तथा पता न लगने की स्थिति में नियंत्रणों, भौतिक गलत बयानियों को अभिभूत करके अथवा अनुचित प्रबंधन की सभा बना शामिल है। भविष्य की अवधि हेतु वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरित वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रेक्षपण भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा विकृत हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय सूचना के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों प्रणाली हैं तथा 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार वित्तीय सूचना के ऊपर ऐसे आंतरित वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था, कंपनी द्वारा भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय सूचना पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा संबंधी परामर्षी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर मानदंड स्थापित किये गये थे।

कृते **पी0के0 जयपुरिया एण्ड कं0**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01335 सी

ह0/–
(पी0के0 जयपुरिया)
भागीदार एम.सं. 070131
हस्ताक्षर स्थान
दिनांक : 11.08.2016

accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company's; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of change in condition, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the company has in all material respects and adequate in internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 march 2016 based on the internal controls over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal controls. Stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountant of India.

For Pee Kay Jaipuria & Co.
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 01335C)

Sd/-
P.K. Jaipuria
Partner-Membership No. 070131
Place of Signature
Date : 11.08.2016

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2016 का तुलन पत्र

(रू. लाख में)

क्र सं.	विवरण	संलग्नक नं.	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	इक्विटी और देयताएँ			
	अंशधारियों का कोष			
(ए)	अंशपूँजी	1	5,409.97	196.50
(बी)	आरक्षित एवं अधिशेष	2	15,494.34	10,874.40
			20,904.31	**11,070.90**
	गैर चालू दायित्व			
(ए)	लम्बी अवधि के ऋण	3	0.00	5,213.47
(बी)	लम्बी अवधि के प्रावधान	4	0.00	0.00
			0.00	**5,213.47**
	चालू दायित्व			
(ए)	व्यापारिक देनदारी	5	1,596.44	1,805.12
(बी)	अन्य चालू दायित्व	6	5,310.24	3,220.06
(सी)	छोटी अवधि के प्रावधान	7	832.55	319.00
			7,739.23	**5,344.18**
	योग		**28,643.54**	**21,628.55**
	सम्पत्ति			
(ए)	**गैर चालू सम्पत्तियाँ**			
	अचल सम्पत्ति			
(i)	मूर्त सम्पत्ति	8	1,220.78	1,420.16
(ii)	अमूर्त सम्पत्ति		1.97	11.21
(iii)	पूँजी प्रगति का कार्य		958.34	142.17
(iv)	विकास के तहत अमूर्त सम्पत्ति		0.00	0.00
(v)	बिक्री हेतु अचल सम्पत्ति		0.00	0.00
			2,181.09	**1,573.54**
	योग गैर चालू सम्पत्तियाँ		**2,181.09**	**1,573.54**
	चालू सम्पत्तियाँ			
(ए)	रहतिया	9	3,657.25	3,899.02
(बी)	व्यापारिक प्राप्तियाँ	10	1,017.81	2,943.89
(सी)	नगद एवं नगद के समतुल्य	11	20,608.42	12,369.30
(डी)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	12	781.15	284.55
(ई)	अन्य चालू सम्पत्तियाँ	13	397.82	558.25
	योग चालू सम्पत्तियाँ		**26,462.45**	**20,055.01**
	योग		**28,643.54**	**21,628.55**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	19		
	वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त जानकारी	20		
	वित्तीय व्यक्तव्यों का हिस्सा बनाने के नोट का उल्लेख			

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

ह0/–
अवनीश कुमार अवस्थी
निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते **पी के जयपुरिया एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 001335 सी
ह0/–
(सीए पी. के. जयपुरिया)
पार्टनर, सदस्यता सं. 070131)

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 28.06.2016

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(RS IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT 31ST MARCH 2016	AS AT 31ST MARCH 2015
	EQUITY AND LIABILITIES			
	SHAREHOLDERS' FUNDS			
(a)	Share Capital	1	5,409.97	196.50
(b)	Reserves and Surplus	2	15,494.34	10,874.40
			20,904.31	**11,070.90**
	NON-CURRENT LIABILITIES			
(a)	Long-term Borrowings	3	0.00	5,213.47
(b)	Long-term Provisions	4	0.00	0.00
			0.00	**5,213.47**
	CURRENT LIABILITIES			
(a)	Trade Payables	5	1,596.44	1,805.12
(b)	Other Current Liabilities	6	5,310.24	3,220.06
(c)	Short-term Provisions	7	832.55	319.00
			7,739.23	**5,344.18**
	TOTAL		**28,643.54**	**21,628.55**
	ASSETS			
	NON-CURRENT ASSETS			
(a)	Fixed Assets			
(i)	Tangible Assets	8	1,220.78	1,420.16
(ii)	Intangible Assets		1.97	11.21
(iii)	Capital Work-in-Progress		958.34	142.17
(iv)	Intangible Assets Under Development		0.00	0.00
(v)	Fixed Assets held for Sale		0.00	0.00
			2,181.09	**1,573.54**
	TOTAL NON CURRENT-ASSETS		**2,181.09**	**1,573.54**
	CURRENT ASSETS			
(a)	Inventories	9	3,657.25	3,899.02
(b)	Trade Receivables	10	1,017.81	2,943.89
(c)	Cash and Cash Equivalents	11	20,608.42	12,369.30
(d)	Short-term Loans and Advances	12	781.15	284.55
(e)	Other Current Assets	13	397.82	558.25
	TOTAL CURRENT-ASSETS		**26,462.45**	**20,055.01**
	TOTAL		**28,643.54**	**21,628.55**
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	19		
	ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT	20		
	REFER NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS			

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER (FIN & ADMN)

Sd/-
(AWANISH KUMAR AWASTHI)
DIRECTOR

IN TERMS OF OUR REPORT ATTACHED
FOR **PEE KAY JAIPURIA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 001335C
Sd/-
(CA. P.K.JAIPURIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 070131

PLACE : New Delhi
DATED : 28.06.2016

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय विवरण

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	संलग्नक सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये
	सतत् संचालन			
(ए)	**आय**			
(i)	संचालन से राजस्व	14	18,935.51	16,270.26
(ii)	घटाया : छूट	14	77.38	55.66
(iii)	संचालन से राजस्व		**18,858.13**	**16,214.60**
(iv)	अन्य आय	15	1,933.98	1,070.79
	कुल राजस्व		**20,792.11**	**17,285.39**
(बी)	**व्यय**			
(i)	उपभोग माल की लागत	16a	8,695.09	8,372.30
(ii)	तैयार माल और कार्य में प्रगति रहतिया में परिर्वतन	16b	(162.35)	1.19
(iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	17	2,846.85	2,934.66
(iv)	ह्रास	8	111.01	154.88
(v)	वित्तीय लागत		0.00	58.00
(vi)	अन्य व्यय	18	4,681.57	2,598.98
	कुल व्यय		**16,172.17**	**14,120.01**
	गैरमामूली और गैरमामूली वस्तुएँ एवं कर के पूर्व आय (व्यय)		**4,619.94**	**3,165.38**
	गैरमामूली वस्तुएँ		0.00	0.00
	गैरमामूली और गैरमामूली वस्तुएँ एवं कर के पूर्व आय (व्यय)		**4,619.94**	**3,165.38**
	गैरमामूली वस्तुएँ			
	असाधारण वस्तुएँ		0.00	0.00
	आय (व्यय) कर पूर्व		**4,619.94**	**3,165.38**
	कर व्यय		0.00	0.00
	व्यय पर आय का अधिक्य		**4,619.94**	**3,165.38**
	प्रति अंश लाभ (प्रत्येक रू 1000/–) (बुनियादी और घुलनशील)		853.97	16,108.80
			540,997	19,650
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	19		
	वित्तीय विवरण के लिये अतिरिक्त जानकारी	20		
	वित्तीय व्यक्तव्यों का हिस्सा बनाने के नोट का उल्लेख			

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

ह0/–
अवनीश कुमार अवस्थी
निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते **पी के जयपुरिया एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 001335 सी
ह0/–
(सीए पी. के. जयपुरिया)
पार्टनर, सदस्यता सं. 070131)

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 28.06.2016

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(RS IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	NOTE NO.	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
	CONTINUING OPERATIONS			
A	**INCOME**			
(i)	Revenue from Operations	14	18,935.51	16,270.26
(ii)	Less: Discount	14	77.38	55.66
(iii)	Revenue from Operations		**18,858.13**	**16,214.60**
(iv)	Other Income	15	1,933.98	1,070.79
	TOTAL REVENUE		**20,792.11**	**17,285.39**
B	**EXPENSES**			
(i)	Cost of Materials Consumed	16a	8,695.09	8,372.30
(ii)	Changes in Inventories of Finished Goods & Work-in-Progress	16b	(162.35)	1.19
(iii)	Employee Benefits Expense	17	2,846.85	2,934.66
(iv)	Depreciation	8	111.01	154.88
(v)	Financing Cost		0.00	58.00
(vi)	Other Expenses	18	4,681.57	2,598.98
	TOTAL EXPENSES		**16,172.17**	**14,120.01**
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE EXCEPTIONAL AND EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX		**4,619.94**	**3,165.38**
	Exceptional Items		0.00	0.00
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX		**4,619.94**	**3,165.38**
	Extraordinary Items		0.00	0.00
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE TAX		**4,619.94**	**3,165.38**
	TAX EXPENSE		0.00	0.00
	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		**4,619.94**	**3,165.38**
	EARNINGS PER SHARE(OF RS. 1000/- EACH) (BASIC & DILUTED) - Rs.		853.97	16,108.80
	TOTAL NO. OF EQUITY SHARES		540,997	19,650
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	19		
	ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT	20		
	REFER NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS			

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER (FIN & ADMN)

Sd/-
(AWANISH KUMAR AWASTHI)
DIRECTOR

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

IN TERMS OF OUR REPORT ATTACHED
FOR **PEE KAY JAIPURIA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 001335C
Sd/-
(CA. P.K.JAIPURIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 070131

PLACE : New Delhi
DATED : 28.06.2016

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का नगद प्रवाह विवरण

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये	
अ	**संचालित गतिविधियाँ से नगद प्रवाह**				
	आय और व्यय के रूप में शुद्ध अधिशेष		4,619.94		3,165.38
	प्रवाह विवरण				
	समायोजन हेतुः–				
	ह्यस एवं परिशोधन	111.01		154.88	
	वित्तीय लागत की उपलब्धता	0.00		58.00	
	अनुदान सहायता के खिलाफ परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला	(17.78)		0.00	
	ब्याज से आय	(984.04)		(509.29)	
	अन्य गैर परिचालन आय		(890.81)		(296.41)
	संचालन लाभ/(हानि) कार्यशील पूंजी में परिर्वतन पूर्व		3,729.13		2,868.97
	कार्यशील पूँजी में परिर्वतन :–				
	समायोजन हेतु वृद्धि/कमी संचालित परिसम्पत्तियों में ह्यस				
	रहतिया	241.77		(215.52)	
	व्यापारिक प्राप्तियाँ	1,926.08		299.25	
	अल्पकालिक ऋण ओर अग्रिम	(496.60)		(2.44)	
	अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियाँ	160.43		240.30	
	अन्य गैर मौजूदा परिसम्पत्तियाँ	0.00	1,831.68	0.00	321.59
			5,560.81		3,190.56
	समायोजन हेतु वृद्धि/(कमी) संचालित देनदारियों में ह्यस				
	व्यापारिक देनदारियाँ	(208.68)		1,120.68	
	अन्य मौजूदा देनदारियाँ	2,090.18		29.71	
	अल्पकालिक प्रावधान	513.55		(456.28)	
	दीर्घकालिक प्रावधान	0.00	2,395.05	0.00	694.11
	संचालन द्वारा उत्पन्न नगदी		7,955.86		3,884.67
	शुद्ध नगदी प्रवाह/में प्रयुक्त संचालन गतिविधियाँ (अ)		**7,955.86**		**3,884.67**

क्रमशः

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015	
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY				
	NET SURPLUS AS PER INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT		4,619.94		3,165.38
	Adjustments for:				
	Depreciation and amortisation	111.01		154.88	
	Financing Cost provided for	0.00		58.00	
	Depreciation written off on assets adjusted against GIA	(17.78)		0.00	
	Interest income	(984.04)		(509.29)	
	Other non Operating Income				
			(890.81)		(296.41)
	Operating profit / (loss) before working capital changes		3,729.13		2,868.97
	Changes in working capital:				
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:				
	Inventories	241.77		(215.52)	
	Trade receivables	1,926.08		299.25	
	Short-term loans and advances	(496.60)		(2.44)	
	Other current assets	160.43		240.30	
	Other non-current assets	0.00	1,831.68	0.00	321.59
			5,560.81		3,190.56
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:				
	Trade payables	(208.68)		1,120.68	
	Other current liabilities	2,090.18		29.71	
	Short-term provisions	513.55		(456.28)	
	Long-term provisions	0.00	2,395.05	0.00	694.11
	Cash generated from operations		7,955.86		3,884.67
	Net cash flow from / (used in) operating activities (A)		**7,955.86**		**3,884.67**

continued ....

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का नगद प्रवाह विवरण

क्रमशः

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये	
अ.	**<u>संचालित गतिविधियाँ से नकदी प्रवाह</u>** **<u>पिछला अग्रनीत</u>**		**7,955.86**		**3,884.67**
ब.	**<u>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</u>**				
	अचल सम्पत्ति पर पूंजीगत व्यय जिसमें अग्रिम पूंजी एवं अमूर्त सम्पत्ति शामिल है	(700.78)		(241.01)	
	अचल सम्पत्ति की बिक्री से आय	0.00		0.00	
	प्राप्त ब्याज	984.04		509.29	
	अन्य गैर परिचालन				
स.	निवेश गतिविधियों द्वारा शुद्ध गतिविधियों (बी)		283.26		268.28
	<u>वित्तपोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह</u>		**0.00**		**0.00**
द.	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (कमी) (ए+बी+सी)		**8,239.12**		**4,152.95**
ई.	वर्ष के प्रारम्भ पर नकद और नकद समतुल्य (नोट–11 में देखें)		**12,369.30**		**8,216.35**
फ.	वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य (नोट–11 में देखें)		**20,608.42**		**12,369.30**

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह0 / –
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

ह0 / –
अवनीश कुमार अवस्थी
निदेशक

ह0 / –
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते **पी के जयपुरिया एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 001335 सी
ह0 / –
(सीए पी. के. जयपुरिया)
पार्टनर, सदस्यता सं. 070131)

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 28.06.2016

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

Contd....

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH'2016		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH'2015	
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY				
	Brought forward		**7,955.86**		**3,884.67**
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITY				
	Capital expenditure on fixed assets, including capital advances and intangible assets	(700.78)		(241.01)	
	Proceeds from sale of fixed assets	0.00		0.00	
	Interest Received	984.04		509.29	
	Other Non Operating Income		283.26		268.28
	Net cash flow from investing activities (B)				
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITY		**0.00**		**0.00**
D	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENT A+B+C		**8,239.12**		**4,152.95**
E	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR (Refer Note 11)		**12,369.30**		**8,216.35**
F	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR (Refer Note 11)		**20,608.42**		**12,369.30**

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER (FIN & ADMN)

Sd/-
(AWANISH KUMAR AWASTHI)
DIRECTOR

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

IN TERMS OF OUR REPORT ATTACHED
FOR **PEE KAY JAIPURIA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 001335C
Sd/-
(CA. P.K.JAIPURIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 070131

PLACE : New Delhi
DATED : 28.06.2016

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 1 : अंश पूँजी

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		अंशों की संख्या	मूल्य (रू लाख में)	अंशों की संख्या	मूल्य (रू लाख में)
अ)	अधिकृत मतदान के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 600000 इक्विटी शेयर (गतवर्ष 30000 मतदान के अधिकार सहित प्रत्येक 1000 के इक्टिवी शेयर)	600000	6,000.00	30000	300.00
ब)	निर्गमित मतदान के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (गतवर्ष 19650 मतदान के अधिकार सहित प्रत्येक 1000 के इक्टिवी शेयर)	540997	5,409.97	19650	196.50
स)	सदस्यता और पूर्ण भुगतान किया मतदान के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (गतवर्ष के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 19650 इक्विटी शेयर)	540997	5,409.97	19650	196.50
	योग	**540997**	**5,409.97**	**19650**	**196.50**

नोट :

(i) प्रारम्भ और समाप्ति की आख्या पर शेयर और बकाया राशि की संख्या का पुनःमिलान (रू लाख में)

विवरण	प्रारम्भ शेष	नये निर्गमन	बोनस	इएसओपी	रूपान्तरण	क्रय वापसी	अन्य परिर्वतन	अन्तिम शेष
मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर निगर्मित, पूर्ण भुगतान एवं जारी								
31 मार्च 2016 की समाप्ति								
–अंशों की संख्या	**19650**	-	**0**	-	**521347**	-	0	**540997**
–राशि रू (1000–/प्रति)	**196.50**	-	**0**	-	**5213.47**	-	0	**5409.97**
31 मार्च 2015 की समाप्ति								
–अंशों की संख्या	**19650**	-	**0**	-	**0**	-	0	**19650**
–राशि रू (1000–/प्रति)	**196.50**	-	**0**	-	**0**	-	0	**196.50**

(ii) प्रत्येक 5 प्रतिशत से अधिक अंश धारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

अंशों का प्रकार/ अंश धारकों का नाम	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग में रखे गये अंश का प्रतिशत	अंशों की संख्या	उस वर्ग में रखे गये अंश का प्रतिशत
मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	540994	100.00%	19647	99.98%

जारी कुल 5,40,997 अंशों में से, 5,40,994 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम रखे गये है तथा शेष अंश धारक सरकार के नामिती है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 1 : SHARE CAPITAL **RS IN LACS**

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH'2016		AS AT 31ST MARCH'2015	
		NUMBER OF SHARES	AMOUNT (RS. IN LACS)	NUMBER OF SHARES	AMOUNT (RS. IN LACS)
(a)	AUTHORIZED				
	600000 Equity Shares of Rs. 1000 each with voting rights (PY 30000 Equity Shares of Rs 1000 each with voting rights)	600000	6,000.00	30000	300.00
(b)	ISSUED				
	540997 Equity Shares of Rs.1000 each with voting rights (PY 19650 Equity Shares of Rs 1000 each with voting rights)	540997	5,409.97	19650	196.50
(c)	SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP				
	540997 Equity Shares of Rs.1000 each with voting rights (PY 19650 Equity Shares of Rs 1000 each with voting rights)	540997	5,409.97	19650	196.50
	TOTAL	**540997**	**5,409.97**	**19650**	**196.50**

Notes:

(i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	OPENING BALANCE	FRESH ISSUE	BONUS	ESOP	CON-VERSION	BUY BACK	OTHER CHANGES	CLOSING BALANCE
EQUITY SHARES WITH VOTING RIGHTS								
Issued, Subscribed & Fully Paid Up								
Year ended 31 March, 2016								
- Number of shares	19650	-	0	-	521347	-	0	540997
- Amount (Rs. 1000/- each)	196.50	-	0	-	5213.47	-	0	5409.97
Year ended 31 March, 2015								
- Number of shares	19650	-	0	-	0	-	0	19650
- Amount (Rs. 1000/- each)	196.50	-	0	-	0	-	0	196.50

(ii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

CLASS OF SHARES/ NAME OF SHARE HOLDER	AS AT 31ST MARCH' 2016		AS AT 31ST MARCH' 2015	
	NUMBER OF SHARES HELD	% HOLDING IN THAT CLASS OF	NUMBER OF SHARES	% HOLDING IN THAT CLASS OF
EQUITY SHARES WITH VOTING RIGHTS				
President of India	540994	100.00%	19647	99.98%
Out of the total 540997 shares issued , 540994 shares are held in the name of President of India and balance shareholders are Government nominees.				

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 2 : संचय एवं अधिशेष

(रू लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
अ)	**पूँजी संचय**		
(i)	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से अनुदान		
	प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.1 का संदर्भ)	400.00	400.00
	जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल /स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	अन्तिम शेष (ए)	**400.00**	**400.00**
(ii)	**एम.ओ.एस.जे.ई. भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण अनुदान पूर्ण उपयोग**		
	प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.2 का संदर्भ)	2,256.95	2,256.95
	जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल /स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	अन्तिम शेष (बी)	**2,256.95**	**2,256.95**
(iii)	**भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि**		
	प्रारम्भिक शेष	0.00	0.00
	जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये)	**0.00**	**0.00**
	घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल /स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	**0.00**	**0.00**
	अन्तिम शेष (सी)	**0.00**	**0.00**
	कुल संचय पूंजी (ए+बी+सी)	**2,656.95**	**2,656.95**
ब)	**आय–व्यय का प्रवाह विवरण में अधिशेष (घाटा)**		
	प्रारम्भिक शेष	8,217.45	6,330.65
	घटाया : बीते हुए वर्ष की सम्पत्ति का ह्रास	0.00	75.98
	घटाया : पूर्व के वर्ष का दंडात्मक ब्याज	0.00	1,202.60
	जोड़ : लाभ / (हानि) वर्ष के दौरान	4,619.94	3,165.38
	कुल अधिशेष (घाटा)	**12,837.39**	**8,217.45**
	कुल संचय एवं अधिशेष	**15,494.34**	**10,874.40**
2.1	राष्ट्रीय रक्षा निधि में प्रमोटर्स योगदान के रूप में 400.00लाख चूंकि प्राप्ति के वर्ष, अनुदान को पूँजी आरक्षण में दर्शाया गया है।		
2.2	निगम द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से 31.3.2011तक आधुनिकीकरण अनुदान हेतु प्राप्त रुपये 2256.95 लाख का पूर्णतः उपयोग हो चुका है तथा उसके उपयोग का पूंजीगत आरक्षण के रूप में समझा गया है।		
2.3	सरकारी अनुदान का लेखा लेखांकन मानक 12 के अनुसार है।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(a)	CAPITAL RESERVE		
(i)	**Grant from National Defence Fund**		
	Opening Balance (Refer 2.1 below)	400.00	400.00
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give detais)	0.00	0.00
	Closing balance - (A)	**400.00**	**400.00**
(ii)	**Mordernization Grant from MOSJE, Government of India - Fully Utilized**		
	Opening Balance (Refer 2.2 below)	2,256.95	2,256.95
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (B)	**2,256.95**	**2,256.95**
(iii)	**Land Alloted by Government of India**		
	Opening Balance	0.00	0.00
	Add: Additions during the year (give details)	**0.00**	**0.00**
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	**0.00**	**0.00**
	Closing balance - (C)	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITAL RESERVE (A+B+C)	**2,656.95**	**2,656.95**
(b)	**SURPLUS (DEFICIT) IN STATEMENT OF INCOME & EXPENDITURE**		
	Opening balance	8,217.45	6,330.65
	Less: Depreciation on expired life of assets	0.00	75.98
	Less: Penal Interest for earlier years	0.00	1,202.60
	Add: Profit/(Loss) for the year	4,619.94	3,165.38
	TOTAL SURPLUS (DEFICIT)	**12,837.39**	**8,217.45**
	TOTAL RESERVES AND SURPLUS	**15,494.34**	**10,874.40**

2.1 Grant for Rs 400.00 Lacs was received as promoter's contribution from National Defence Fund. Since the year of receipt , the same is being shown as Capital Reserve.

2.2 Modernization Grant of Rs 2256.95 Lacs received from Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India received till 31.3.2011 was fully utilized and since utilization thereof has been treated as Capital Reserve.

2.3 Accounting of Government Grants is in confirmity with AS 12.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 3 : दीर्घकालिक ऋण

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(अ)	भारत सरकार द्वारा ऋण पर उपार्जित ब्याज एवं देय		
	सुरक्षित	0.00	0.00
	असुरक्षित	0.00	5,213.47
	योग	**0.00**	**5,213.47**
3.1	दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश सं. 15–08/2000–एन.आई. दि. 06 जुलाई, 2015के अनुसरण में निगम ने 5,213.47 लाख रूपये की बकाया राशि को 1000 रूपये प्रति शेयर की दर से 15.9.2015 को 5,21,347 शेयर जारी करके प्रदत्त शेयर पूंजी में परिवर्तित किये है।		

नोट 4 : दीर्घकालिक प्रावधान

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	प्रावधान	NIL	NIL
	योग	**NIL**	**NIL**

नोट 5 : व्यापारिक देनदारियाँ

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	व्यापारिक देनदारियाँ,		
1.	स्वीकृतियाँ–विविध लेनदार	1,596.44	1,805.12
2.	अन्य की तुलना में स्वीकृतियाँ	0.00	0.00
	योग	**1,596.44**	**1,805.12**
5.1	शेष पुष्टि के अधीन है।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 3 : LONG TERM BORROWINGS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(A)	INTEREST ACCRUED AND DUE ON LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA		
	Secured	0.00	0.00
	Unsecured	0.00	5,213.47
	TOTAL	**0.00**	**5,213.47**
3.1	In compliance of Order 15-08/2000-NIs dated 6th July 2015 of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment , Government of India; the corporation has converted the oustanding due sum of Rs 5213.47 Lacs into paid up share capital by issuing 521347 shares of Rs 1000 each on 15.09.2015		

NOTE 4 : LONG TERM PROVISIONS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
	PROVISIONS	NIL	NIL
	TOTAL	NIL	NIL

NOTE 5 : TRADE PAYABLES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
	TRADE PAYABLES		
1	Acceptances - Sundry Creditors	1,596.44	1,805.12
2	Other than Acceptances	0.00	0.00
	TOTAL	**1,596.44**	**1,805.12**
5.1	Balances are subject to confirmation.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 6 : अन्य चालू दायित्व

(रु लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
(i)	**वैधानिक विप्रेषण**		51.26		64.15
(ii)	व्यापारिक / सुरक्षा जमा प्राप्त		999.33		727.39
(iii)	ग्राहकों से अग्रिम		2,651.76		1,599.56
(iv)	**अप्रर्युक्त सरकारी अनुदान**				
(अ)	**एडिप योजना के अन्तर्गत अनुदान**				
	प्रारम्भिक शेष	322.45		793.18	
	जोड़ा : यूसी जो लेखाकिंत नहीं किया गया और वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	2,612.32		3,360.16	
	जोड़ा : हस्तान्तरित ब्याज	39.36		128.67	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान प्राप्त	8,411.87		5,022.10	
	जोड़ा : एडिप योजना के खण्ड 12 (ix) के अर्न्तगत ऋण के रूप में प्राप्तियाँ	550.00		900.00	
		11,936.00		**10,204.11**	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	4,386.95		7,269.34	
		7,549.05		**2,934.77**	
	घटाया : वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	6,670.25	**878.80**	2,612.32	**322.45**
(ब)	**एडिप–एसएसए योजना के अन्तर्गत अनुदान**				
	प्रारम्भिक शेष	195.97		24.70	
	जोड़ा : यूसी जो लेखाकिंत नहीं किया गया और वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	2,431.22		2,507.58	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	2,045.00		2,050.00	
	जोड़ा : एडिप योजना के खण्ड 12 (ix) के अर्न्तगत ऋण के रूप में प्राप्तियाँ	1,613.13		1,300.00	
		6,285.32		**5,882.28**	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	1,282.00		3,255.09	
		5,003.32		**2,627.19**	
	घटाया : वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	4,714.20	**289.12**	2,431.22	**195.97**
(स)	**सिपदा योजना के अर्न्तगत अनुदान**		**24.85**		**42.96**
(द)	**एडिप जागरूकता शिविर के अर्न्तगत अनुदान**				
	प्रारम्भिक शेष	4.08		0.00	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00		5.00	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	1.59	**2.49**	0.92	**4.08**
(य)	**आधुनिकरण के लिये अनुदान**				
	प्रारम्भिक शेष	0.00		0.00	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	500.00		0.00	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	373.22	**126.78**	0.00	**0.00**
(v)	**देय व्यय**		**238.53**		**263.50**
(vi)	**भविष्य निधि देय**		**47.32**		**0.00**
	योग		**5,310.24**		**3,220.06**

6.1 निगम एडिप (विकलांग व्यक्तियों की सहायता) स्कीम के तहत भारत सरकार की नोडल एजेंसी की भांति काम कर रहा है और एडिप–एसएसए (विकलांग व्यक्तियों की सहायता–सर्व शिक्षा अभियान) स्कीम में एक मात्र क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका में हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक 12 के अनुसार राजस्व अनुदान की मान्यता प्राप्त हैं इसके गैर उपभुक्त अवशेष को चालू दायित्व के रूप में दर्शाया गया है।

6.2 पुनरीक्षित लेखानीतियों (2011–12 से) के अनुसार एडिप और एडिप–एसएसए स्कीमों के लिए प्राप्त अनुदानों को यदि परेषिती(कन्साइनी) से पावती का प्रमाण मिल जाए तो उसे उपभुक्त माने जाने की मान्यता है। उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण डेबिट अवशेषों को एकाउंट फार कर दिया गया है और वितरण हेतु भेजी गई सामग्री को अनुदान का उपभोग माना गया है जिसे अनुदान से घटाकर अलग दर्शाया गया है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 6 : अन्य चालू दायित्व

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
6.3	ग्राहकों से अग्रिम सर्वशिक्षा अभियान के प्राधिकरण और अन्य एजेन्सियों, केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा सहायक उपकरणों का वितरणविकलांगजनों के लिए शिवरों में उनकी तारीखों, स्थान और अन्य निर्देश तथा उनकी देख–रेख में होगा बकाया शेष रु. 380.11 लाख (पूर्व वर्ष 228.95 लाख) जोकि एक साल की अवधि से ज्यादा है जोकि प्राप्ति राशि एवं उनकी उपयोग की शर्तों के साथ सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाओं से कर रहे हैं। यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(31) के साथ नियम 2(ग) के अन्तर्गत जमा नहीं समझा जाता है।		
6.4	भारत सरकार की एडिप योजना के अन्तर्गत रु. 2163.16 लाख (गतवर्ष रू 2200 लाख) का ऋण निगम द्वारा लिया गया तथा उसका भुगतान भारत सरकार की अनुदान प्राप्ति पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में चुका दिया गया है तथा इस प्राप्ति का अनुदान जो मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था इसका प्रकटीकरण दायित्वों में उसी अनुरूप कर दिया गया है।		
6.5	एसएफसी तथा प्रशासनिक मंत्रालय ने निगम की आधुनिकीकरण की योजना हेतु 286 करोड़ रूपये का अनुमोदन प्रदान किया था। मैसर्स डिलोइट टॉच टॉमटसु द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर कुल परियोजना लागत पर विचार किया गया है। परियोजना में, प्लांट एवं मशीनरी के सतत् आपरेशन हेतु रिप्लेनिशमेंट, सहायक उपकरणों के स्टेट ऑफ आर्ट हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी की सुविधा देने हेतु मशीनरी का खरीद, आर एंड डी आदि जैसे बड़ा राजस्व व्यय जो आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित उत्पाद की गुणवत्ता के सुधार हेतु करना अपेक्षित है, शामिल है। पूर्वोक्त परियोजना के लिए प्रशासनिक मंत्रालय ने 31.3.2016 तक 500.00 लाख रूपये की अनुदान सहायता जारी कर दी है, उपर्युक्त जारी अनुदान से 373.22 लाख रूपये तक अनुदान उपयोग को समायोजना के जरिये हिसाब में ले लिया गया है। पूंजीगत व्यय 280.46 लाख रूपये का कार्य प्रगति में है तथा आधुनिकीकरण योजना के तहत 2013–14 से पूर्व वर्षों में व्यय हुए 92.76 लाख रूपये के राजस्व व्यय तथा मैसर्स डेलोइट द्वारा प्रस्तुत किये गये डी.पी.आर में विचार किया गया तथा चालू वर्ष में बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया गया, पर विचार करके अनुदान को उपयोगिता समझा गया। अनुदान सहायता की शर्त को पूरा करने हेतु अर्जित संपत्तियों के संबंध में सहायक अभिलेख तथा अनुदान के खिलाफ किया खर्च रखा जा रहा है। क्रय की गयी सम्पत्तियों / व्यय जोकि अनुदान सहायता से बाहर खरीदी गयी को सहायक रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। ऐसी सम्पत्ति जो कि निगम के आन्तिरक संसाधनों के रूप में उपयोग किया जा रहा है को पूंजीकृत किया गया है लेकिन व्यय जोकि राजस्व प्राकृति के है के मामलें में इस तरह के व्यय अनुदान सहायता के विरूद्ध समायोजित कर रहे हैं और खातों की पुस्तकों में परिलक्षित नहीं कर रहे हैं।		
6.6	सिक्यूरिटी डिपाजिट, बयाना राशि डिपाजिट, विभिन्न पार्टियों और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के एकाउंट पुष्टीकरण के अधीन है।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016		AS AT 31ST MARCH' 2015	
(i)	Statutory Remittances		51.26		64.15
(ii)	Trade / security deposits received		999.33		727.39
(iii)	Advances from customers		2,651.76		1,599.56
(iv)	**UN-UTILIZED GOVERNMENT GRANTS**				
(a)	**GRANT UNDER ADIP SCHEME**				
	Opening Balance	322.45		793.18	
	Add: UC s unaccounted & material sent for distribution	2,612.32		3,360.16	
	Add: Interest transferred	39.36		128.67	
	Add : Received During the year	8,411.87		5,022.10	
	Add : Received as Loan under Clause 12 (ix) of ADIP Scheme	550.00		900.00	
		11,936.00		**10,204.11**	
	Less : Utilized During the year	4,386.95		7,269.34	
		7,549.05		**2,934.77**	
	Less : Material Dispatched for Distribution	6,670.25	**878.80**	2,612.32	**322.45**
(b)	**GRANT UNDER ADIP - SSA SCHEME**				
	Opening Balance	195.97		24.70	
	Add: UC s unaccounted & material sent for distribution	2,431.22		2,507.58	
	Add : Received During the year	2,045.00		2,050.00	
	Add : Received as Loan under Clause 12 (ix) of ADIP Scheme	1,613.13		1,300.00	
		6,285.32		**5,882.28**	
	Less : Utilized During the year	1,282.00		3,255.09	
		5,003.32		**2,627.19**	
	Less : Material Dispatched for Distribution	4,714.20	**289.12**	2,431.22	**195.97**
(c)	GRANT for SIPDA Scheme		**24.85**		**42.96**
(d)	Grant for ADIP Awareness Camp				
	Opening Balance	4.08		0.00	
	Received during the year	0.00		5.00	
	Less: Utilized during the year	1.59	**2.49**	0.92	**4.08**
(e)	Modernization Grant				
	Opening Balance	0.00		0.00	
	Received during the year	500.00		0.00	
	Less: Utilized during the year	373.22	**126.78**	0.00	**0.00**
(v)	Expenses Payable		**238.53**		**263.50**
(vi)	Provident Fund payable		**47.32**		**0.00**
	TOTAL		**5,310.24**		**3,220.06**

6.1 The Corporation is working as Nodal Agency of Government of India under its ADIP (Assistance to Disabled Persons) Scheme and as a sole implementing agency under ADIP-SSA (Assistance to Disabled Persons - Sarva Shiksha Abhiyan) Scheme. Grants received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is recognised as Revenue grant in confirmity with AS 12 and Un-utilized balance of the same is disclosed as Current Liabilities.

6.2 As per Revised Accounting Policy (since 2011-12), grants received under ADIP and ADIP-SSA Scheme have been recognized as utilized against proof of acknowledgement from consignee. As such, debit balances on account of utilization certificates received and to be accounted for and material dispatched for distribution has been considered as utilization of grants and has been deducted from the grant and disclosed separately.

6.3 Advance from Customers are from SSA authorities and other entities of the Central/State Governments for distribution of aids & appilance to Persons with disability at Camps to be held on date(s) and at place(s) on their instructions and in their supervision. The oustanding balance under the head include Rs 380.11 Lacs (Previous Year 228.95 Lacs) for period exceeding one year . Since received amounts are from the entities controlled/ governed by the Government with conditions of their utilisation, they are not deemed deposits within the meaning of Rule 2(c) read with Section 2(31) of the Companies Act,2013.

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
6.4	In accordance to the ADIP Scheme of Government of India, a loan for Rs 2163.16 Lacs (PY Rs 2200.00 Lacs) was taken by the corporation and receipt of such loan, which has been repaid from the ADIP funds released in the financial year 2016-17, has been considered as receipts against the receivable Grant-in-aid to be released by Ministry and has been disclosed as liability accordingly.		
6.5	The modernization plan of the corporation for Rs 286 Crores was approved by SFC and the Administrative Ministry. The total project cost is considered on the basis of DPR submitted by M/s Delloitte Touche Tohmatsu. The project includes replenishment of Plant & Machinery required for continuity of operations, purchase of machineries facilitating latest technology for state of art assistive devices, major revenue expenditure like R&D etc. required to be done to improve the quality of product with modern technology. Against the aforesaid project, Administrative Ministry has released grant-in-aid to the extent of Rs 500.00 Lacs till 31.3.2016. The utilization of this Grant to the extent of Rs 373.22 Lacs was accounted for by adjustment of the same from the above grant released The capital expenditure/work in progress of Rs 280.46 Lacs and revenue expenditure of Rs 92.76 Lacs incurred in earlier years since 2013-14 under modernization plan and were considered in the DPR submitted by M/s Delloite and also approved by Board in the current year has been adjusted and considered as utilization of grant.To meet the condition of the grant-in-aid, the subsidiary record in respect of assets acquired and incurred expenditure against grant is being maintained. The expenditure/ assets purchased out of utilization of the grant-in-aid are maintained in the subsidiary records whereas only such assets which are utilized from the corporation's internal resources are capitalized. In case of expenditure done being revenue in nature against which the grant-in-aid has been released, such expenditure are adjusted against the grant-in-aid and are not reflected in the books of accounts.		
6.6	Balances under Security Deposit, Earnest Money Deposits, Advance from Customers and under various parties account are subject to confirmation.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 7 : अल्पावधि प्रावधान

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(अ)	कर्मचारियों के लाभों के लिये प्रावधान		
(i)	ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	0.00	0.00
(ii)	संशोधित बकाया के भुगतान के लिए प्रावधान	0.00	0.00
(iii)	पी आर पी के लिये प्रावधान	441.12	319.00
	विवरण	441.12	319.00
(ब)	व्यय हेतु प्रावधान		
(i)	शिविर आदि हेतु प्रावधान सामग्री हेतु	391.43	0.00
		391.43	0.00
	कुल (अ+ब)	**832.55**	**319.00**

7.1 31.3.2016 तक कर पूर्व अधिकतम 5% लाभ के अधीन वर्तमान कर पूर्व लाभ 3% वृद्धि लाभ का 10% की गणना के आधार पर कुल 503.96 लाख (319.00 लाख रूपये) का प्रावधान, पी.आर.पी. के निस्पादन हेतु रखा गया। डीपीई का ज्ञा.सं.–2 (70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–XVI/2008, तारीख 26.11.2008, 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–IV/2009, तारीख 9.2.2009 तथा 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–VII/2009, 02 अप्रैल 2009 में निहित डीपीई दिशा–निर्देशों के बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे अधिकारियों तथा गैर–संघीय सुपर वाइज्यरों के वेतनमान के संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में।

7.2 वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 62.84 लाख रूपये के पीआरपी प्रावधान का वितरण कर दिया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2013–14 के संबंध में 256.16 लाख रूपये के शेष प्रावधान हेतु, बोर्ड ने, प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद, इसका भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसमें अतिरिक्त अपनाई गयी पॉलिसी के अनुकूल एडहॉक प्रावधान रू 184.96 लाख जोकि चालू वित्तीय वर्ष हेतु किया गया जिसका वितरण परिश्रमिक कमेटी के अनुमोदन के बाद किया जायेगा।

7.3 निगम ने एडिप योजना के कार्यान्वयन हेतु ''शिविर पहुँच'' अनुसरण किया है जिसमें निगम ने सुनिश्चित किया है कि वितरित किये जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता का गुणवत्ता मानको के साथ मिलान किया जा रहा है तथा किसी विनाशी वस्तु इसके स्व–जीवन के बाहर वितरित नहीं जाती है। इसलिए प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि शिकायत मिलने पर सीधे लाभार्थी को नया सामान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष के दौरान लिये गये नीति निणर्यों के आधार पर तथा शिविरों के अनुभव पर विचार करके प्रबंधन द्वारा अनुमानित देयता 391.43 लाख रूपये है जो निगम की ओर से देय है। राजस्व तथा सहयोगी व्यय की संकल्पना के मिलान पर विचार करके, निगम ने उसके लिए प्रदान किया है तथा उसका विश्लेषण अगले वर्ष के दौरान किया जायेगा।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 7 : SHORT TERM PROVISIONS

(RS. IN LACS)

S. NO.	Particulars	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(A)	PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS		
(i)	Provision for gratuity & leave encashment	0.00	0.00
(ii)	Provision for pay revision arrears	0.00	0.00
(iii)	Provision for PRP	441.12	319.00
	TOTAL (A)	441.12	319.00
(B)	PROVISION FOR EXPENSES		
(i)	Towards Material provisioned for Camps etc.	391.43	0.00
	TOTAL (B)	391.43	0.00
	TOTAL (A) + (B)	**832.55**	**319.00**

7.1 A total provision of Rs. 503.96 Lacs (Rs. 319.00 Lacs) calculated @ 3% of Current Profit Before Tax + 10% of incremental profit subject to maximum of 5% of Profit Before Tax till 31.03.2016 has been made towards Performance Related Pay as per DPE Guidelines contained in DPE OM No. 2(70)/08-DPE (WC) GL-XVI/2008 dated 26th Nov.2008, 2(70)/08-DPE(WC) GL-IV/2009 dated 09th February 2009 and 2(70)/08-DPE (WC) GL-VII/2009 Dated 02nd April 2009 relating to implementation of Revision of Pay Scales of Board Level, Below Board Level executives and Non-Unionized Supervisors.

7.2 PRP provision of Rs 62.84 Lacs made for the financial year 2014-15 has been distributed. For remaining provision of Rs 256.16 Lacs related to Financial Year 2007-08 to 2013-14, the Board has decided to pay the same after taking necessary approval of administrative Ministry. In addition to the above as per adopted policy an adhoc provision of Rs 184.96 Lacs has been made for the current financial year which is payable after approval of remuneration committee.

7.3 The corporation follows "Camp approach" for implementation of the ADIP-Scheme wherein the corpooration ensured that the quality of the product being distributed is matching the quality standards and that no perishable items outside its self life is distributed. The management, therefore, has decided that in case of complaints the replacement shall outrightly be given to the beneficiaries. Based on the above policy decision taken during the current year and considering the experience of the camps, the liability estimated by the Management is of Rs 391.43 Lacs may accrue to the corporation. Considering the matching concept of revenue and expenditure associated, corporation has provided for the same and the same shall be analysed during the next year.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति

(रू लाख में)

अ.	मूर्त सम्पत्ति	सकल सम्पत्ति					
		31 मार्च 2015 को	परिवर्धन	निपटान समायोजन	उधार की लागत का पूंजीकरण	अन्य समायोजन	31 मार्च 2016 को
(ए)	**भूमि**						
	(कर मुक्त)						
	भूमि और विकसित भूमि	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73
	सड़क, पुल, जल निकासी, एवं पानी की आपूर्ति	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65
	पट्टे पर						
	पट्टे की भूमि कानपुर और एपीसीज	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
(बी)	**भवन**						
	स्वयं के उपयोग हेतु भवन	1,166.38	11.35	33.50	0.00	0.00	1,144.23
(सी)	**संयंत्र और उपकरण**						
	स्वामित्व वाले	340.99	3.37	0.00	0.00	0.00	344.36
	सामान्य संयंत्र	365.04	5.95	92.48	0.00	0.00	278.51
	विद्युती सयंत्र एवं उपकरण	394.10	5.77	39.43	0.00	0.00	360.44
	सयंत्र औजार	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	293.89
	साई सांचे	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	नमूने और पैटर्न	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	सेवा संचय उपकरण						
(डी)	**फर्नीचर और फिक्चर्स**						
	स्वामित्व वाले						
	फर्नीचर और फिक्चर्स	60.77	7.55	0.00	0.00	0.00	68.32
(ई)	**वाहनों**						
	स्वामित्व वाले	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
(ई)	**कार्यालय उपकरण**						
	स्वामित्व वाले						
	अस्पताल प्रशिक्षण एवं उपकरण	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	कार्यालय उपकरण एवं वातानुकूलन यंत्र	83.88	10.95	6.85	0.00	0.00	87.98
	कैन्टीन उपकरण	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
(जी)	**किताबें**						
	स्वामित्व वाले	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
(एच)	**कम्प्यूटर**						
	स्वामित्व वाले	207.78	22.03	0.00	0.00	0.00	229.81
	योग	3,229.64	66.97	172.26	0.00	0.00	3,124.35
	पिछले वर्ष	3,045.77	183.87	0.00	0.00	0.00	3,229.64

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS

(RS. IN LACS)

A.	TANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					
		AS AT 31ST MARCH'2015	ADDITIONS	DISPOSAL/ ADJUSTMENT	BORROWING COST CAPITALIZED	OTHER ADJUSTMENT	AS AT 31ST MARCH'2016
(a)	**LAND**						
	Freehold :						
	Land & Land Development	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73
	Road ,Bridges,Drainage & Water Supply	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65
	Leasehold :						
	Leasehold Land Kanpur & APCs	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
(b)	**BUILDINGS**						
	Own use						
	Building	1,166.38	11.35	33.50	0.00	0.00	1,144.23
(c)	**PLANT AND EQUIPMENT**						
	Owned						
	General Machinery	340.99	3.37	0.00	0.00	0.00	344.36
	Electrical Machinery & Equipment	365.04	5.95	92.48	0.00	0.00	278.51
	Machine Tools	394.10	5.77	39.43	0.00	0.00	360.44
	Dies,Jigs & Fixtures	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	293.89
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	Utility and Service Equipment	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
(d)	**FURNITURE & FIXTURES**						
	Owned						
	Furniture & Fixtures	60.77	7.55	0.00	0.00	0.00	68.32
(e)	**VEHICLES**						
	Owned	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
(f)	**OFFICE EQUIPMENT**						
	Owned						
	Hospital Training & Equipment	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	Office Equipment & Air Conditioners	83.88	10.95	6.85	0.00	0.00	87.98
	Canteen Appliances	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
(g)	**BOOKS**						
	Owned	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
(h)	**COMPUTERS**						
	Owned	207.78	22.03	0.00	0.00	0.00	229.81
	TOTAL	3,229.64	66.97	172.26	0.00	0.00	3,124.35
	PREVIOUS YEAR	3,045.77	183.87	0.00	0.00	0.00	3,229.64

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः

(रू लाख में)

ब.	मूर्त सम्पति	एकीकृत मूल्यह्रास और हानि					शुद्ध कुल सम्पत्ति	
		31 मार्च 2015 के अनुसार	बीते हुए वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिशोधन व्यय	वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिशोधन व्यय	सम्पत्ति के निपटान / सम्पत्ति का समायोजन	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
(ए)	**भूमि**							
	(कर मुक्त) भूमि और विकसित भूमि	0.63	0.00	0.63	0.00	1.26	29.47	30.10
	सड़क, पुल, जल निकासी, एवं पानी की आपूर्ति	80.33	0.00	0.01	0.00	80.34	4.31	4.32
	पट्टे पर							
	पट्टे की भूमि कानपुर और एपीसीज	13.83	0.00	1.06	0.00	14.89	72.91	73.97
(बी)	**भवन**							
	स्वयं के उपयोग हेतु	376.73	0.00	31.71	7.80	400.64	743.59	789.65
(सी)	**संयंत्र और उपकरण**							
	स्वामित्व वाले							
	सामान्य संयंत्र	217.33	0.00	20.16	0.00	237.49	106.87	123.66
	विद्युती सयंत्र एवं उपकरण	232.76	0.00	5.80	3.93	234.63	43.88	132.28
	सयंत्र औजार	261.47	0.00	12.81	4.23	270.05	90.39	132.63
	साई सांचे	261.09	0.00	3.65	0.00	264.74	29.15	32.80
	नमूने और पैटर्न	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	सेवा संचय उपकरण	50.77	0.00	2.70	0.00	53.47	11.53	14.23
(डी)	**फर्नीचर और फिक्चर्स**							
	स्वामित्व वाले	45.39	0.00	2.57	0.00	47.96	20.36	15.38
	फर्नीचर और फिक्चर्स							
(ई)	**वाहनों**	33.05	0.00	1.00	0.00	34.05	4.85	5.85
	स्वामित्व वाले							
(एफ)	**कार्यालय उपकरण**							
	स्वामित्व वाले	2.22	0.00	0.11	0.00	2.33	0.15	0.26
	अस्पताल प्रशिक्षण एवं उपकरण	60.86	0.00	5.60	0.34	66.12	21.86	23.02
	कार्यालय उपकरण एवं वातानुकूलन यंत्र	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.01	0.01
	कैन्टीन उपकरण							
(जी)	**किताबें**							
	स्वामित्व वाले	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00
(एच)	**कम्प्यूटर**							
	स्वामित्व वाले	165.78	0.00	22.58	0.00	188.36	41.45	42.00
	Total	1,809.48	0.00	110.39	16.30	1,903.57	1,220.78	1,420.16
	Previous year	1,580.70	75.98	152.80	0.00	1,809.48	1,420.16	

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS -Contd.. **(RS. IN LACS)**

B.	TANGIBLE ASSETS	ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT						
		AS AT 31ST MARCH'2015	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL/ ADJUSTMENT OF ASSETS	AS AT 31ST MARCH'2016	AS AT 31ST MARCH'2016	AS AT 31ST MARCH'2015
(a)	LAND							
	Freehold :							
	Land & Land Development	0.63	0.00	0.63	0.00	1.26	29.47	30.10
	Road ,Bridges,Drainage & Water Supply	80.33	0.00	0.01	0.00	80.34	4.31	4.32
	Leasehold :							
	Leasehold Land Kanpur & APCs	13.83	0.00	1.06	0.00	14.89	72.91	73.97
(b)	BUILDINGS							
	Own use							
	Building	376.73	0.00	31.71	7.80	400.64	743.59	789.65
(c)	PLANT AND EQUIPMENT							
	Owned							
	General Machinery	217.33	0.00	20.16	0.00	237.49	106.87	123.66
	Electrical Machinery & Equipment	232.76	0.00	5.80	3.93	234.63	43.88	132.28
	Machine Tools	261.47	0.00	12.81	4.23	270.05	90.39	132.63
	Dies,Jigs & Fixtures	261.09	0.00	3.65	0.00	264.74	29.15	32.80
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	Utility and Service Equipment	50.77	0.00	2.70	0.00	53.47	11.53	14.23
(d)	FURNITURE & FIXTURES							
	Owned							
	Furniture & Fixtures	45.39	0.00	2.57	0.00	47.96	20.36	15.38
(e)	VEHICLES							
	Owned	33.05	0.00	1.00	0.00	34.05	4.85	5.85
(f)	OFFICE EQUIPMENT							
	Owned							
	Hospital Training & Equipment	2.22	0.00	0.11	0.00	2.33	0.15	0.26
	Office Equipment & Air Conditioners	60.86	0.00	5.60	0.34	66.12	21.86	23.02
	Canteen Appliances	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.01	0.01
(g)	BOOKS							
	Owned	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00
(h)	COMPUTERS							
	Owned	165.78	0.00	22.58	0.00	188.36	41.45	42.00
	Total	1,809.48	0.00	110.39	16.30	1,903.57	1,220.78	1,420.16
	Previous year	1,580.70	75.98	152.80	0.00	1,809.48	1,420.16	

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः (रू लाख में)

ब	मूर्त सम्पत्ति	सकल योग					
		31 मार्च 2015 को	परिर्वधन	निपटान समायोजन	उधार की लागत का पूंजीकरण	अन्य समायोजन	31 मार्च 2016 को
ए.	अमूर्त सम्पत्ति	13.30	0.00	10.11	0.00	0.00	3.19
	योग	13.30	0.00	10.11	0.00	0.00	3.19
	गतवर्ष	3.19	10.11	0.00	0.00	0.00	13.30

ब	मूर्त सम्पत्ति	एकत्रित मूल्यह्रास और हानि					शुद्ध कुल सम्पत्ति	
		31 मार्च 2015 को	बीते हुए वर्ष के लिय मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय	वर्ष के लिये मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय	सम्पत्ति के निपटान/सम्पत्ति का समायोजन	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(a)	अमूर्त सम्पत्ति	2.09	0.00	0.61	1.48	1.22	1.97	11.21
	योग	2.09	0.00	0.61	1.48	1.22	1.97	11.21
	गतवर्ष	0.01	0.00	2.08	0.00	2.09	11.21	

नोटः आधुनिकीकरण में ली गयी संपत्तियों की ओर समायोजना है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS -Contd.. **(RS. IN LACS)**

B.	INTANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					
		AS AT 31ST MARCH'2015	ADDITIONS	DISPOSAL/ ADJUSTMENT	BORROWING COST CAPITALIZED	OTHER ADJUSTMENT	AS AT 31ST MARCH'2016
(a)	Intangible Assets	13.30	0.00	10.11	0.00	0.00	3.19
	Total	13.30	0.00	10.11	0.00	0.00	3.19
	Previous year	3.19	10.11	0.00	0.00	0.00	13.30

B.	INTANGIBLE ASSETS	ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT					NET BLOCK	
		AS AT 31ST MARCH'2015	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL/ ADJUSTMENT OF ASSETS	AS AT 31ST MARCH'2016	AS AT 31ST MARCH'2016	AS AT 31ST MARCH'2015
(a)	Intangible Assets	2.09	0.00	0.61	1.48	1.22	1.97	11.21
	Total	2.09	0.00	0.61	1.48	1.22	1.97	11.21
	Previous year	0.01	0.00	2.08	0.00	2.09	11.21	

Note : Adjustment is on account of assets taken in Modernization

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः

8.1 भूमि और भवन :

8.1.1 कानपुर

आई.आई.टी. कानपुर ने वर्ष 1974 में निगम को 44 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी। आई.आई.टी. कानपुर ने वर्ष 1999 में निगम के पक्ष में एक अपंजीकृत पट्टा 60 वर्ष के लिए किया था जो कि 2034 में समाप्त होगा। इस कीमत को 1/— रूपये के नाम मात्रेण मूल्य पर लेखा पुस्तको के पूँजीकोष में जमा करते हुए दर्शाया गया है। निगम द्वारा वर्ष 31.07.2011 तक की अवधि के पट्टे का किराया आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम रूप में भुगतान कर दिया गया है और रू0 4671/— का प्रावधान 31.03.2016 तक लेखा पुस्तकों में किया गया है।

8.1.2 सहायक उत्पादन केंद्र—बैगलूरू

अ) निगम के स्वामित्व में कुल 6 एकड़ 38.3 गुन्टाज जमीन में से 3 एकड़ भूमि का आवंटन निदेशक (पिछड़ी जाति) के माध्यम से भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2001 में निगम को आवंटित किया था। उक्त भूमि के लिए निगम ने कोई भुगतान नहीं किया था। इसे 1.00 रूपये के नाम मात्रेण मूल्य पर लेखा पुस्तको के पूँजीकोष में जमा करते हुए दर्शाया गया है।

बी) कारखाना भवन के निमार्ण को सुविधाजनक बनाने के लिए निगम ने सम्पूर्ण भूमि 6 एकड़ 38.3 गुन्टाज पर वर्ष 2001—02 से 2003—04 तक का भूमि बेटरमेंट चार्ज व सम्पत्ति कर जमा कर दिया था। रूपये 38.73 लाख की कुल राशि में से रूपये 16.68 लाख (रूपये 16.68 लाख), जोनिगमको आवंटित भूमि का बेटरमेंट चार्ज और सम्पत्ति कर बनता है उसे स्थाई सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि विकास खाते में दर्शाया गया है और निगम की स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि के लिए जमा किये गये रूपये 22.05 लाख (रूपये 22.05 लाख) को ऋण अग्रिम खाते में दर्शाया गया है।

सी) वर्ष 2004—05 से 2015—16 तक के लिए नगर महापालिका कर अथवा अन्य चार्ज, यदि कोई देय है, तो उसका प्रावधान नही किया गया है क्योंकि निगम से इसकी मांग नहीं की गई है।

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE : 8 FIXED ASSETS-Contd.

8.1 LAND AND BUILDINGS :

8.1.1 KANPUR

The corporation was allotted land measuring 44 acres by Indian Institute of Technology, Kanpur in the year 1974 free of cost. In the year 1999, a unregistered lease deed in favour of the corporation was executed by IIT Kanpur for a period of 60 years expiring in the year 2034. Value of the same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1/- by crediting equal amount to Capital Reserve Account. Lease rent for 31.7.2011 has been paid and provision of Rs 4671/- for period upto 31.3.2016 has been made in the books of accounts.

8.1.2AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - BENGALURU

a) Out of total land area of 6 acres 38.3 guntas in possession of the corporation, land measuring 3 acres was allotted to the corporation in the year 2001 by Government of India through Director (Backward Classes), Ministry of Social Justice & Empowerment. The Corporation has not paid any amount against the allotment of above land. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1.00 by crediting equal amount to Capital Reserve Account.

b) In order to facilitate the construction of factory building, the corporation had deposited land Betterment charges & Property tax for the years 2001-02 to 2003-04 for the entire area of land measuring 6 acres 38.3 guntas. Out of total amount of Rs. 38.73 lacs Rs. 16.68 lacs (Rs. 16.68 lacs) being betterment charges and property tax relating to land allotted to the corporation has been shown under the head Fixed Assets – Development of Land and balance amount of Rs. 22.05 lacs (Rs.22.05 lacs) paid in respect of excess area of land in possession of the corporation has been shown under the head Loans and Advances.

c) No provision for taxes and other charges payable, if any, has been made for the years 2004-05 to 2015-16 since no demand has been raised against the corporation.

8.1.3 सहायक उत्पादन केंद्र–चनालौन

प्रारंभिक स्तर पर, वर्ष 2005 में, पंजाब लघु उद्योग और निर्यातनिगम लिमिटेड द्वारा निगम को फोकल प्वाइंट, चनालोन में 12505.50 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई थी। निगम ने 11836.42 वर्ग गज भूमि का वास्तविक स्वामित्व ग्रहण किया था। भूमि की कीमत हेतु रूपये 28.14 लाख (रूपये 28.14 लाख) भुगतान किये गये जिसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों में पट्टे पर भूमि के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

8.1.4 सहायक उत्पादन केंद्र– गुवाहटी

वर्ष 2007 में कामरूप जिले के उपायुक्त द्वारा निगम को 12 बीघेभूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि हेतु निगम द्वारा रूपये 3.62 लाख (रूपये 3.62 लाख) रूपये बतौर किस्त भुगतान किए गए। यद्यपि निगम के नाम टाइटिल/पट्टे के अधिकार का पंजीकरण होना अभी शेष है, परन्तु चूँकि निगम ने भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है अतः इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों' के अन्तर्गत दर्शाया गया है। पट्टे का किराया 2015–16 वर्ष तक रू0 600/– लेखा पुस्तकों में ले लिया गया है।

8.1.5 सहायक उत्पादन केंद्र–कैमूर

वर्ष 2009 में जिला कलेक्टर कैमूर द्वारा निगम को 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इस भूमि के 30 वर्ष के पट्टे जो कि वर्ष 2039 में समाप्त हो रहा है, हेतु रूपये 3.59 लाख (रूपये 3.59 लाख) की किस्त का भुगतान किया है निगम के नाम टाइटिल/पट्टे के अधिकार का पंजीकरण होना अभी शेष है, परन्तु उक्त भूमि का कब्जा निगम के पास है। दी गई किस्त को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

8.1.6 सहायक उत्पादन केंद्र– भुवनेश्वर

निगम के दो अलग अलग भूखंडों 14–सी और एस3/66 होने वर्ष1999 में उड़ीसा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, भुवनेश्वर से 2.30 एकड़ जमीन बमतबं मापने जमीन आवंटित की गई थी। राशि 16.62 लाख (रु। 16.62 लाख) 14–सी के लिए दिया गया है, इसके अलावा प्लॉट एस–3/66में अधिग्रहण कर लिया था, जो एक अलग पट्टे की पकड़ भूमि के लिए साल 2077. में अवसान हो रहा है भूमि की लीज 78 साल के लिए प्रीमियम के रूप में निगम द्वारा भुगतान रुपये 12.05 लाख रुपए (12.05 लाख) की

8.1.3 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - CHANALON

The corporation was initially allotted land measuring 12505.50 sq. yards at Focal Point, Chanalon by Punjab Small Industries and Export Corporation Limited in the year 2005. The corporation took over possession of actual land area measuring 11836.42 sq. yards. Cost of land paid amounting to Rs. 28.14 lacs (Rs. 28.14 lacs) has been capitalized under the head Fixed Assets – Lease Hold Land .

8.1.4 ALIMCO OUTREACH CENTRE GUWAHATI

The corporation was allotted land measuring 12 Bighas by Deputy Commissioner, Kamrup District in the year 2007. A sum of Rs. 3.62 lacs (Rs. 3.62 lacs) has been paid by the corporation as premium of said land .Though the title/lease hold rights of the said land are yet to be registered in the name of the corporation, the said land has been capitalized under the head Fixed Assets as possession of the same has been taken over by the corporation. Lease rent upto 2015-16 amounting to Rs 600/- has been provided in the books of accounts.

8.1.5 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, KAIMUR

The corporation was allotted land measuring 2 acres by District Collector, KAIMUR in the year 2009. A sum of Rs. 3.59 lacs (Rs. 3.59 lacs) has been paid by the corporation as premium for 30 years of lease of said land expiring in the year 2039.The title/lease hold rights of the said land are yet to be transferred in the name of the corporation. However, the possession of the same is with the corporation. The premium paid has been shown under the head Capital Work in Progress.

8.1.6 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, BHUBANESHWAR

The corporation was allotted land measuring about 2.30 acres by Orissa Industrial Infrastructure Development Corporation, Bhubaneshwar in the year 1999 having two different plots 14-C and S-3/66. A sum of Rs. 16.62 lacs (Rs. 16.62 lacs) for 14-C has been paid by the corporation as premium for 78 years of lease of said land expiring in the year 2077. For a separate lease hold land which was also acquired in Plot S-3/66, a sum of Rs 12.05 Lacs (Rs 12.05 Lacs) has been paid as premium for

राशि–कर दिया गया है 90 साल के लिए प्रीमियम के रूप में भुगतान किया। इसका पूँजीकरण दृढ़ सम्पत्तियों के शीर्ष के अधीन यथा पट्टा भूमि में कर लिया गया है। पट्टा अवधि के ह्रास होने से पट्टा प्रीमियम घट्ता जायेगा।

इसके अतिरिक्त, महिला विकास समाब्या निगम, भुवनेश्वर द्वाराउड़ीसा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश के अनुसार निगम को रु. 20.12 लाख (रू. 20.12 लाख) के भुगतान करने पर शेड संख्या एस–3/84 एवं एस–3/85 हस्तांतरित किये थे। इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि में दर्शाया गया हैं यद्यपि इसका प्राधिकता प्रमाण पत्र निगम के पक्ष में अभी हस्तांतरित होना शेष है। भुगतान 90 साल के लिए परिशोधित किया गया है।

90 years. The same has been capitalized under the head Fixed Assets as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

In addition to above, shed nos. S-3/84 & S-3/85 were handed over to the corporation by Mahila Vikas Samabaya Nigam, Bhubaneshwar on payment of Rs. 20.12 lacs (Rs. 20.12 lacs) as per the order of Department of Women and Child Welfare, government of Orissa. The said sum has been disclosed under the head Fixed Assets – Lease Hold Land. Although title of the same is yet to be transferred in favor of the corporation, the payment has been amortised for 90 years.

8.1.7 सहायक उत्पादन केंद्र–जबलपुर

वर्ष 2000 में मुख्य प्रबन्धक जिला ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज सेन्टर,जबलपुर के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा निगम को 3. 31 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इस भूमि के 99 वर्ष के पट्टे जो कि वर्ष 2099 में समाप्त हो रहा है, हेतु रूपये 6.20 लाख (रूपये 6.20 लाख) की किस्त का भुगतान किया है। इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि में दर्शाया गया है। दिये गये पट्टे किस्त को पट्टे की अवधि में ह्रास के रूप में अपलिखित किया जा रहा है।

8.1.7 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, JABALPUR

The corporation was allotted land measuring 3.31 acres by Governor of Madhya Pradesh through Chief General Manager, District Trade & Industries Centre, Jabalpur in the year 2000. A sum of Rs. 6.20 lacs (Rs. 6.20 lacs) has been paid by the corporation as premium for 99 years of lease of said land expiring in the year 2099. The same has been capitalized under the head Fixed Assets as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

8.1.8 उज्जैन परियोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर निगम के पक्ष में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 रुपये के मूल्य पर चिर स्थाई पट्टा विलेख 20 जनवरी, 2016 को कर दिया था। इसे लेखा बहियों में सामान्य मूल्य 1 रुपये दिखाया गया है।

8.1.8 UJJAIN PROJECT

A perpetual lease deed dated 20th January 2016 on the advise of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India at a nominal value of Re 1 has been executed by Madhya Pradesh StateGovernment in favour of corporation. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1.00.

8.2 अन्य स्थिर सम्पत्ति

प्रबन्धन ने प्रधान कार्यालय और विभिन्न इकाइयो में स्थित स्थाई परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए कदम उठाया है। एएपीसी चनालोन का भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है एवं इसमें कोई कमी नहीं पाई गयी है। भौतिक सत्यापन पर पाई जाने वाली त्रुटि को, यदि कोई है तो, उसे जब त्रुटि पाई जायेगी तब समायोजित किया जायेगा।

8.2 OTHER FIXED ASSETS :

Management has taken up steps for physical verification of fixed assets lying at its head office and different units.Physical verification of AAPCs has been completed and no discrepancy found. Discrepancies, if any, on physical verification shall be adjusted as and when identified.

8.3 अनुपयोगी सम्पत्ति : एस–28

प्रबन्धन के निर्धारण के अनुसार ऐसा संकेत नहीं है कि तुलन पत्र की तिथि को किसी भी परिसम्पति में क्षति हुई है। प्रबन्धन के आंकलन के अनुसार तुलन पत्र के बनने तक अनुपयोगी सम्पत्ति के लिये निगम पर एक अप्रचलन या सम्पत्ति की भौतिक क्षति या महत्वपूर्ण के साथ प्रतिकूल प्रभाव का कोई भी संकेत नहीं है और न ही कोई प्रमाण उपलब्ध है। आंतरिक सूचना के द्वारा अवधि के दौरान स्थान लिया गया और न ही निकट भविष्य में जगह लेने की उम्मीद है। इससे यह इंगित होता है कि किसी सम्पत्ति का निष्पादन है या उम्मीद से खराब होगा।

8.4 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसची ।। के अनुसार मूल्य ह्यस

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 कीअनुसूची दो में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रमाणित किया गया है। व्यक्तिगत सम्पत्तियों ओर अमूर्त सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन, मृतजीवन और शेष जीवन का 5 वर्ष उपयोगी जीवन के आधार पर विचार किया गया है।

पट्टा युक्त भूमियों तथा भूमि विकास प्रभारों को, बैगलुरू के सिवाय जहाँ भूमि विकास प्रभारों को पट्टा अवधि हेतु परिशोधन नहीं किया गया है, शेष पट्टा अवधि के आधार पर परिशोधत किया गया है।

8.3 IMPAIRMENT OF ASSETS : AS - 28

As per assessment of the management there is neither any indication that any asset has impaired as on the Balance Sheet date nor any evidence is available of obsolescence or physical damage of an asset or significant change with an adverse effect on the Corporation have taken place during the period or are expected to take place in near future nor evidence available from internal reporting that indicates that the economic performance of an asset is, or will be, worse than expected.

8.4 DEPRECIATION AS PER SCHEDULE II OF COMPANIES ACT, 2013

Depreciation from the financial year 2014-15 onwards has been charged as prescribed by Schedule II of the Companies Act,2013 considering the useful life, expired life and residual life of individual assets. Intangible assets have been amortised on the basis of useful life of 5 years.

The Lease Hold Lands and Land Development charges are being amortised on the basis of balance lease period except for Bangalore where Land development Charges for want of lease period was not amortised.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 9 : रहतिया

(लेखों का नीतियों में प्रकटीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण नोट नं. 19)

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(ए)	कच्चा माल	1,262.09	1,616.57
	जाँच के अधीन	98.10	34.63
	माल–पारगमन में		0.00
		1,360.19	**1,651.20**
	घटाया : धीमी गति/बिना गति की रहतिया के लिये प्रावधान	68.68	59.11
		1,291.51	**1,592.09**
(बी)	कार्य में प्रगति	291.97	291.28
	माल–पारगमन में		0.00
		291.97	**291.28**
(सी)	निर्मित माल	1,957.11	1,796.71
	ऋण पर/वापसी योग्य	3.21	1.44
	माल–पारगमन में	10.84	8.40
		1,971.16	**1,806.55**
	घटाया : धीमी गति/बिना गति के रहतिया के लिये प्रावधान	58.22	50.53
		1,912.94	**1,756.02**
(डी)	फेब्रीकेटिंग मद	0.00	71.25
(ई)	रद्दी	7.73	10.68
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		7.73	**10.68**
(एफ)	भंडार एवं पुर्जे	148.31	169.19
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		148.31	**169.19**
	घटाया : धीमी गति/बिना गति के रहतिया के लिये प्रावधान	14.10	10.07
		134.21	**159.12**
(जी)	फुटकर औजार	18.89	18.58
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		18.89	**18.58**
	योग	**3,657.25**	**3,899.02**

नोट : काम में प्रगति की रहतिया का विवरण (रू लाख में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
कृत्रिम अंग, यंत्र एवं उपकरण	**291.97**	**291.28**
योग	**291.97**	**291.28**

9.1 कच्चा माल, फुटकर टूल्स, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, तैयार माल, निर्माणाधीन माल तथा स्क्रैप का रहतिया भण्डार अंकेक्षक एवं प्रबन्धन द्वारा निगम की पालिसी के अनुसार मूल्यांकित है। परन्तु निगम द्वारा पूर्व 3 वर्षों में न चलायमान और कम चलायमान रहतिया हेतु रू. 141.00 लाख (रु0 119.71 लाख) का प्रावधान बट्टे खाते में किया गया है। रहतिया के उपयोग के लिए जिसमें विक्रय योग न चलायमान रहतिया शामिल है जो कि उचित छूट और वैकल्पित उपयोग हेतु आंतरिक निर्धारण करना प्रस्तावित है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 9 : INVENTORIES

(Valued as per disclosure in Accounting Policies Note No. 19)

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(a)	Raw Materials	1,262.09	1,616.57
	Under Inspection	98.10	34.63
	Goods-in-transit		0.00
		1,360.19	**1,651.20**
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	68.68	59.11
		1,291.51	**1,592.09**
(b)	Work-in-Progress	291.97	291.28
	Goods-in-transit		0.00
		291.97	**291.28**
(c)	Finished Goods	1,957.11	1,796.71
	On Loan/ Returnable basis	3.21	1.44
	Goods-in-transit	10.84	8.40
		1,971.16	**1,806.55**
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	58.22	50.53
		1,912.94	**1,756.02**
(d)	Fabricating Items	0.00	71.25
(e)	Scrap	7.73	10.68
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		7.73	**10.68**
(f)	Stores and Spares	148.31	169.19
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		148.31	**169.19**
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	14.10	10.07
		134.21	**159.12**
(g)	Loose Tools	18.89	18.58
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		18.89	**18.58**
	TOTAL	**3,657.25**	**3,899.02**

Note: Details of inventory of work-in-progress

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
ARTIFICIAL LIMBS, AIDS AND APPLIANCES	**291.97**	**291.28**
TOTAL	**291.97**	**291.28**

9.1 Inventories of raw materials, loose tools, store and spare parts, finished goods, work in progress and scrap are as per inventory taken and certified by the stock auditors and valued by management as per corporation's accounting policy. For Non-moving and slow moving inventory for last three years, the Corporation has made a provision of Rs 141.00 Lacs (Rs 119.71 Lacs) towards redundancy. An internal assessment is being carried out for utilization of these inventory including selling the non movIng stock at a reasonable discount and its alternative utilization.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 10 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
1	**भुगतान हेतु देय तारीख से 6 महीनों से अधिक अवधि हेतु बकाया व्यापारिक प्राप्तियों**		
	प्रतिभूत, माने गये माल	0.00	0.00
	अप्रतिभूत, माने गये माल	538.83	2,034.99
	संदिग्ध	1,282.96	41.06
		1,821.79	**2,076.05**
	घटाया : संदिग्ध व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान	1,282.96	41.06
		538.83	**2,034.99**
2	**अन्य व्यापारिक प्राप्तियाँ**		
	प्रतिभूत, माने गये माल	0.00	0.00
	अप्रतिभूत, माने गये माल	478.98	908.90
	संदिग्ध	0.00	0.00
		478.98	**908.90**
	घटाया : संदिग्ध व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान		0.00
		478.98	**908.90**
	योग	**1,017.81**	**2,943.89**

नोट : ऋण बकाये सहित व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(ए)	निदेशक	0.00	0.00
(बी)	संस्थान के अन्य अधिकारी	0.00	0.00
(सी)	संस्थान जिसमें कोई निदेशक भागीदार है (प्रति संस्थान का विवरण दें)	0.00	0.00
(डी)	व्यक्तिगत कम्पनियाँ जिसमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है (प्रति कम्पनी का विवरण दें)	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**

10.1 प्रबंधन की राय में, 1282.96 लाख रुपये (41.06 लाख रुपये) के अतिरिक्त ग्राहकों से प्राप्त राशियाँ वसूली हेतु अच्छी हैं। संबंधित कर्जदारों द्वारा शेष की पुष्टि न होने अथवा बजटीय मजबूती के कारण उनके सक्षम अधिकारियाँ के अनुमोदन की आवश्यकता हेतु भुगतान करने की उनकी असमर्थता के कारण तथा 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया होने के कारण, उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

10.2 संशोधित लेखांकन नीतियों के अनुसार वितरण के लिये भेजी गयी सामग्री के खाते में शेष जमा राशि रू.11384.45 लाख (रू. 5043.54 लाख) है और इसे अनुदान के उपयोग की तरह माना गया और अनुदान से कटौती की जाती है। और इस तरह के रूप में विविध देनदार के रूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

10.3 ग्राहकों से अधिशेष पुष्टिकरण के अधीन है। तथापि, अधिशेष का वसूली हेतु, नियमित पत्राचार किया जा रहा है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 10 : TRADE RECEIVABLES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
1	**Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	538.83	2,034.99
	Doubtful	1,282.96	41.06
		1,821.79	**2,076.05**
	Less: Provision for doubtful trade receivables	1,282.96	41.06
		538.83	**2,034.99**
2	**Other Trade receivables**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	478.98	908.90
	Doubtful	0.00	0.00
		478.98	**908.90**
	Less: Provision for doubtful trade receivables		0.00
		478.98	**908.90**
	TOTAL	**1,017.81**	**2,943.89**
	Note: Trade receivables include debts due from:		

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(a)	Directors	0.00	0.00
(b)	Other officers of the Company	0.00	0.00
(c)	Firms in which any director is a partner (give details per firm)	0.00	0.00
(d)	Private companies in which any director is a director or member (give details per company)	0.00	0.00
	TOTAL	**0.00**	**0.00**

10.1 In the opinion of the management , the amounts receivable from customers are good for recovery except Rs 1282.96 Lacs (Rs. 41.06 Lacs) . Because of non-confirmation of balance by respective Debtors or their inability to pay for want of approval of their competent authority due to budgetory constraints and also because of outstanding being more than five years, suitable provisions have been made.

10.2 As per Revised Accounting Policies, debit balances amounting to Rs. 11384.45 Lacs (Rs 5043.54 Lacs) on account of materials dispatched for distribution has been considered as utilization of grants and has been deducted from the grant and as such have not been disclosed as sundry debtors.

10.3 Dues from customers are subject to confirmation. However, regular correspondences are being done to liquidate the dues.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 11 : नकद और नकद समकक्ष

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(ए)	हाथ में रोकड़	6.57	10.41
(बी)	चेक, डाफ्ट्र हाथ में	0.00	0.00
(सी)	बैंको में शेष		
(i)	चालू खाते में	1,265.86	404.21
(ii)	बचत खाते में	3,414.99	2,831.59
(iii)	सावधि जमा खातों में	15,921.00	9,123.09
		20,608.42	**12,369.30**
	उपरोक्त के तुलानात्मक मिलान की परिभाषा के नकद और नकद के समकक्ष के लिये एएस 3 नकद प्रवाह विवरण है।	20,608.42	12,369.30

11.1 12 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ, बैंकों के रू. शून्य के जमा के साथ सावधि जमा।

11.2 उत्पाद अधिकारियों के पक्ष में बैंक गांरटी जारी करने हेतु 11.00 लाख रुपये की सावधि जमाएं बैंक के पास गिरवी रखे है।

11.3 सावधि जमा रु. 2400.00 लाख मूल्य का बैंक के पास गिरवी रखा गया है, जिसके लिए निगम के एडिप सम्बन्धी कार्यों के लिए रु. 2163.13 लाख का ऋण लिया गया है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 11 CASH AND CASH EQUIVALENTS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(a)	Cash in hand	6.57	10.41
(b)	Cheques, drafts on hand	0.00	0.00
(c)	Balances with banks		
(i)	In current accounts	1,265.86	404.21
(ii)	In Saving Bank Accounts	3,414.99	2,831.59
(iii)	In Fixed deposit accounts	15,921.00	9,123.09
	TOTAL	**20,608.42**	**12,369.30**
	Of the above, the balances that meet the definition of Cash and cash equivalents as per AS 3 *Cash Flow Statements* is	20,608.42	12,369.30

11.1 Fixed Deposits with Banks include deposits of Rs. Nil (Rs. Nil) with maturity of more than 12 months.

11.2 Fixed Deposits worth Rs 11.00 Lacs are pledged with bank for issuing guarantee in favour of the excise authorities.

11.3 Fixed Deposits worth Rs 2400 Lacs are pledged with bank for taking loan of Rs 2163.13 Lacs for financing the ADIP activities of the corporation.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 12 : अल्पावधि और अग्रिम (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(ए)	**प्रतिभूति जमाऐं**		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	25.82	28.09
	संदेहजनक	0.00	0.00
		25.82	**28.09**
	घटाऐं : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		25.82	**28.09**
(बी)	**कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम**		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.09	30.72
	संदेहजनक	0.00	0.00
		10.09	**30.72**
	घटाऐं : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		10.09	**30.72**
(सी)	**पूर्व भुगतान, खर्च–असुरक्षित माना जाने वाला माल**	12.92	15.31
		12.92	**15.31**
(डी)	**सरकारी प्राधिकारियों पर शेष**		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		
(i)	प्राप्ति योग्य आयकर	97.16	73.17
(ii)	वसूली योग्य सम्पत्ति कर	22.20	22.20
(iii)	निदेशक पिछडा वर्ग, मंत्रालय (एसजेएण्डई)	22.05	22.05
(iv)	बिक्री कर एवं वैट/प्रवेश कर चुंगी एवं अन्य	18.57	19.13
(v)	चुंगी एवं अन्य	5.66	0.23
		165.64	**136.78**
(इ)	**वसूली योग्य दावे**		
	बीमा कंपनियों से	36.76	24.65
	ग्रेच्युटी बीमा (शुद्ध) के संबंध में	497.94	0.00
	अन्यों से	11.53	15.33
		546.23	**39.98**
(एफ)	**आपूर्तिकर्त्ताओं/पार्टियों को अग्रिम**		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	20.45	33.67
	संदेहजनक	0.00	0.00
		20.45	**33.67**
	घटाऐं : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		20.45	**33.67**
	योग	**781.15**	**284.55**
	अल्पकालीन ऋण और अग्रिम सहित बकाया राशि के लिये :		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 12 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(a)	**Security deposits**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	25.82	28.09
	Doubtful	0.00	0.00
		25.82	**28.09**
	Less: Provision for doubtful deposits	0.00	0.00
		25.82	**28.09**
(b)	**Loans and advances to employees**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	10.09	30.72
	Doubtful	0.00	0.00
		10.09	**30.72**
	Less: Provision for doubtful loans and advances	0.00	0.00
		10.09	**30.72**
(c)	Prepaid expenses - Unsecured, considered good	12.92	15.31
		12.92	**15.31**
(d)	**Balances with government authorities**		
	Unsecured, considered good		
(i)	Income Tax receivable	97.16	73.17
(ii)	Property Tax Recoverable	22.20	22.20
(iii)	Director Backward Classes, MoSJE	22.05	22.05
(iv)	Sales Tax & VAT/Entry Tax	18.57	19.13
(v)	Octroi & others	5.66	0.23
		165.64	**136.78**
(e)	Claim Recoverable		
	from Insurance Company	36.76	24.65
	on account of Gratuity Insurance (Net)	497.94	0.00
	from Others	11.53	15.33
		546.23	**39.98**
(f)	**Advance to Suppliers/Partties**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	20.45	33.67
	Doubtful	0.00	0.00
		20.45	**33.67**
	Less: Provision for doubtful advances	0.00	0.00
		20.45	**33.67**
	TOTAL	**781.15**	**284.55**
	Note: Short-term loans and advances include amounts due from:		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 12 : अल्पावधि और अग्रिम (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	निदेशक	0.00	0.00
	कंपनी के अन्य अधिकारी	0.00	0.00
	उस फर्म, जिसमें कोई निदशक भागीदारी है (प्रति फर्म विवरण दें)	0.00	0.00
	प्राईवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा सदस्य है (प्रति कंपनी विवरण दें)	0.00	0.00
		0.00	**0.00**
	(क्रमशः).........		
12.1	प्रबंधन की राय में, ऋण तथा अग्रिम मूल्य कथित होते हैं यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल हो जाते है तथा वसूली के लिए अच्छे होते हैं।		
12.2	ऋणों तथा अग्रिमों में 97.16 लाख रूपयें (73.17 लाख रूपये) शामिल हैं, निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2016–17 हेतु स्त्रोत पर काटे गये आयकर की राशि जिसे निगम द्वारा दाखिल संबंधित वर्षो की आयकर विवरणियों के जरिये निगम के संबंध में धारा'12 ए ए के तहत इसके पंजीकरण तथा पूर्व वर्षो में पूर्ण हुए निध्नरणों को ध्यान में रखते हुए रिफंड के रूप में दावा किया है। निर्धारण वर्षो 2009–10 ये 2013–14 हेतु निगम का निर्धारण अनेक प्राधिकारियों द्वारा धारा–143 (3) के तहत किया गया है तथा 1800.82 लाख (1031.39 लाख रूपये गतवर्ष) की मांग उठायी गयी है जिसके खिलाफ निगम ने अपीले फाइल की है जो प्रथम तथा/अथवा द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास लंबित है। तथापि, माननीय उच्च न्यायलय ने निर्धारण वर्ष 2009–10 हेतु विभाग की अपील पर मामले को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास पुनर्विचार हेतु भेज दिया हैं तथा निगम की ओर से चलाई जा रही गतिविधि के मौलिक विषयों पर, जो अधिनियम की धारा–2(15) के क्षेत्र के भीतर आते है, निर्णय करें।		
12.3	विवाद के अधीन नगर महापालिका कानपुर में जमा कराये गये संपत्ति कर के रूप में 22.20 लाख रूपये की राशि (22.20 लाख रूपये) ऋणों तथा अग्रिमों में शामिल है, न्यायलय ने निगम के पक्ष में निर्णय दिया हैं, तथापि, नगर महापालिका ने जिला न्यायालय में अपील कर दी है।		
12.4	बिक्री कर/वैट अधिकारियों ने निर्धारण वर्षो 2005–06 से 2012–13 हेतु 121.30 लाख रूपये (117.14 लाख रूपये) की कुल माँगे निगम की ओर निकाली हैं जिसके अनुपालन में 18.57 लाख रूपये (19.13 लाख रूपये) की राशि जमा कर दी गयी है। विभाग के साथ अपील करना बेहतर समझा गया है तथा इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।		
12.5	निदेशकों को ऋण तथा अग्रिम 'शून्य' लाख रूपये है (पूर्व वर्ष में 0.36 लाख रूपये) पूर्व सी.एम.डी. को दिये गये थे।		
12.6	बीमा कंपनियों के खिलाफ वसूली योग्य दावा (शुद्ध) 1343.75 लाख रूपये का है जिसमें से भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर 'शून्य' वसूली हैं (जिसमें पोस्ट डेटिड चैक प्राप्त हो गये है) ग्रेच्युटी तथा छूट्टी नकदीकरण की देयताओं हेतु निधियों की ओर जिसमें से 845.81 लाख रूपये परिवर्तित बीमाकर्त्ता एसबीआई जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड को दे चूंकि कथित निधि को उनके द्वारा रखरखाव किया जाता है।		
12.7	पार्टियों और कर्मचारियों के खातों में शेष राशियाँ पुष्टि के अधीन है		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 12 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
	Directors	0.00	0.00
	Other officers of the Company	0.00	0.00
	Firms in which any director is a partner (give details per firm)	0.00	0.00
	Private companies in which any director is a director or member (give details per company)	0.00	0.00
		0.00	**0.00**
	Contd...		
12.1	In the opinion of the management, loans and advances are of value stated, if realized in ordinary course of business and are good for recovery.		
12.2	Loans and advances includes Rs. 97.16 lacs (Rs. 73.17 lacs), the amount of income tax deducted at source for the assessment years 2009-10 to 2016-17 which vide filed returns of income of the respective years by the corporation has been claimed as refundable in view of its registration under section 12AA and earlier years comleted assessments in favour of the corporation. The Corporation has been assessed by various authorities for the assessment years 2009-10 to 2013-14 under section 143 (3) and demands of Rs 1800.82 Lacs (PY 1031.39 Lacs) have been raised against which the corporation has preferred appeals which are pending before 1st and/or 2nd appellate authorities. However the Hounrable High Court on department's appeal for AY 2009-10 has restored back the matter before 1st Appellate authority to reconsider and decide the basic issue of the activity being carried on by the corporation falls with in the ambit of section 2(15) of the Act.		
12.3	Loans and Advances includes a sum of Rs. 22.20 lacs (Rs. 22.20 Lacs) being property tax deposited with Nagar Maha Palika, Kanpur under dispute. The Court has decided the case in favour of the Corporation, however Nagar Mahapalika has gone into appeal before District Court..		
12.4	Total demand of Rs 121.30 Lacs (Rs 117.14 Lacs) for assessment years 2005-06 to 2012-13 has been imposed by Sales Tax/VAT authorities against which a sum of Rs 18.57 Lacs (Rs 19.13 Lacs) has been deposited.Appeal has been preferred with the Department and hence no provision has been made.		
12.5	Loans & Advances to Directors include Rs NIL Lacs (Previous Year Rs 0.36 Lacs) given to Ex-CMD.		
12.6	Claim recoverable against Insurance companies (Net) represents Rs. 1343.75 Lacs (NIL) recoverable from LIC of India (for which post dated cheques have been received) towards funds for the liability of Gratuity and Leave Encashment out of which Rs. 845.81 Lacs payable to the changed insurer SBI Life Insurance Co. Ltd.. towards the said funds to be maintained by them.		
12.7	Balances in parties and employees account are subject to confirmation		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

नोट 13 : अन्य मौजूदा सम्पत्तियाँ

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(ए)	प्रोद्भूत आय		
(i)	जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	175.68	183.86
		0.00	0.00
(b)	अन्य		
(i)	ठेकेदारी के रूप में वापसी योग्य व्यय	0.00	0.00
(ii)	प्राप्ति योग्य निधियाँ	222.14	374.39
	योग	**397.82**	**558.25**
13.1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा प्राप्ति योग्य निधि जिसमें मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई राशि शामिल है तथा उसी मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान और अन्य सरकारी प्राधिकरणों जो 31.03.2016 से पहले स्वीकृत किये गये थे और इसीलिए प्राप्ति योग्य निधि में ऊपर दिखाया गया।		

NOTE 13 : OTHER CURRENT ASSETS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH' 2016	AS AT 31ST MARCH' 2015
(a)	**Accruals**		
(i)	Interest accrued on deposits	175.68	183.86
		0.00	0.00
(b)	**Others**		
(i)	Contractually reimbursable expenses	0.00	0.00
(ii)	Funds receivable	222.14	374.39
	TOTAL	**397.82**	**558.25**
13.1	Funds receivable includes the amount that been sanctioned by Ministry of Social Justice & Empowerment , National Institutes under the same Ministry and other Government authorities which have been sanctioned prior to 31st March 2016 and therefore has been considered as Funds Receivable as shown above.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 14 : परिचालन से राजस्व

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	उत्पादों की बिक्री	18,323.12	15,737.00
(बी)	सेवा की बिक्री	1.04	9.34
(सी)	अन्य परिचालन राजस्व	611.35	523.92
		18,935.51	16,270.26
(डी)	घटाया :	77.38	55.66
	योग	**18,858.13**	**16,214.60**

नोट :

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल		
	निर्मित माल		
	कृत्रिम अंगों : उपकरणों और पुनर्वास यंत्र	15,864.66	13,421.90
	कुल–निर्मित वस्तुओं की बिक्री	15,864.66	13,421.90
	व्यापरिक माल	2,458.46	2,315.10
	कुल–व्यापारिक माल की बिक्री	2,458.46	2,315.10
	कुल उत्पादों की बिक्री	**18,323.12**	**15,737.00**
(ii)	सेवा शामिल की बिक्री		
	फिटिंग सामानों का मरम्मत प्रभार	0.79	7.80
	द्विपक्षीय समझौते के तहत रख–रखाव शुल्क	0.25	1.54
	कुल–सेवाओं की बिक्री	**1.04**	**9.34**
(iii)	अन्य परिचालन राजस्व सहित		
	रद्दी की बिक्री	6.87	53.97
	सी.एस.आर. एवं एडिप गतिविधियों पर प्रशासनिक शुल्क	604.48	469.95
	कुल–अन्य परिचालक की बिक्री	**611.35**	**523.92**

14.1 उपरोक्त व्यापरिक वस्तुओं की बिक्री में फैब्रीकेटेड माल और कोकिलियर माल भी है।

14.2 द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत रख–रखाव से प्राप्त आय और रख–रखाव/ड्यूटी फ्री उपहार कन्साइनमेन्ट्स के क्लियरेंस पर होने वालेव्यय को अलग से एकाउंट फार किया गया है और तद्नुसार आय और व्यय शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

14.3 इसके अलावा व्यापार के सामान्य कोर्स में राजस्व की मान्यता से खरीदार के अनुरोध पर कर्णावत प्रत्यारोपण के एएस 9 प्रति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि इन प्रत्यारोपण, प्रकृति में संवेदनशील हैं, इसलिए कोई वितरण में इस तरह के वितरण के निर्देश के अभाव है। इन कर्णावत प्रत्यारोपण के भुगतान पर खरीदार द्वारा लाभार्थी की पहचान के बाद कर्णावत प्रत्यारोपण के वास्तविक भौतिक डिलीवरी जोकि अप्रैल–मई 2016 में पूरा हो चुका था एवं मार्च, 2016 में प्राप्त किया गया था, इस तरह के राजस्व 252.23 लाख (1073. 60 लाख रुपये) रुपये है।

14.4 प्रशासनिक प्रभार को राजस्व के रूप में पहचाना गया जोकि एडिप के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई और प्रशासनिकचार्ज जोकि सी.एस.आर. परियोजनाओं के तहत विक्रय के पूरा होने पर माना जाता है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 14 : REVENUE FROM OPERATIONS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
(a)	Sale of products	18,323.12	15,737.00
(b)	Sale of services	1.04	9.34
(c)	Other Operating Revenues	611.35	523.92
		18,935.51	16,270.26
	Less:		
(d)	Discount	77.38	55.66
	TOTAL	**18,858.13**	**16,214.60**

Notes:

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
(i)	Sale of products comprises		
	Manufactured goods		
	Artificial Limbs, Components & Re-Hablitation Aids	15,864.66	13,421.90
	Total - Sale of manufactured goods	15,864.66	13,421.90
	Traded goods	2,458.46	2,315.10
	Total - Sale of traded goods	2,458.46	2,315.10
	Total - Sale of products	**18,323.12**	**15,737.00**
(ii)	Sale of services comprises		
	Repairing Charges of Fitting Material	0.79	7.80
	Handing Charges under Bi-Lateral Agreement	0.25	1.54
	Total - Sale of services	**1.04**	**9.34**
(iii)	Other operating revenues comprise:		
	Sale of scrap	6.87	53.97
	Administrative Charges on CSR &ADIP activities	604.48	469.95
	Total - Other operating revenues	**611.35**	**523.92**

14.1 Traded Goods indicated above are in respect of bought out fabricated items and Cochlear Implants.

14.2 Income from handling charges under Bi-Lateral Agreement and expenditure on Handling/clearance of duty free gift consignments have been separately accounted for and have been disclosed accordingly under Income and Expenditure heads.

14.3 Apart from recognition of revenue in normal course of business, revenue as per predence and in accordance with AS9 has also been recognized considering delay in delivery of Cochlear Implants at Buyer's request. Since these implants are sensitive in nature, although the item were ready for delivery, no delivery could be made in absence of such delivery instruction. Considering the above, corporation has recognized revenue considering that the full payment against these Cochlear Implants has been received in March 2016. The actual physical delivery of Cochlear Implant has been completed in April-May 2016 after identification of the beneficiary by the buyer. Such revenue recognized is Rs 252.23 Lacs (Rs 1073.60 Lacs).

14.4 The administraive Charges has been recognized as revenue based on ADIP guidelines effective from 1.4.2014 onwards & administrative charges on CSR is charged on completion of sale under CSR projects.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 15 : अन्य आय

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	ब्याज से आय	984.04	509.29
(बी)	अन्य गैर परिचालक आय	949.94	561.50
	योग	**1,933.98**	**1,070.79**

नोट

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	ब्याज की आय सहित :		
	बैंक द्वारा ब्याज		
	चालू जमा राशियाँ–सावधि खाते	954.85	496.32
	अन्य शेष बचत खाते में	28.04	12.97
	त्यौहार अग्रिम पर ब्याज	1 15	0 00
	कुल ब्याज द्वारा आय	**984.04**	**509.29**
(ii)	अन्य गैरपरिचालक आय सहित		
	टाउनशिप के किराये से आय	0.29	0.27
	जरूरी नहीं रहे प्रावधानों को वापस लिया	908.89	530.99
	विविध आय	40 76	30 24
	कुल अन्य गैर परिचालक आय	**949.94**	**561.50**

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 15 : OTHER INCOME **(RS. IN LACS)**

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
(a)	Interest income	984.04	509.29
(b)	Other non-operating income	949.94	561.50
	TOTAL	**1,933.98**	**1,070.79**

Notes

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
(i)	Interest income comprises:		
	Interest from banks on:		
	Current Deposits- Fixed Deposits	954.85	496.32
	other balances in Savings Bank	28.04	12.97
	Interest on festival advance	1.15	0.00
	Total - Interest income	**984.04**	**509.29**
(ii)	Other non-operating income comprises:		
	Rental income from Township	0.29	0.27
	Provisions no longer required written back	908.89	530.99
	Miscellaneous income	40.76	30.24
	Total - Other non-operating income	**949.94**	**561.50**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 16 अ : प्रयुक्त सामग्री का मूल्य

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक स्टॉक	1,616.57	1,562.65
	जोडे : खरीद	5,855.58	6,434.12
		7,472.15	7,996.77
	कम करे : आंतरिक उपयोगिता	31.21	4.73
	कम करे : अंतिम स्टॉक	1,262.09	1,616.57
	उपयोगिता सामग्री की लागत	6,178.85	6,375.47
	फिटिंग सामग्री उपयोगिता	895.98	506.95
	शिविरों हेतु सामग्री का प्रावधान	391.43	0.00
	आउट सोर्स पर सामान की खरीद	1,228.83	1,489.88
	योग	**8,695.09**	**8,372.30**
2	उपयोगिता सामग्री में शामिल है		
(i)	माइल्ड स्टील	641.60	745.49
(ii)	एल्युमिनियम एलॉय	88.93	109.56
(iii)	खरीदे गये घटक	5,313.26	5,356.65
(iv)	अन्य कच्ची सामग्री	135.06	163.77
(v)	फिटिंग सामग्री	895.98	506.95
(vi)	आउट सोर्स सामग्री	1,228.83	1,489.88
(vii)	अन्य	391.43	0.00
	योग	**8,695.09**	**8,372.30**

नोट 16 ख : तैयार माल के रहतिये में परिवर्तित कार्य में प्रगति और व्यापार का भण्डारण

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	वर्ष के अंत में सूची		
(i)	तैयार सामान	1,960.32	1,798.15
(ii)	कार्य प्रगति पर है	291.97	291.28
(iii)	मार्गस्थ सामग्री	10.84	8.40
(iv)	स्क्रैप	7.73	10.68
		2,270.86	**2,108.51**
(बी)	वर्ष के प्रारंभ में सूची		
(i)	तैयार सामान	1,798.15	1,647.21
(ii)	कार्य प्रगति पर है	291.28	364.71
(iii)	मार्गस्थ सामग्री	8.40	55.14
(iv)	स्क्रैप	10.68	42.64
		2,108.51	**2,109.70**
	शुद्ध वृद्धि/कमी (ए–ब)	**162.35**	**- 1.19**

16.1 कमी/अधिक, सामान्य रूप से स्वीकृत सीमा के भीतर हानियाँ तथा क्षतियों को उपयोगित सामग्री के भाग के रूप में प्रकट किया गया है।

16.2 निगम एडिप योजना हेतु सरकार की एक नोडल एजेंसी हैं तथा सहायक उपकरणों के विवरण हेतु ''शिविर पहुँच'' का अनुसरण करती है। सहायक उपकरणों की गुणवत्ता बनायें रखने तथा सहायक उपकरणों को सीधे बदलने (न कि मरम्मत) हेतु प्रबंधन ने 391.43 लाख रूपयें की राशि सामग्री की लागत हेतु प्रदान किये है। राजस्व एवं संबंधित व्यय के समान संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उसका प्रावधान किया गया है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 16 A : COST OF MATERIALS CONSUMED

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
1	**Opening stock**	1,616.57	1,562.65
	Add: Purchases	5,855.58	6,434.12
		7,472.15	7,996.77
	Less: Internal consumption	31.21	4.73
	Less: Closing stock	1,262.09	1,616.57
	Cost of material consumed	6,178.85	6,375.47
	Fitting Material Consumed	895.98	506.95
	Material provisioned for camps	391.43	0.00
	Goods Purchase on outsourcing	1,228.83	1,489.88
	Total	**8,695.09**	**8,372.30**
2	**Material consumed comprises:**		
(i)	Mild Steel	641.60	745.49
(ii)	Aluminium Alloy	88.93	109.56
(iii)	Bought out Components	5,313.26	5,356.65
(iv)	Other Raw Material	135.06	163.77
(v)	Fitting Material	895.98	506.95
(vi)	Outsourced Material	1,228.83	1,489.88
(vii)	Others	391.43	0.00
	Total	**8,695.09**	**8,372.30**

NOTE 16 B : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK-IN-PROGRESS AND STOCK-IN-TRADE

(RS IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
A	**Inventories at the end of the year:**		
(i)	Finished goods	1,960.32	1,798.15
(ii)	Work-in-progress	291.97	291.28
(iii)	Material in Transit	10.84	8.40
(iv)	Scrap	7.73	10.68
		2,270.86	**2,108.51**
B	**Inventories at the beginning of the year:**		
(i)	Finished goods	1,798.15	1,647.21
(ii)	Work-in-progress	291.28	364.71
(iii)	Material in Transit	8.40	55.14
(iv)	Scrap	10.68	42.64
		2,108.51	**2,109.70**
	Net increase / decrease(A-B)	**162.35**	**- 1.19**

16.1 Shortges/Excess, Losses and wastages being within normally accepted limits have been disclosed as part of Materials consumed.

16.2 The corporation is a nodal agency for ADIP Scheme of the Government and follows the "camp approach" for distribution of assistive devices. In order to maintain the quality of assistive devices and to outrightly replace (and not repair) the assistive devices, Management has provided for Cost of Material to the tune of Rs 391.43 Lacs. The same has been provisioned keeping in view the matching concept of revenue and related expenses.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 17 : कर्मचारी हित व्यय (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वेतन तथा मजदूरी	2,518.79	2,292.25
2	भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	254.83	571.21
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	73.23	71.20
	योग	**2,846.85**	**2,934.66**

17.1 लेखा मानक 15 ''कमचारी–हित'' के अनुसार लेखा मानको में दी गयी परिभाषा के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है :–

परिभाषित अंशदान योजनाऐं

परिभाषित अंशदान योजनाऐं में अंशदान को वर्ष हेतु निम्न प्रकार व्यय के रूप में मान्यता दी गयी :

(रू लाख में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	149.30	156.96
पेंशन निधि (ईपीएफओ) में नियोक्ता का अंशदान	35.52	29.18
ग्रेच्युटी निधि तथा छूट्टी नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	0.12	2.86
पेंशन निधि (भारतीय जीवन बीमा निगम) में नियोक्ता का अंशदान	69.89	382.21
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	15.14	0.00

17.2 PAYMENT TO DIRECTORS : (रू लाख में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वेतन एवं भत्ते	21.90	21.58
पीएफ एवं एफपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	1.96	1.91
एलआईसी अवकाश नकदीकरण योजना में नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.65
पेंशन फंड (एलआईसी) में नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.80
निष्पादन संबंधित वेतन *	7.11	0.00
चिकित्सा खर्च	0.18	0.09
TOTAL	31.15	25.03

* वर्तमान एवं पूर्व सी.एम.डी. की पीआरपी शामिल है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 17 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
1	Salaries and wages	2,518.79	2,292.25
2	Contributions to provident and other funds	254.83	571.21
3	Staff welfare expenses	73.23	71.20
	TOTAL	**2,846.85**	**2,934.66**

17.1 As per accounting standard 15 "Employee Benefits" the disclosures as defined in the accounting standards are given below :

Defined Contribution Plans

Contribution to Defined Contribution Plans recognized as expense for the year is as under :

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
Employer's Contribution to Provident Fund	149.30	156.96
Employer's Contribution to Pension Fund (EPFO)	35.52	29.18
Employer's Contribution to Gratuity Fund & Leave Encashment	0.12	2.86
Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	69.89	382.21
Post Retirement Medical Benefit	15.14	0.00

17.2 PAYMENT TO DIRECTORS :

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	31.03.2016	31.03.2015
Salary & Allowances	21.90	21.58
Employers Contribution to PF & FPF	1.96	1.91
Employers Contribution to LIC Leave Encashment Scheme	0.00	0.65
Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	0.00	0.80
Performance Related Pay*	7.11	0.00
Medical Expenses	0.18	0.09
TOTAL	31.15	25.03

* - includes PRP of present as well as Ex-CMD

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 18 : अन्य खर्चे (रु लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
1	भंडार एवं पुर्जों की खपत	216.65	225.89
2	फुटकर औजार की खपत	4.99	3.90
3	पैकिंग सामग्री की खपत	99.78	83.35
4	द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत	0.25	1.44
5	बाहरी कार्य शुल्क–उप ठेका	865.37	603.31
6.	बिजली एवं तेल (ईंधन)	166.34	179.61
7	हवा, पानी और प्रदूषण व्यय	4.01	4.50
8	पट्टा किराया सहित किराया	12.09	10.99
9	मरम्मत और रख–रखाव–भवन	13.40	33.43
10	मरम्मत और रख–रखाव–सयंत्र	35.79	34.18
11	मरम्मत और रख–रखाव–अन्य	27.10	56.99
12	बीमा	6.91	7.27
13	बैंक प्रभार एवं दलाली	5.18	0.50
14	प्रशिक्षण व्यय	10.44	6.47
15	भर्ती व्यय	9.98	5.10
16	अनुसंधान एवं विकास	119.96	34.91
17	दर एवं कर	1.53	1.60
18	संचार	34.85	29.49
19	यात्रा और वाहन	291.47	251.72
20	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	27.58	31.10
21	भाड़ा और अग्रेषण	817.08	552.88
22	चन्दा और अन्य शुल्क	14.82	12.88
23	अधिकृत पूंजी में वृद्धि की दिशा में आरओसी के साथ फाइलिंग शुल्क	42.75	0.00
24	बिक्री पर कमीशन	0.22	1.75
25	प्रदर्शनी व्यय	9.70	11.57
26	वाहन चलाने एवं रख–रखाव	39.14	33.71
27	सुरक्षा व्यय	151.20	112.74
28	व्यापार संवर्धन	7.44	7.01
29	शिविर व्यय	215.37	94.20
30	विज्ञापन एंव प्रचार	57.14	43.31
31	कानूनी और पेशेवर	153.93	134.69
32	लेखा परीक्षकों को भुगतान (देखे संदर्भ (i) के नीचे)	1.96	1.79
33	खराब एंव संदिग्ध ऋण के खिलाफ प्रावधान	1,241.90	6.26
34	सम्पत्ति की बिक्री पर भुगतान	21.29	(35.63)
35	खराब एंव ऋण बट्टे	6.10	0.00
36	विविध व्यय	25.06	16.07
37	पूर्व अवधि वस्तुओं (शुद्ध) (देखे संदर्भ (ii) के नीचे)	(77.20)	0.00
	योग	**4,681.57**	**2,598.98**

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 18 : OTHER EXPENSES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
1	Consumption of stores and spare parts	216.65	225.89
2	Consumption of loose tools	4.99	3.90
3	Consumption of packing materials	99.78	83.35
4	Handling Expenses under Bi-Lateral Agreement	0.25	1.44
5	Subcontracting - Out side Job Charges	865.37	603.31
6	Power and fuel	166.34	179.61
7	Air, Water & Polution Expenses	4.01	4.50
8	Rent including lease rentals	12.09	10.99
9	Repairs and maintenance - Buildings	13.40	33.43
10	Repairs and maintenance - Machinery	35.79	34.18
11	Repairs and maintenance - Others	27.10	56.99
12	Insurance	6.91	7.27
13	Bank Charges & Commission	5.18	0.50
14	Training Expnses	10.44	6.47
15	Recruitment Expenses	9.98	5.10
16	Research & Development	119.96	34.91
17	Rates and taxes	1.53	1.60
18	Communication	34.85	29.49
19	Travelling and conveyance	291.47	251.72
20	Printing and stationery	27.58	31.10
21	Freight and forwarding	817.08	552.88
22	Subscription and Other Fees	14.82	12.88
23	Filing Fee with ROC towards increase in authorized capital	42.75	0.00
24	Sales commision	0.22	1.75
25	Exhibition Expenses	9.70	11.57
26	Vehicle Running & Maintenance	39.14	33.71
27	Security Expenses	151.20	112.74
28	Business promotion	7.44	7.01
29	Camp Expenses	215.37	94.20
30	Advertisement & Publicity	57.14	43.31
31	Legal and professional	153.93	134.69
32	Payments to auditors (Refer Note (i) below	1.96	1.79
33	Provision against Bad and doubtful debts	1,241.90	6.26
34	Provision against Slow/Non Moving Inventories	21.29	(35.63)
35	Bad Debts written off	6.10	0.00
36	Miscellaneous expenses	25.06	16.07
37	Prior Period Items (Net) (Refer Note (ii) below	(77.20)	0.00
	TOTAL	**4,681.57**	**2,598.98**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 18 : अन्य खर्चे क्रमशः...........

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**लेखापरीक्षको के भुगतान सहित अंकेक्षण (सेवा कर का शुद्ध निवेश भुगतान जहाँ**		
	वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए	1.27	1.12
	कराधान मामलों के लिये	0.52	0.50
	कम्पनी अधिनियम मामलों के लिए	0.00	0.00
	प्रंबधन सेवाओं के लिये	0.17	0.17
	अन्य सेवाओं के लिये	0.00	0.00
	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.00	0.96
	योग	**1.96**	**2.75**
(ii)	**पूर्व अवधि वस्तुओं का विवरण (शुद्ध)**		
	पूर्व अवधि व्यय–आधुनिकरण पर व्यय का रिर्वसल मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान पर	(107.82)	0.00
	पूर्व अवधि आय	30.62	0.00
	योग	**(77.20)**	**0.00**
(18.1)	वर्ष के दौरान रू 1241.90 लाख (6.26 लाख) का प्रावधान, अन्य खर्चे खाते को डेबिट करके किया गया है। उन बजटरी बाधाओं के कारण उनकी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अभाव में भुगतान करने में असमर्थता द्वारा शेष न पुष्टि की वजह से देनदारों के सम्बन्ध में किया गया। इसका प्रावधान 5 वर्ष के अधिक से खड़ी है क्योकि अन्य खर्चों के तहत वगीकृत किया है।		
(18.2)	मौजूदा बुनियादी ढांचे, इमारतों और सड़कों की मरम्मत,जो वित्त वर्ष में मरम्मत के व्यय के रूप में वित्तिय वर्ष 2013–14 तथा इससे आगे दिखाया गया है। जोकि मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आधुनिकरण हेतु अनुदान के संदर्भ में रू 107.82 लाख समायोजित संपत्ति का मूल्यह्रास शामिल करने के लिए व्यय का उत्क्रमण के रूप में हुई है।		
(18.3)	वर्ष के दौरान जोकि भौतिक सत्यापन प्रक्रिया द्वारा चिन्हित किए गए तीन वर्षों से धीमे/खराब पड़ी सामग्री (रहतिया) इस वर्ष रू. 21.28 लाख के प्रावधान हुए जोकि गतवर्ष रू 35.63 लाख के थे। इन मदों का प्रावधान मानक लागत के आधार पर किया गया है। इस सामानों के वैकल्पिक प्रयोग हेतु आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है। आंतरिक मूल्यांकन के उपरोक्त रद्दी मूल्य/शुद्ध वसूली योग्य राशि को लेखांकित किया जायेगा।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 18 : OTHER EXPENSES Contd..... **(RS. IN LACS)**

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015
(i)	**Payments to the auditors comprises (net of service tax input credit, where applicable):**		
	As auditors - statutory audit	1.27	1.12
	For taxation matters	0.52	0.50
	For company law matters	0.00	0.00
	For management services	0.17	0.17
	For other services	0.00	0.00
	Reimbursement of expenses	0.00	0.96
	TOTAL	**1.96**	**2.75**
(ii)	**Details of Prior Period Items (Net)**		
	Prior Period Expenses - Expenses on Modernization reversed on receipt of Grant from the Ministry	(107.82)	0.00
	Prior Period Income Reversed	30.62	0.00
	TOTAL	**(77.20)**	**0.00**

(18.1) During the year provision of Rs. 1241.90 Lacs (6.26 Lacs) has been made towards bad and doubtful Sundry Debtors because of non-confirmation of the balance by the respective Debtors and/or their inability to pay for want of approval of their competent authority due to budgetory constraints ; and also because of out standing for more than five years are grouped under other expenses.

(18.2) Expenditure in the nature of repairs of existing infrastructure, buildings and roads which were shown as Repairs expenditure in the financial year 2013-14 onwards have now been adjusted against Grant-in-aid for Modernization released by the Ministry during the year; the same has resulted into reversal of expenditure to the tune of Rs 107.82 Lacs which also includes depreciation of assets adjusted against Grant in aid.

(18.3) During the year, additional provision of Rs. 21.28 Lacs has been made towards slow/non moving inventories against last years reversal of provision of Rs. 35.63 Lacs for inventories identified through process of physical verification during stock audit which have not moved for last three years. These provisions have been made on the basis of standard cost of the item.Further Internal assessment is being carried out for alternative use of these items. Scrap value/net realizable value of the same shall be accounted for on after internal assessment.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

नोट 19 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

19.1 वित्तीय विवरणीय की तैयारी का आधार

यदि अन्यथा नहीं बताया गया है, तो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय लेखे ऐतिहासिक मूल्य एवं अर्जन आधार पर तैयार किये जाते है। ये विवरण सम्बन्धित लेखा मानको तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(2) में वांछित सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण के अनुरूप तैयार किए गए है। चूँकि निगम एक गैर–लाभीय संगठन है, अतः निगम अपना आय व्यय खाता कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुपान में बनाता है।

19.2 निर्माण अवधि के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियाँ तथा व्यय

(क) स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद को अधिग्रहण की लागत जिसमें कि सम्बन्धित अनुसंगिक व्यय तथा परिसम्पत्ति को कार्य में लाने से पूर्व में किये गये व्यय सम्मिलित है, पर दर्शाया जाता है।

(ख) स्थाई परिसम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर, कम्पनीज अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दर्शायी गई तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 के विशिष्ट जोकि ह्रास जोकि सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के समायोजित मूल्य जिसका प्रारंभिक वर्ष समाप्त हो गया तक विस्तारित किया गया जिसमें अवशेषित मूल्य रूके हुए आय से (आय एवं व्यय विवरण के अधिशेष से आगे बड़ाया गया) निर्धारित दरों पर किया जाता है। पट्टे वाली भूमि की कीमत को पट्टे की अवधि में ही चुकता किया जाता है। तथापि कम्पनी अधिनियम 2013 अनुसूची 2 वर्णित है जैसा कि पूर्व के सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर था। अमूर्ति सम्पत्तियों को उसके 5 साल के उपयोगी जीवन के अनुरूप परिशोधित था।

NOTE 19 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

19.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The financial accounts, unless stated otherwise, are prepared on the historical cost and accrual basis in accordance with the normally accepted accounting principles. These statements have been prepared in accordance with applicable mandatory accounting standards referred to in Section 2 (2) and relevant presentation requirements of the Companies Act, 2013.

Since the Corporation is a non-profit making Organization, it prepares “Income & Expenditure Account” in compliance to provisions of section 129 of Companies Act, 2013.

19.2 Fixed Assets and Expenditure during Construction period.

(a) Fixed Assets are capitalized at acquisition cost including directly attributable cost of bringing the assets to its working conditions for intended use.

(b) The depreciation on fixed assets till earlier year has been provided for on straight line method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.Schedule II of the Companies Act, 2013 specifies to apply depreciation on the basis of useful life of the assets and to adjust value of the assets, whose life at the opening of the year stands expired, to the extent of their respective residual (salvage) value from the retained earnings (i.e. brought forward amount of Surplus in statement of income & expenditure account). Lease hold land is amortized over the period of lease and the depreciation is being charged on useful life as mentioned in Schedule II to the Companies Act,2013 on earlier followed straight line method. Intangible assets have been amortised on the basis of useful life of 5 years.

(ग) स्थाई परिसम्पत्तियो पर ह्रास की गणना अभिवृद्धि/निपटान की तिथि के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर की जाती है।

(घ) पूर्व के लेखा नीतियों के अनुसार निगम द्वारा लगातार जारी रखते हुए रूपये 5000/– तक की लागत के प्रत्येक डाईज एवं जिग्स आदि की कीमत को 'लूज टूल्स' खाते में नामे करके आय–व्यय खाते में उपचित किया जाता है। हांलाकि 2014–15 से सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रतिफलित करना है और 5000 से कम तथा 5000 से ज्यादा की सम्पत्तियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में है।

(ङ) नयी परियोजनाओं/परिसम्पत्तियों के निर्माण अवधि के व्यय को "पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य" के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है और परियोजनाओ / परिसम्पत्त्यिों के चालू होने पर लंबित आवंटन व्यय को स्थायी परिसम्पत्ति की कीमत में आवंटित कर दिया जाता है।

(च) पूंजीगत निर्माण कार्यो में पूंजीगत वयय के लिए दिये गये अग्रिम सम्मिलित किये जाते है।

19.3 परिसंपत्तियों की बाधिता

किसी परिसम्पत्ति को क्षति में तब विश्लेषण किया जाता है जब उसको क्रियाशील रखने की लागत, उसी वसूली योग्य लागत से अधिक हो जाती है। क्षति, यदि कोई हो, तो उसे उस वर्ष के आय और व्यय में उपचित किया जाता है जिस वर्ष में छति चिन्हित की जाती है। यदि परिसम्पत्ति के सम्भावित वसूली मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अवधि से पहले चिन्हित क्षति राशि को परिवर्तित कर दिया जाता है।

(c) Depreciation on fixed assets is calculated on pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal.

(d) Earlier as per accounting policy consistently followed by the Corporation, the cost of Dies & Jigs etc below Rs. 5000/- each was charged to Income & Expenditure Account by debiting to Loose Tools Consumed Account and capital items valuing upto Rs 5000 each were also fully depreciated in the year of purchase. However, from 2014-15, useful life is of all the assets are now being considered and there has been no distinction between assets below Rs 5000 and assets above Rs 5000/- irrespective of the nature of asset in compliance with the requirement of Companies Act,2013.

(e) Expenditure during construction period in respect of new projects/assets are included under Capital Work-in-Progress and Expenses pending allocation are to be allocated to the fixed assets on commissioning of the projects/assets.

(f) Capital Work-in-Progress includes advances for capital Expenditure.

19.3 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to the Income & Expenditure Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed, if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

नोट–19 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ क्रमशः......

19.4 रहतिया
रहतिया के मूल्यांकन का अधार निम्न प्रकार है :

(अ)	कच्चा माल, स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे, फुटकर टूल्स, मार्गस्थ/जाँचान्तर्गत सामग्री	भारित औसत मूल्य पर	औसत मूल्य में केवल सामग्री मूल्य एवं अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।
(ब)	निर्माणाधीन माल	मानक लागत पर (कारखाना लागत)	सामग्री मूल्य तथा लेबर और कारखाना के अतिरिक्त खर्चे (कार्य पूरा होने तक) सम्मिलित है।
(स)	तैयार माल एवं मार्गस्थ तैयार माल	मानक लागत /अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम होपर।	मानक मूल्य/ मूल्य में सामग्री मूल्य तथा लेवर और कारखाना के अतिरिक्त खर्च सम्मिलित है।
(द)	रद्दी	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर

NOTE NO. 19 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd....)

19.4 Inventories
Basis of valuation of inventories is as under :-

(a)	Raw Materials, Stores & Spares, Loose Tools, Material in Transit/Inspection	At weighted average Cost.	Weighted Average Cost constitutes of purchase cost and other direct cost .
(b)	Work-in-Progress	At Standard Cost (Factory Cost)	Standard Cost/ Factory Cost constitutes of Material Cost, Labour & Factory Overheads to the point of completion.
(c)	Finished Goods / Finished Goods in Transit	At Standard Cost (Factory Cost)/ Procurement cost of assembly or estimated realizable value whichever is less	Standard Cost/Factory Cost constitutes of Material Cost, Labour & Factory Overheads.
(d)	Scrap	At estimated realizable value	Estimated realizable value represents present market rate.

19.5 राजस्व मान्यता

(i) विक्रय की मान्यता और उसका लेखाकरण निगम की कारखाना/कार्यालय/इकाई से माल की निकासी पर किया जाता है। एएस–9 के संदर्भ में राजस्व को भी पहचाना गया जोकि सामग्री के भेजने उसका भुगतान करने तथा न पहुंचने जोकि सामग्री संवेदित प्रकृति की हो।

(ii) विक्रय बीजक तैयार करते समय विक्रय दर को रूपये के समीप पूरा किया गया है।

(iii) महत्वपूर्ण अनिश्चित्ताओं को छोड़कर, आय एवं व्यय को उपार्जित आधार पर मान्यता देते हुए लेखांकित किया जाता है। सभी ज्ञात हानियों एवं दायित्वों हेतु प्रावधान किया जाता है

(vi) द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत रख–रखाव से प्राप्त आय और रख–रखाव/ड्यूटी फ्री उपहार कन्साइनमेन्ट्स के क्लियरेंस पर होने वाले व्यय को अलग से एकाउंटफार किया गया।

(v) जब्त ईएमडी/सुरक्षा जमा को विविध आय के रूप में दिखाया गया है।

(vi) जमा पर ब्याज उपार्जित के आधार पर है।

19.6 सरकारी अनुदानों का लेखा

संस्थापक के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान को पूँजीगत कोष में प्रकटिकरण किया गया, चूँकि ये प्रवर्तक के कोष के रूप में है, एडिप और एडिप–एसएसए योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग एवं यदि व उपयोग नहीं किये जाते है ऐसा चालू दायित्व के रुप में माल के प्रेषण के बाद तक के लिये माना जाता है और प्रेषी द्वारा उपयोग पर स्वीकृति की जाती है।

19.7 सेवानिवृत्ति लाभ

निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग से एक प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। प्रोविडेंट फण्ड और कर्मचारी पेंशन योजना में निगम के अंशदान को आय–व्यय खाते में उपचित किया जाता है। ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नगदीकरण पर व्यय बीमांकित मूल्यांकन में हुई वृद्धि के आधार पर बीमाकर्ता को अंतरित राशि की सीमा तक मान्यता दी जाती है, बीमाकर्ता द्वारा वापिस की राशि के अलावा, यदि मूल्यांकन में कमी होती है तो किसी व्यय को मान्यता नहीं मिलती है।

19.5 Revenue Recognition

(i) Sales are recognized and accounted for on despatch of goods from the Corporation's Factory/ Offices/ Units. In view of AS-9, revenue has also been recognized when the material is ready for despatch, assured of payment and has not been delivered due to lack of delivery instruction and nature of the material is sensitive.

(ii) "Sale rates are rounded off to the nearest rupee while preparing sales invoices.

(iii) Income & Expenditure are recognized and accounted for on accrual basis, except in case of significant uncertainties. Provision is made for all known losses & liabilities.

(iv) Income from handling charges under bi-lateral agreement and expenditure on handling/ clearance of duty free gift consignments are separately accounted for.

(v) EMD/Security deposit forfeited, if any, are disclosed as miscellaneous income.

(vi) Interest on deposits is accounted for on accrual basis.

19.6 Accounting of Government Grants

Grants received from Government in nature of promoter's contribution has been disclosed as capital reserve. Other Revenue Grants received under ADIP and ADIP-SSA schemes to the extent they are unutilized have been considered as Current Liabilities after treating goods despatched and acknowledged by consignees utilized.

19.7 Retirement Benefits

The corporation's contribution for the retirement benefits of the employees towards Provident Fund, Pension Fund and Employees Family Pension scheme are charged to Income & Expenditure Account. The expenditure on Gratuity and Leave Encashment is recognized to the extent of amount transferred to insurer on the basis of increase in the actuarial valuation; No expenditure is recognized in case there is decrease in valuation except the amount returned by the Insurer.

19.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन–देन को उस समय के विनियम दर पर अभिलेखों में दर्ज किया गया है।

19.9 अनुसंधान एवं विकास

शोध और विकास पर हुए राजस्व व्यय को उस वर्ष के व्यय खाते में उपचित किया जाता है जिस वर्ष में उसे उपगत किया गया है। अनुसंधान और विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय, यदि कोई है तो उसे स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के रूप में दर्शाया जाता है।

19.10 कर

आयकर

(i) धारा 10(23सी) (IIIac) के प्रावधान के मद्देनजर और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत निगम की आय, आयकर से मुक्त है। इस कारण आगे आने वाले वर्तमान/भविष्य में कर के लिये प्रावधान नहीं बनाया है।

(ii) मांग/अनुदान के आधार पर ब्याज देय/मांग पर प्राप्य/वसूली को लेखांकित किया जाता है।

19.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताऐं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

महत्वपूर्ण आंकलन वाले प्रावधानों को वही मान्यता दी गई है जहाँ गत घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा समय में बाध्यता है और इस बात की संभावना है कि संसाधनों को वाह्रय प्रवाह होगा। संभावित दायित्वों का प्रावधान नही किया जाता है बल्कि लेखो पर टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। संभावित सम्पत्तियों की न तो पहचान की जाती है न ही वित्तीय विवरणी में दर्शाया जाता है।

19.12 पूर्व अवधि का लेनदेन

पूर्व अवधि के लेन–देन, जो रू0 1.00 लाख से अधिक है को प्रत्येक केस मे जो कि पूर्व के मद है को चालू वर्ष के आय और व्यय के तहत प्रदर्शित कर दिये जाते है।

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक
(वित्त एवं प्रशासन)

ह0/–
(अवनीश कुमार अवस्थी)
निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी.आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते पी.के. जयपुरिया एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार, एफ.आर.एन 001335सी
ह0/–
(सीए पी.के. जयपुरिया)
पार्टनर, सदस्यता सं. 070131

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2016

19.8 Foreign Currency Transactions

Revenue transactions denominated in Foreign Currency are normally recorded at the exchange rate prevailing at the time of transaction.

19.9 Research & Development

Revenue expenditure on Research and Development is charged as an expense in the year in which they are incurred. Capital Expenditure, if any, on Research & Development is shown as an addition to Fixed Assets.

19.10 Taxes

Income Tax :

(i) In view of provisions of section 10(23C) (IIIac) and exemption granted under section 12AA of the Income Tax Act' 1961, the income of the corporation is exempt from the tax. Hence no provision is made for current/deferred tax.

(ii) Interest payable / receivable on demand/ refund is accounted for on as and when demanded/ granted.

19.11 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not provided for but are disclosed in the notes on accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

19.12 Prior Period Transactions

Prior period transactions, which are over Rs. 1.00 Lacs in each case are considered as prior period items and are disclosed under current year Income & Expenditure.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER (FIN & ADMIN)

Sd/-
(D.R. SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

IN TERMS OF OUR REPORT ATTACHED

Sd/-
(AWANISH KUMAR AWASTHI)
DIRECTOR

FOR PEE KAY JAIPURIA & CO.
CHARTED ACCOUNTENT
FRN-001335C
Sd/-
(C.A. P.K. JAIPURIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 070131

Place : New Delhi
Date : 28.06.2016

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 20 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी

क्र सं.	विवरण	(रू लाख में)	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये
20.1	**आकस्मिक देयताऐं तथा प्रति बुद्धता (उस सीमा तक जो प्राप्त नहीं है)**		
(i)	**आकस्मिक देयताऐं**		
(ए)	कम्पनी के विरूद्ध दावा जोकि स्वीकार नहीं है। औद्योगिक/अन्य विवाद विभिन्न न्यायालय में लंबित हैं	34.62	53.61
(बी)	गारन्टी	11.00	6.00
(सी)	अन्य राशि जो कि कम्पनी द्वारा संदिग्ध रूप से दायी है	0.00	0.00
(डी)	आयकर प्राधिकृत द्वारा जारी राशि जोकि स्वीकार नहीं है।	1800.82	1031.39
(इ)	बिक्रयकर प्राधिकृत द्वारा जारी राशि जोकि स्वीकार नहीं है।	121.30	117.14
(ii)	**प्रतिबद्धताऐं**		
(ए)	पूंजी खाते पर निष्पादित शेष अनुबन्ध की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं करने के लिये		
	मूर्त सम्पत्ति	7671.94	104.10
	आमूर्त सम्पत्ति	11.82	11.82
(बी)	शेयर और अन्य निवेश, आंशिक भुगतान पर अन्य मांगी देयता	0.00	0.00
(सी)	अन्य प्रतिबद्धता (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
		9651.50	1324.06

नोट	विवरण	(रू लाख में)	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये
20.2	**सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्यम विभाग अधिनियम, 2006 की धारा–22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण**		
(i)	लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूतिकर्ता की शेष बकाया मुख्य राशि	171.71	140.42
(ii)	लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता का अवैतनिक शेष के कारण ब्याज	0.00	0.00
(iii)	नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान राशि के साथब्याज राशि का भुगतान किया गया	0.00	0.00
(iv)	वर्ष के लिये देय और बकाया ब्याज की राशि	0.00	0.00
(v)	लेखा वर्ष के अन्त में बकाया शेष एवं अर्जित ब्याज की राशि	0.00	0.00
(vi)	अगले वर्ष में भी देय और आगे के ब्याज की राशि जबतक की ऐसी तारीख जब उपरोक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान हो सके।	0.00	0.00
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया का सीमा निर्धारण इस तरह की पाटियों की पहचान प्रबंधन द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर किया गया। यह लेखा परीक्षकों के द्वारा दिये गये भरोसे से किया गया।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 20 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS

	PARTICULARS	(RS. IN LACS) AS AT 31ST MARCH 2016	AS AT 31ST MARCH 2015
20.1	Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for)		
(i)	**Contingent liabilities**		
(a)	Claims against the Company not acknowledged as debt		
	On account of Industrial/Other disputes pending in various Court of law - amount determinable	34.62	53.61
(b)	Guarantees	11.00	6.00
(c)	Other money for which the Company is contingently liable	0.00	0.00
(d)	On account of claims by Income Tax Department.	1800.82	1031.39
(e)	On account of claims by Sales Tax / VAT authorities	121.30	117.14
(ii)	**Commitments**		
(a)	Estimated amount of contracts (net of advances) remaining to be executed on capital account and not provided for		
	Tangible assets	7671.94	104.10
	Intangible assets	11.82	11.82
(b)	Uncalled liability on shares and other investments partly paid	0.00	0.00
(c)	Other commitments (specify nature)	0.00	0.00
		9651.50	1324.06

NOTE	PARTICULARS	(RS. IN LACS) AS AT 31ST MARCH 2016	AS AT 31ST MARCH 2015
20.2	Disclosures required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		
(i)	Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	171.71	140.42
(ii)	Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	0.00	0.00
(iii)	The amount of interest paid along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day	0.00	0.00
(iv)	The amount of interest due and payable for the year	0.00	0.00
(v)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	0.00	0.00
(vi)	The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actualy p aid	0.00	0.00
	Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 20 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी

क्र सं.	विवरण	(रू लाख में)	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये
20.3	सीआईएफ के आधार पर आयात की गणना का मूल्य		
(i)	कच्चा माल	0.00	0.00
(ii)	अवयव	13.84	20.04
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	0.00	0.00
	कुल माल	**13.84**	**20.04**
(iv)	पूंजीगत माल	0 00	0.00
20.4	आयातित एवं स्वदेशी वस्तुओं की खपत का विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	
		(रू लाख में)	प्रतिशत
(A)	आयतित		
(i)	कच्चा माल	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	घटक	13.84 (22.17)	0.26 (0.41)
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	योग	**13.84** **(22.17)**	**0.26** **(0.41)**

नोट	विवरण		
(B)	**Indigenous**	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	
		(रू लाख में)	प्रतिशत
(i)	कच्चा माल	3381.83 (3015.66)	100.00 (100.00)
(ii)	घटक	5299.42 (5334.47)	99.74 (99.59)
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	221.64 (229.92)	100.00 (100.00)
	योग	**8902.89** (8580.05)	

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 20 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS

NOTE	PARTICULARS	(RS. IN LACS) AS AT 31ST MARCH 2016	AS AT 31ST MARCH 2015
20.3	**Value of imports calculated on CIF basis**		
(i)	Raw Materials	0.00	0.00
(ii)	Components	13.84	20.04
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	0.00	0.00
	Total Material	**13.84**	**20.04**
(iv)	**Capital goods**	0.00	0.00
20.4	**Details of consumption of imported and indigenous items**	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH' 2016	
		(RS. IN LACS)	%
(A)	**Imported**		
(i)	Raw Materials	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)
(ii)	Components	13.84	0.26
		(22.17)	(0.41)
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)
	Total	**13.84**	**0.26**
		(22.17)	**(0.41)**

Note	Particulars		
(B)	**Indigenous**	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH' 2016	
		(RS. IN LACS)	%
(i)	Raw Materials	3381.83	100.00
		(3015.66)	(100.00)
(ii)	Components	5299.42	99.74
		(5334.47)	(99.59)
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	221.64	100.00
		(229.92)	(100.00)
	Total	**8902.89**	
		(8580.05)	

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 20 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी क्रमशः

क्र सं.	विवरण	(रू लाख में)	
		31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
20.5	**विदेशीय विनमय से आय** एफओबी के अनुसार माल की गणना का निर्यात	1.88	12.85
20.6	**अनुभाग की जानकारी–एस 17** निगम मुख्य रूप एक अनुभागीय व्यापार यानि की कृत्रिम अंग में पुर्नवास ओर अव्यव एवं भौगोलिक अनुभागी में कार्य कर रही है।		
20.7	**सम्बन्धित पार्टी का प्रकटीकरण–एस 18** इसमें किसी भी सम्बन्धित पक्षों के नीचे कोई भी लेन–देन नही हुए हैं सिर्फ नोट 17.2 छोड़कर		
20.8	कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष को दर्शाते है।		
20.9	पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहवार, व्यवस्थित और वर्गीकृत बनाने के लिए उनकी चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना की गयी है।		

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

ह0/–
अवनीश कुमार अवस्थी
निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते **पी के जयपुरिया एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 001335 सी
ह0/–
(सीए पी. के. जयपुरिया)
पार्टनर, सदस्यता सं. 070131)

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 28.06.2016

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 20 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS (Contd..)

NOTE	PARTICULARS	(RS. IN LACS)	
		AS AT 31ST MARCH 2016	AS AT 31ST MARCH 2015
20.5	**Earnings in foreign exchange** Export of goods calculated on FOB basis	1.88	12.85
20.6	**Segment Information - AS 17** The Corporation is principally engaged in single business segment i.e. Artificial Limbs, Rehablitation Aids and Components and operates in one Geographical segment.		
20.7	**Related Party Disclosure - AS 18** There are no transaction between any related party except reported in Note 17.2		
20.8	Figures in bracket represents that of previous year.		
20.9	Previous year figures have been re-grouped, re-arranged and re-classified to make them comparable with that of current year figures		

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR
Sd/-
(D.R. SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER (FIN & ADMIN)

Sd/-
(AWANISH KUMAR AWASTHI)
DIRECTOR

IN TERMS OF OUR REPORT ATTACHED

FOR PEE KAY JAIPURIA & CO.
CHARTED ACCOUNTENT
FRN-001335C
Sd/-
(C.A. P.K. JAIPURIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 070131

Place : New Delhi
Date : 28.06.2016

JABALPUR

BHUBANESHWAR

BENGALURU

CHANALON

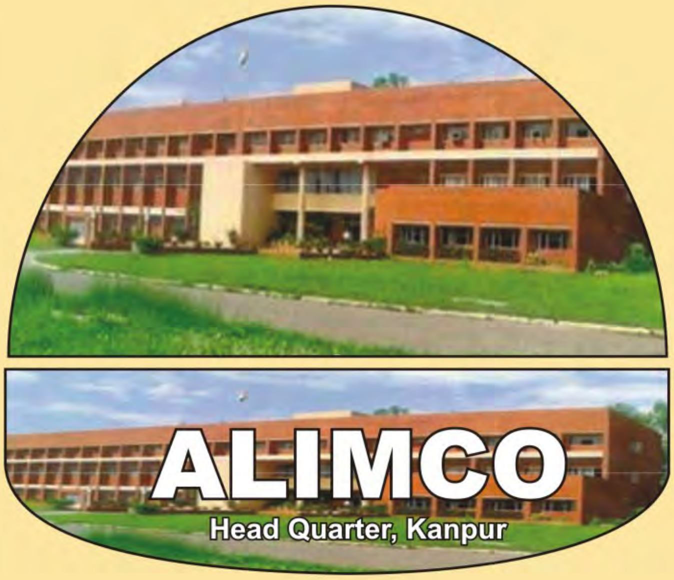

Major implementing agency of the Govt. of India's scheme - ADIP (Assistance to Disabled Persons) since 1981

Sole Implementing agency of the Govt. of India Scheme ADIP - SSA (Sarva Siksha Abhiyan) since 2004

Approaching and extending help to CPSU's to take up their CSR obligations

Approaching and extending help to Hon'ble MP's to utilize MPLAD fund towards upliftment of PwDs through ALIMCO.